पंचम माला, खंड 6, अंक 41
Fifth Series, Vol. VI, No. 41

सोमवार, 19 जुलाई, 1971/28 आषाढ़, 1893 (शक)
Monday, July 19, 1971/Asadha 28, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation ... 12-8-72
Parliament Library

[खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची CONTENTS

अंक 41 सोमवार 19 जुलाई, 1971/28 आषाढ़, 1893 (शक)
No. 41, Monday, 19 July 1971 Asadha 28, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या
S. Q. No.

S. Q. No.	विषय	Subjects	Pages
1202.	पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Petroleum and Petroleum Products	1
1203.	गैर-सरकारी क्षेत्र में आयुध कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for setting up an Armament Factory in Private Sector	3
1206.	कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास के लिए नेपाल को दी गई सहायता	Aid given to Nepal for Economic Development under Colombo Plan	4
1207.	गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने का विस्तार	Expansion of Fertilizer Factory at Gorakhpur	6
1208.	रक्षा सेवा कर्मचारियों के वेतनमानों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव	Proposals for Revision of Pay Scales of Defence Services Personnel	7
1209.	सिन्दरी उर्वरक कारखाने का बन्द होना	Closure of Sindri Fertilizer Factory	8
1210.	भारत वर्मा सीमा संधि	Indo-Burmese Boundary Treaty	9
1215.	पश्चिम बंगाल में काशीपुर और इच्छापुर आयुध कारखानों में निर्मित गोला बारूद का दुरुपयोग	Misuse of Ammunition manufactured in Cassipore and Ichhapore Ordnance Factories in West Bengal	10
1216.	भारतीय विमान के अपहरण के बारे में विदेशों को अवगत कराना	Apprising of Foreign Countries of Hijacking of Indian Plane	11
1221.	तेल की खोज के लिये पट्टे	Leases for Oil Exploration	13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. सख्या S. Q, No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1223.	रक्षा संस्थानों के कैंप्टीन के कर्मचारी	Canteen Employees in Defence Establishments	14
1225.	फाइलेरिया रोग का फैलना	Spread of Filaria	15
1226.	विदेश प्रचार प्रभाग द्वारा विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ सम्पर्क बनाये रखना	Maintenance of contacts with Indian Missions aborad by External publicity Division	16
1228.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा संस्था, नई दिल्ली द्वारा रोगियों का सर्वेक्षण	Survey by National Institute of Health Administration and Education of Patients in New Delhi	17
1229.	दिल्ली में झुगियों और झौंपड़ियों का गिराया जाना	Demolition of Jhuggi and Jhonpris in Delhi	18
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	)
ता. प्र. संख्या S, Q. No.			
1201.	दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका में दक्षिण-अफ्रीका को उपस्थिति के बारे में विश्व न्यायालय का फैसला	Verdict of World Court against the presence of South Africa in South West Africa	19
1204.	भारत अर्थ—मूवर्स लिमिटेड द्वारा पहिये वाले ट्रैक्टरों का उत्पादन	Production of Wheeled Tractors by Bharat Earth Movers Limited	20
1205.	पाकिस्तानी सेना द्वारा अपहरण किये गये भारतीय पत्रकारों की रिहाई	Release of Indian Journalists kidnapped by Pakistan Army	20
1211.	वर्मा आयल कम्पनी का कान्टीनेन्टल आयल कम्पनी के साथ विलय	Merger of Burmah Oil Company wlth Continental Oil Company	21
1212.	परिवार नियोजन शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Family Planning Education Officers	21
1213.	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन जांच आयोग	Haldia Barauni Pipeline Enquiry Commission	21
1214.	अग्रिम क्षेत्रों पर नियुक्ति सैनकों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध किया जाना	Availability of Medical Facilities for Forces in Forward Areas	22
1217.	दिल्ली में चिकित्सा पर अधिक व्यय	High Cost of Medical Treatment in Delhi	22
1218.	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by USA	23

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1219.	हैदराबाद स्थित राष्ट्रीयपोषाहार संस्थान में पोषाहार पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए समझौता	Agreement on Nutrition Courses at National Institute of Nutrition at Hyderabad	23
1220.	बंगला देश की घटनाओं से विदेशी दूतावासों/मिशनों को अवगत कराया जाना	Briefing of Foreign Embassies/Missions about the events in Bangla Desh	24
1222.	सल्फा औषधियों तथा अन्य औषधियों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Sulpha and other Drugs	24
1224.	बंगला देश के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिये विदेशों का प्रस्ताव	Offer by Foreign Countries for mediation between India and Pakistan on Bangla Desh	25
1227.	प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये जज एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हताएं	Qualifications prescribed for appointment of Judge Advocate-Generals for Defence Services	25
1230.	कैंसर तथा गठिया रोग के लिये नागों 'कोबरा' के विष का प्रभाव	Effect of Venom of Cobras for Cancer and Arthritis	26
1069.	गुजरात पैट्रोलियम रसायन समूह के डाउन स्ट्रीम यूनिटों को लाइसेंस देना	Licensing of Down Stream Units of of Gujarat Petroleum Chemical Complex	26

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.			
5166.	डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, लाजपत नगर, नई दिल्ली के लेखों की परीक्षा	Audit of Accounts relating to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi	27
5167.	औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, नई दिल्ली को कारण बताओ नोटिस	Show cause notice to Bureau of Industrial Costs and Prices, New Delhi	27
5168.	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के उत्पादन में कमी	Decline in the Production of Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri	28
5169.	केरल में तेल-शोधक कारखाना	Refinery in Kerala	29
5170.	आंध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Andhra Pradesh	29
5171.	कावेरी, कृष्णा, गोदावरी तथा महानदी नदियों के बेसिन में तेल की खोज	Exploration of Oil in Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanandi River Basins	30

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5172.	गौतम नगर कालोनी, नई दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई	Suppiy of Drinking Water in Gauttam Nagar Colony. (New Delhi)	30
5173.	डा० भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली	Dr. Bhagwan Das Memorial Trust. New Delhi	31
5174.	संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1971 के सत्र के अध्यक्ष पद के लिये इंडोनेशिया के विदेश मंत्री का उम्मीदवार होना	Indonesian Foreign Minister for the Presidentship of 1971 session of UN General Assembly	31
5175.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा एक जर्मन फर्म के सहयोग से टेलीविजन स्टुडियो उपकरणों और पारेषण उपकरणों का निर्माण किया जाना	Manufacturer of T. V. Studio Equipment and Transmitting Equipment by Bharat Electronics Limited in collaboration with a German Firm	32
5176.	बंगला देश के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव	Proposal to organise an International Conference on Bangla Desh	
5177.	ग्लैसरीन की कमी	Shortage of Glyecrine	32
5178.	गृह निर्माण सहकारी समितियां	Co-operative House Building Societies	33
5179.	नामरूप उर्वरकों की वितरण एजेसियां	Distribution Agencies for Namrup Fertilisers	34
5180.	मिट्टी का तेल और पैट्रोल बेचने के लिए बेरोजगार शिक्षित युवक सहकारी समितियों की एजेंसी का स्थापित किया जाना	Setting up of an Agency of Unemployed Educated Youngmen Cooperatives to sell Kerosene Oil and Petrol	35
5182.	दामोदर बेसिन (पश्चिम बंगाल) में खोज संबंधी छिद्रण कार्य	Exploratory Drilling in Damodar Basin (West Bengal)	36
5183.	बड़ोदा में केपरोलेक्टम परियोजना	Caprolactum Project at Baroda	36
5184.	सिंदरी उर्बरक परियोजना का आधुनीकीकरण	Modernization of Sindri Fertilizer Project	
5185.	पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए जाने के बारे में अमरीका के सैक्रेटरी आफ स्टेट श्री विलियम रोजर्स का प्रस्तावित दौरा	Proposed Visit of William Rogere, U.S Secretary of State re. Supply of Arms to Pakistan	37
5186.	डा० भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट लाजपत नगर, नई दिल्ली	Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi	38

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5187.	मध्य प्रदेश में टीकों का निर्माण	Production of Injections in Madhya Pradesh	38
5188.	उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Fertilizer Factory in Uttar Pradesh	38
5189.	डा० भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली में कथित भ्रष्टाचार	Alleged Corruption in Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi	39
5190.	बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के बारे में दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया जाना	Convening of Conference of Afro-Asian Nations in Delhi Re. Refugees from Bangla Desh	40
5191:	भारतीय विमान के अपहरण के बारे में ढाका रेडियों से प्रसारण	Broadcast from Dacca Radio regarding Hijacking of Indian Plane	40
5192.	ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग पर कालियासोद में सड़क का टूटना	Road Breaches on Rishikesh-Badrinath Road at Kaliasod	41
5193.	भारत इलक्ट्रानिक्स लिमिटेड का एक यूनिट गाजियाबाद में स्थापित किया जाना	Opening of a Unit of Bharat Electronics Limited in Ghaziabad	41
5194.	टैरिफ आयोग की सिफारिशों की दृष्टि से रंग सामग्री उद्योग के लिए स्थायी समिति की स्थापना	Setting up of Standing Committee in View of Recommendations of Tariff Commission on Dye Stuff Industry	42
5195.	सरकारी मकानों को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखना	Unauthorised Possession of Government Accommodation	42
5196.	विवाह की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to raise the Age of Marriage	43
5197.	पश्चिम जर्मनी के सहयोग से सल्फ्यूरिक ऐसिड के संयंत्र की स्थापना	Installation of a Sulphuric Acid Plant with West Germany Collaboration	43
5199.	केरल में नायलोन का कारखाना	Nylon Factory in Kerala	43
5200.	तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से गैर-सरकारी कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई न किए जाने के बारे में शिकायत	Complaint regarding Non-Supply of Raw Materials from Public Sector of Undertaking to Private Factory in Tamil Nadu	44
5201.	बंगला देश शरणार्थियों की समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करना	Settlement of Bangla Desh Refugees problem at International level	45
5202.	गृह निर्माण सहकारी समितियों को दिल्ली में भूमि का आवंटन	Allotment of Land to House Building Cooperative Societies in Delhi	45
5203.	रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Chemical Fertilizer factories	46

ता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5204.	सवाई माधोपुर में शुद्ध देशी घी के रूप में चर्बी चिकनाई का बेचा जाना	Sale of Tallow Fat as pure Desi Ghee in Sawai Madhopur	46
5205.	बंगला देश से आये शरणार्थियों के बारे में पाकिस्तान मार्शल ला प्रशासक द्वारा वक्तव्य	Statement by the Pakistan Martial Law Administrator regarding Refugees from Bangla Desh	47
5206.	पैट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट	Adulteration of Petrol with Kerosene Oil	48
5207.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिए हैजा विरोधी टीके	Anti-Cholera Vaccine for Bangla Desh Refugees	48
5208.	सोवियत रूस द्वारा लंका में कोलम्बो और त्रिनकोमाली में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास	Development of fishing harbour at Colombo and Trincomalee in Ceylon by USSR	49
5210.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में बेकार पड़ा रक्त प्लाजमा संयंत्र	Idle Blood Plasma plant in AIIMS, New Delhi	49
5211.	पूर्वी भारत में केन्द्रीय मानसिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना	Setting up Central Mental Research Institute in Eastern India	50
5212.	नगर निगमों के सम्मेलनों में निर्णय	Decision of Municipal Corporations at Conferences	50
5213.	मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता	W.H.O. Aid for setting up of Health Laboratories in Madhya Pradesh	51
5214.	मध्य प्रदेश में स्थापित किये गये परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres set up in Madhya Pradesh	51
5215.	बंगला देश की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिये अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि का भारत आगमन	Visit by US Government Representative to India to discuss Bengla Desh Problem	51
5216.	बंगला देश के मामले के बारे में विदेशों को प्रतिनिधि मंडल	Delegations to foreign countries Re. Bangla Desh Affairs	52
5217.	दिल्ली में हैजा तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम	Prevention of Cholera and other diseases in Delhi	53
5218.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के प्रबन्धक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधि	Worker's representatives on management board of Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri	54

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5219.	बंगला देश के सिलसिले में मंत्रियों का विदेशों का दौरा	Ministers visits to foreign countries in connection with Bangla Desh Affairs	55
5220.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय समूह के लोगों को मकानों की बिक्री	Sale of houses by DDA to Low Income group people	56
5221.	बंगला देश के शरणार्थियों को भारत द्वारा वापिस जाने से रोकने का आरोप	Alleged Prevention of return of Bangla Desh Refugees by India	57
5222.	देश से मलेरिया का उन्मूलन	Eradication of Malaria from the country	57
5323.	देश में सैनिक स्कूल	Sainik schools in the country	57
5224.	विदेशों से हिन्दी में पत्र व्यवहार	Correspondence with foreign countries in Hindi	59
5225.	भारतीय दूतावासों द्वारा विदेशों को भारतीय संस्कृति और साहित्य के बारे में जानकारी न दिया जाना	Non-supply of Information about Indian Culture and Literature to foreign countries by Indian Embassies	59
5226.	मानवीय अंगों के प्रत्यारोपण के बारे में अनुसंधान कार्यक्रम	Research programme on transplanting of Organs of Humans	59
5227.	संसद सदस्यों के लिये गोदामों में रखे गये फर्नीचर की क्षति	Damage to furniture for M.Ps kept in godowns	60
5228.	विदेश मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कर्मचारी	Scheduled castes and Scheduled Tribes in the Ministry of External Affairs	60
5229.	बेरोजगार इंजीनियरों को पैट्रोल पम्प	Petrol Pumps to unemployed Enginers	62
5230.	आदिवासियों में विशेष प्रकार की बीमारी का सर्वेक्षण	Survey of Special Type of Disease amongst Tribal People	62
5231.	परिवार नियोजन कार्य में रत गैर-सरकारी एजेन्सियां	Private Agencies engaged in Family Planning Work	63
5232.	चांदीपुर में समुद्र तट की सड़क को बन्द किया जाना	Closure of Road on Sea Coast at Chandipur	63
5233.	बालासौर में चांदीपुर के स्थान पर शस्त्रों और गोला बारूद का परीक्षण	Experiment of Arms and Ammunition at Chandipur in Balasore	63
5234.	उपकरण अनुसंधान विकास संस्थान, रायपुर देहरादून, उत्तर प्रदेश में अनुसन्धान कार्य	Research work in Instrument Research Development Establishment, Raipur, Dehradoon, U.P.	64
5235.	त्रिपुरा की रेडक्रास सोसाइटी	Red Cross Society of Tripura	65

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5236.	मनीपुर स्थित जनरल अस्पताल में अधिक संख्या में विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up more Departments in General Hospital, Manipur	65
5237.	मनीपुर में नर्सों के लिये प्रशिक्षण की योजना	Scheme for Nurses Training in Manipur	66
5238.	पाकिस्तान को ब्रिटिश सहायता	British Aid to Pakistan	66
5239.	दिल्ली में महामारी विज्ञान-वेत्ता की नियुक्ति	Appointment of Epidemiologist in Delhi	66
5240.	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई के बारे में पेंटागन द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Pentagon regarding Supply of Arms to Pakistan by USA	67
5241.	नई दिल्ली में नवनिर्मित सरकारी क्वार्टरों का स्तर	Quality of newly constructed Government Quarters, New Delhi	67
5242.	दिल्ली/नई दिल्ली में कम आय वाले कर्मचारियों के कब्जे वाले सरकारी क्वार्टरों का रख रखाव	Maintenance of Government Quarters occupied by Low Paid Employees in New Delhi/Delhi	68
5243.	बंगला देश के बारे में भारत की राष्ट्र मंडल में भूमिका	Role of India in Commonwalth on Bangla Desh	68
5244.	बम्बई स्थित सीरियाई वाणिज्य दूत का महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अभद्र व्यवहार	Discourteous Behavour of Syrian Consul in Bombay towards a Women Delegation	69
5245.	इलाहाबाद तथा मेरठ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये कथित कदाचार	Alleged Malpractices adopted by Meerut and Allahabad Service Selection Boards	69
5246.	संसद सदस्यों को दिये गये फरनीचर का मूल्य	Value of Furniture provided to Members of Parliament	70
5247.	अस्पतालों में पलंगों की संख्या	Number of Beds in Hospitals	70
5248.	देश में पुरुष डाक्टर और महिला डाक्टर	Doctors and Lady Doctors in the Country	70
5249.	छूत से फैलने वाला कुष्ठ रोग	Infections Type of Leprosy	71
5250.	मंत्रियों के बंगलों को सुधारने पर व्यय	Expenditure on Renovation of Ministers' Bungalows	73
5251.	मैसर्स स्टील कन्टेनर्स के साथ भारतीय तेल निगम को बैरल सप्लाई करने का ठेका	Contract with M/s Steel Containers to supply Barrels to Indian Oil Corporation	74
5252.	औषधकारकों का रजिस्ट्रेशन	Registration of Pharmacists	74

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5253.	केन्द्रीय तथा राज्य फारमेसी काउन्सिलों का कार्यकरण	Functions of Central and State Pharma cy councils	75
5254.	औषध कारकों (फार्मेसिस्ट्स) के लिये कार्य-भार का मापदण्ड	Yard-stick of work load for Pharma-cists	75
5255.	औषधकारकों की पदोन्नति	Promotion of Pharmacists	75
5256.	चिकित्सा स्टोर के प्रभारी गैर तकनीकी लोग	Non-technical People as Incharge of Medical Store	76
5257.	भारत में उत्तर कोरियाई वाणिज्य दूतावास के प्रचार के विरुद्ध विदेशों द्वारा विरोध	Protests from Foreign Countries Against Propaganda of North Korea Consulate in India	76
5258.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की भूतपूर्व प्रतिनिध श्रीमती लीला मेनन के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन	Report of CBI against Mrs. Leela Menon formerly of DNCC	77
5359.	आन्तरिक उपयोग के लिये प्राकृतिक गैस को इंधन ग्रैस के रूप में काम में लाना	Processing of Natural Gas into Cooking Gas for Internal Consumption	77
5260.	भवन निर्माण सामग्री सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना	Setting up of Central Agency for supplying Building Construction Material	78
5261.	विमान दुर्घटना में हुई विंग कमाण्डर डी० एल० दार की मृत्यु के बारे में जांच	Enquiry into Death of Wing Comm., D.I. Dhar in Air Accident	78
5262.	कोटा में तेल-शोधक कारखाना	Oil Refinery in Kotah	79
5263.	जामनगर में आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान	Ayurvedic Research Institute, Jamnagar	79
5264.	गुजरात में गैस तथा तेल का उत्पादन	Gas and Oil Produced in Gujarat	79
5265.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को प्रबन्ध समिति	Managing Committee of the AIIMS. New Delhi	80
5266.	भौतिक चिकित्सा के लाभ	Uses of Physio Therapy	80
5267.	अस्पतालों में भौतिक चिकित्सा आरम्भ करना	Introduction of Physio Therapy in Hospitals	82
5268.	अर्हता-प्राप्त नर्से	Qualified Nurses	83
5269.	सशस्त्र सेवा और भारतीय प्रशसनिक सेवा के वेतनमान समान करने पर सेवा के होने वाला व्यय	Expenditure by equating scales of Armed Services to scales of Indian Administrative Service	83

ता.प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5270.	उत्तर कनारा जिले में सोडा एश का कारखाना	Soda Ash Factory in North Kanara District	84
5271.	लूप का उपयोगी न होना	Inefficaciousness of Loop	84
5272.	बंगला देश से आये शरणार्थियों पर किये जा रहे खर्च के लिये मुआबजे की मांग	Demand of compensation for expenditure incurred on Bangla Desh Refugees	85
5273.	रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in Defence Establishments	85
5274.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to DDA Employees	86
5275.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये भारत द्वारा अधिगृहीत चलते फिरते चिकित्सा एकक	Mobile Medical Units for Bangla Desh Refugees acquired by India	87
5276.	सफदरजंग अस्पताल का अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के साथ विलय	Merger of Safdarjang Hospital with All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	87
5277.	भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा ट्रांजिस्टर-युक्त टेलिविजन सैटों का निर्माण	Manufacture of Transistorised Television sets by Bharat Electronics	87
5278.	मद्रास की तेल जेटो के पूरा होने में देरी के कारण मद्रास तेल शोधक कारखाने को हानि	Loss to Madras Refinery due to delay in the completion of oil Jetty at Madras	88
5279.	पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में हैजा के टीकों की अत्यधिक कमी	Acute shortage of Cholera Vaccine into Eastern Border States	88
5280.	माना शरणार्थी कैम्प में पीने के पानी की कमी	Shortage of drinking water in Refugee Mana Camp	89
5281.	बड़े बड़े अस्पतालों में संक्रमण के लिये परिरक्षण (शील्ड) के रूप में "कैनोपी" की व्यवस्था	Provision of canopy as shield against Infection in major hospitals	89
5282.	राज्यों के अस्पतालों में उपचार के लिए संसद सदस्यों को सुविधाएं	Facilities to Members of Parliament for treatment at State Hospitals	90
5283.	पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पेयजल की सुविधाओं के लिए केरल को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Kerala for Drinking Water Facilities during Five Year Plan	90
5284.	केरल में अत्यावश्यक औषधियों की कमी	Shortage of Essential Medicines in Kerala	91

ता. प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5285.	दिल्ली में इमारतों के किरायों में वृद्धि और सरकारी कर्मचारियों को आवासन सुविधाएं	Increase in Rents of Buildings in Delhi and Housing Facilities to Government Servants	91
5287.	सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी की छपाई की क्षमता	Capacity of Printing of Hindi Jobs in Government Presses	92
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	93
	जाली नोटों का कथित प्रचलन	Reported Circulation of fake currency notes	93
	श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले	Shri R. Balkishna Pille	94
	श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	95
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	97
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	97
	दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	97
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	98
	पांचवा प्रतिवेदन	Fifth Report	98
	रूरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात पिघलाने वाले कारखाने की छत का एक भाग गिर जाने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Collapse of a portion of Steel Melting shop of Rourkela Steel Plant	99
	श्री मोहन कुमारमंगलम	Shri Mohan Kumaramanglam	100
	गाड़ियों के समय पालन के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement Re. Punctuality of Trains	100
	श्री हनुमन्तैय्या	Shri Hanumanthaiya	100
	अनुदानों की मांगें, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	102
	कृषि मंत्रालय जारी	Ministry of Agriculture	102
	श्री जदेजा	Shri Jadeja	102
	श्री सी० डी० गौतम	Shri C.D. Gautam	103
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	103
	श्री एम० गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	103
	श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya	103
	श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	103
	श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी	Shri Swami Vrahmanandji	104
	श्री एम० एम० जोजेफ	Shri M,M, Joseph	105
	श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	105
	श्री जे० एम० गौडर	Shri J.M. Gowder	105
	डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	106
	श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	106
	श्री आर० एस० पाण्डेय	Shri R.S. Pandey	106

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रामचन्द्र विकल	Shri R.C. Vikal	107
श्री फखरूद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed	107
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs	115
श्री समर मुकर्जी	Shri Samar Mukherjee	115
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	117
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukherjee	124
श्री उन्नीकृष्णन	Shri Unnikrishnan	132
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	133
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C,M. Stephen	134
श्री एम० सत्यानाराण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	135
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	136
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	136
श्री कादर	Shri Kadar	137
मैसूर बजट, 1971-72	Mysore Budget, 1971-72	126
गुजरात बजट, 1971-72	Gujarat Budget, 1971-72	127
पश्चिम बंगाल बजट, 1972-72	West Bengal Budget, 1971-72	129
आधे घंटे की चर्चा गणेष फ्लोर मिल्स दिल्ली में मजदूरों की जबरन छुट्टी के बारे में	Half-an-Hour Discussion Re. Lay-off of workers of Ganesh Flour Mills, Delhi	138
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	138
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	139

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 19 जुलाई, 1971/28 आषाढ़, 1893 (शक)
Monday, July 19, 1971/Asadha 28, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता

***1202 श्री एस० सी सामन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पैट्रोलियम के उत्पादों का कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है,

(ख) इस मामले में हम कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे,

(ग) क्या इण्डियन आयल को छोड़कर अन्य पैट्रोलियम कम्पनियां आयातित तेल सप्लाई कर रही हैं अथवा अंशतः आयातित और अंशतः भारतीय तेल सप्लाई कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो उसमें भारतीय तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : 1970 में आयातित अशोधित तेल एवं पैट्रोलियम उत्पादों की मात्राएं निम्न प्रकार थी :—

	मात्रा हजार मीटरी टनों में	**कुल विक्रय की तुलना में आयात की प्रतिशतता**
पैट्रोलियम अशोधित तेल	11,665	63.2%
पैट्रोलियम उत्पाद	970	5.2%

इस प्रकार 1970 में पैट्रोलियम उत्पादों के लिए देशीय उत्पादन कुल विक्रय का 94.8% था। तथापि, अशौधित तेल के सम्बन्ध में प्राप्त की गई आत्मनिर्भरता केवल 36.8% तक थी। जहां तक पैट्रोलियम उत्पादों का सम्बन्ध है, लगभग 1976 तक उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रस्तावित परिष्करणशाला के चालू होने तक, आत्मनिर्भरता की मात्रा में सामान्य रूप से 86 से 90% तक भिन्नता पाये जाने की आशा है। अशोधित तेल के बारे में, इस स्थिति में कोई विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) पांच तटीय परिष्करणशालाएं अर्थात् बर्मा शैल, एस्सो, कालटैक्स, कोचीन और मद्रास परिष्करणशालाएं केवल आयातित अशोधित तेल का प्रयोग कर रही है देश के अन्दर स्थित परिष्करणशालाएं अर्थात् दिगबोई, बरौनी, गोहाटी और गुजरात परिष्करणशालाएं देश में उत्पादित अशोधित तेल का शोधन करती है।

(घ) 1970 में देश में 6.8 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल का उत्पादन और 11.67 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल का आयात किया गया था। अशोधित तेल का देशीय उत्पादन, कुल खपत का लगभग 35 प्रतिशत है।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमन् मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को तट दूर तथा आन्तरस्थलीय छिद्रण कार्यों में कठिनाईयां आ रही हैं। प्रत्येक वर्ष अधिक उत्पादन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कौन सी कठिनाइयां दूर करना आवश्यक है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : आन्तरस्थलीय छिद्रण कार्यों के सम्बन्ध में कोई विशेष कठिनाई नहीं है क्योंकि अब हमारे पास 'रिगों' की व्यवस्था है और जहाँ तक भी संभव हो पाता है हम कार्य स्वयं करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु जहां तक तटदूर छिद्रण कार्यों का सम्बन्ध है हमें इसका बहुत अधिक तकनीकी ज्ञान नहीं है। इसी कारण हमें इस प्रकार का छिद्रणकार्य अमरीकी ठेकेदार को देना पड़ता है और हम 'जैक-अप प्लेट-फार्म' का आयात कर रहे हैं।

श्री एस० सी० सामान्त : दामोदरघाटी क्षेत्र में स्टेन्डर्ड वैकुम कम्पनी द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों के संदर्भ में मामले की जांच क्यों नहीं की गयी और शीघ्रातिशीघ्र छिद्रण कार्य क्यों नहीं कराया गया।

श्री० पी० सी० सेठी : छिद्रण कार्य, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दी जाने वाली प्राथमिकता पर निर्भर करता है और इस दृष्टि से जो कुछ भी भूगर्भीय तथा भूभौतिकीय कार्य सम्पन्न हो चुका है इस समय उसी के आधार पर देश के अनेक भागों में छिद्रण कार्य चल रहा है। इसलिए दामोदर घाटी को वे जब भी प्राथमिकता देंगे तभी छिद्रण कार्य आरम्भ कराया जायेगा।

श्री राजा कुलकर्णी : कौन-कौन से उत्पाद आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हैं और कौन-कौन से उत्पादों से आवश्यकता पूरी नही होती है? क्या सरकार तेल शोधक कारखानों में उत्पाद-मिश्रण के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है जिससे सभी उत्पादों का समान उत्पादन उपलब्ध हो सके?

श्री पी० सी० सेठी : गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों के सम्बन्ध में भी देश की आवश्यकतानुसार उत्पाद-मिश्रण की मात्रा निर्धारित करने का सरकार को अधिकार प्राप्त है। इस समय हम एवीएशन गैसोलीन, मिट्टी का तेल, भट्टी का तेल, तथा मशीनों के तेलों का आयात कर रहे हैं। परन्तु प्रश्न के उत्तर में पैट्रोलियम उत्पादों के कुल आयात की प्रतिशतता 5.2 बताई गयी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। परसों दिल्ली के दैनिक समाचार-पत्र "पेट्रियाट" में प्रकाशित इस समाचार में, कि सरकार कुछ

विदेशी तेल कम्पनियों को अपने अधिकार में ले लेने की बात पर विचार कर रही है, कहां तक सत्यता है ?

श्री पी० सी० सेठी : अनुदानों पर वाद-विवाद के दौरान मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जहां तक कम्पनियों को सरकारी अधिकार में ले लेने का प्रश्न है इस समय सरकार के सामने कई विकल्प हैं जिनकी जांच की जा रही है और जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती और हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाते तब तक यह बताना उचित नहीं है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है । क्या सरकार के विचाराधीन यह मामला है ? क्या इसे वे सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर यह पहले ही दे चुके हैं।

Proposal for setting up an Armament Factory in Private sector

1203. **Shri Ramavater Shastri** : will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether some persons have sent a proposal to government to allow the setting up of an Armament Factory in the Private sector:

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of government thereto ?

The Minister of State (Defence Production) in the ministry of defence (Shri Vidyachran Shukla): (a) No, Sir.

As per Industrial Policy Resolution, 1956, manufacture of arms and ammunition is the monopoly of the Central Government.

(b) & (c) Do not arise,

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, sir, I thank the hon. minister for the reply he has given. This is really a matter or pleasure that Government does not propose to give this work to Private sector. But may I know whether it is a fact that intersting certain items to private industries results in shortage of work in ordnance factories ? If so, the reason as to why government follow such a policy and the steps proposed to be taken to stop such Practice ?

Shri Vidyacharan Shukla : I have already explained during the discussion on the geants of Defence ministry that it is not proper to think that there is shortage of work in ordnance factories becouse we have intrusted certain items to private sector under compeling circumstances. This is not the position. In fact we are benefited allotting certain minor works to private sector which are insignificans and which are dealt with by them. This also does not advarbely affect the production capacity of Ordnance factories.

Shrl Ramavatar Shastri : Is it fact that the tents required to rehabititate the refugee s are being imported where as our factories have a capacity to produce them.

Mr. Speaker : Have you asked something about armaments ?

Shri Ramavatra Shrstri : I have asked about something else. Is it a fact that an explosives factory is being set up in Madhya Pradesh ? Is it also a fact that this factory would provide work to private industralists ? If so what are the reasons, therefore ?

Mr. Speaker ; The Minister has replied Catagorally and still you are going on asking;

Shri Vidyacharan Shukla : I think you have not allowed the queshtion regarding tents.

As regards his second question it is a fact that an explosives factory is being set up in Madhya Pradesh but It is wrong that there is any provision of work to private industrialists there. Whole of the work, leaving aside Certain civil works which are generally got Completed by the Contractors, regarding Conshirhand of the factory is being managed by our ordnance factory.

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुपूरक प्रश्न में कोई सूचना बताकर यह नहीं पूछना चाहिये कि क्या ऐसा सच है ? आपको सीधा प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ राव : यद्यपि गैर सरकारी क्षेत्र के शस्त्रास्त्र कारखानों को हथियार तथा गोला बारूद बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, क्या इसमें भी कोई आपत्ति है कि उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता वाली निजी फर्में हथियारों तथा गोला बारूद में काम आने वाले पुर्जे तथा सामग्री तैयार करें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसमें कोई आपत्ति नहीं है । जब हम आवश्यक समझते हैं ऐसे उपकरण बाहर से बनवाते हैं । परन्तु अन्ततः गोला बारूद तथा हथियारों के बनाने का कार्य आयुध कारखानों तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा ही किया जाता है, गैर सरकारी उपक्रमों द्वारा नहीं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या सरकार को किसी निजी फर्म ने हथियार बनाने के लिये कोई प्रस्ताव दिया है, और यदि हां, तो वे कौन-कौन सी निजी फर्में हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मुझे पता है हमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that the orders to manufacture anti tank missiles have been placed with a Cycle Pipe Factory of Faridabad ? This factory has started a new factory and the Government is going to place orders worth Rs. two crores with it. The capities of the factory is Rs. 200/- only and it has neither any machinery nor labour to work.

Mr. Speaker : How does it arise out of this ?

Shri Atal Bihari Vejpayee : The Hon. Minister has said that no private firm has been allowed to manufacture armaments like anti-Tank missiles etc. the hon. Member is saying that such an order has been placed. The hon. Minister should make a rebuilted of it. This is a very relevant question.

Mr. Speaker : If the leader of the party says, then it should be relevant.

Shri Vidya Charan Shukla : As I have explained in reply to the question of Shri Jagannath Rao we do ask private industries to manufacture certain components but so far as manufacture of shells, anti-tank Grenades and Bombs is concerned, it is done by ordance factories or by Public sector undertakings and not by private parties. If there is any urgency or we are not in a position to manufacture them in time, then we get only Certain empties manufactured from private sector and filling them with explosives and to Complete them is our job. We can get Various Components manufactured from outside and a decesion to this effect is taken in view of the requirements and Circumstances at a particular time.

Shri Hukam Chad Kachwai : Mr. Speaker sir I have asked that the government is going to place orders with such a company which has no machinery, which has made no investment and which has been started by a Company which is facing trial in many cases.

Shri Vidyacharan Shukla : We receive several proposals. I do not know as to which proposal he is reffering to. In case he gives a notice, I will reply to that.

Mr. Speaker : Who is instigeting Mr. Kachwai ?

Aid given to Nepal for Economic Development under Colombo Plan

***1206. Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total amount of aid provided so far by the Government of India to the Government of Nepal for economic development under the Colombo Plan; and

(b) whether basides financial assistance, India has also provided technical assistance to Nepal and if so, the total amount of expenditure incurred so far by the Government of India in this regard ?

विदेश मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने 1951 के आरम्भ से 31 मार्च 1971 तक 81.52 करोड़ रुपये की सहायता दी है ।

(ख) जी हाँ । भारत ने अभी तक नेपाल को 2.04 करोड़ रुपये की तकनीकी सहायता दी है ।

Shri M.C. Daga : India has given a financial assistance of rupees 83 crores to Nepal. Is the hon. Minister aware that our technicians and educationists whose services are sent to Nepal are not posted as heads of their respective departments while their counterparts from other countries are made heads of their departments by the Nepalese Government ? If it is a fact what is the reaction of the Government there to and what action the Government has taken in this regard ?

Shri Surendra Pal Singh : We try to meet every demand made by Nepal particularly the one regardihg technical hands. It is difficult for me to say what type of jobs are assigned to our technicians. If the hon. member will give notice for it, I will give the required information.

Shri M. C. Daga : My question was that inspite of the fact that we have given aid of rupees 83 crores to Nepal, one personnel whose services are sent to Nepal are not posted as heads of departments which has caused a lot of resentment among them.

Mr. Speaker : It is not relevant, you asked as to how much aid has been provided to Nepal and the reply to this question has been given by the hon. Minister. If you want to ask something about professors and their posts you must give a separate notice for it.

Shri M. C. Daga ; The hon. Minister must be aware at the cotton agreement that is going to be reached between China and Nepal. China is be friending Nepal and is trying to create a gap between Nepal and India. I want to know whether the Government proposes to make any change in the Colombo plan and in the economic aid programme ?

Shri Surendra Pal Singh : Yes. we are aware of the fact that China and Nepal have got cordial relations but this has nothing to do with our relations with Nepal. We have friendly relations with Nepal and we give her all reasonable assistance that is asked for. We are informed that a Chinese survey team is visiting the Tarai areas to find the possibility of cotton cultivation these. We have called for detailed information from our Embassy, we will be able to say something after the reciept of that information.

Shri R. S. Pandey : India is providing assistance to Nepal for her economic development. It is a fact that few of our industrialists in private sector have established industries these but Nepal does not have good opinion about them because their performance is quite poor ?

Shri Surendra Pal Singh : I do not have any information in this regard. If the hon. Member gives notice for it, I will collect the information.

Shri R. C. Vikal : The hon. Minister has just stated that Nepal is having cordial relations with India as well as China. Does the hon. Minister know that Nepal is paying to develop better relation with Chiness than India and a lot of Indian goods are diverted towards China through Nepal ?

Shri Surendra Pal Singh : We are aware of the Sino-Nepal relations but there is no need to worry about it.

गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने का विस्तार

***1207. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाना अपनी पूरी अविस्थापित क्षमता पर कार्य कर रहा है तथा इसका और आगे विस्तार करने की भारी मांग आवश्यकता है, और

(ख) यदि हां तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके विस्तार के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गोरखपुर में स्थित उर्वरक कारखाने में उत्पादन, 1969-70 तथा 1970-71 में स्थापित क्षमता का क्रमश, 91% तथा 85% था। कार्यविरोध निवारण कार्यक्रम (डी-वाटलैनकिन) के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक योजना वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है तथा इस समय इस योजना के सम्बन्ध में उनके साथ बातचीत चल रही है।

Shri K. C. Pandey : will the hon. Minister be pleased to state the reasons for the loss of 6.8 thousand metric tonnes during 1970 ?

The Ministers of Petrolium and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : Is the hon. member refering to the shortage in stock ? As for Gorakhpur, there was no shortage in the stock for the year 1967-68 and 1968-1969. It has been reported that during the year 1969-70 the stocks were short of goods worth 8-1/2 lakh rupees and this year the reported shortage is of the order of 4,514 tonnes. The total cost where at amounts to rupees 33 lakhs.

Shri K. C. Pandey : When Gorakhpur fertiliser Corporation was established, it was expected that bulk of recruitment shall be made from amongst the people of eastern region. But it has not been so. May I know as to whether the number of eastern U.P. people will be considerd at the time of the expansion of factory.

Shri P. C. Sethi : Mr. speaker, sir, so far as the recruitment is concerned, all the fertiliser factoreis were asked to recruit class III and IV employees from amongst the local people in accordance with the circular issued by the Home Ministry. As for the rest, they are all India posts and the selection is made on the basis of merit. I should like to know if the circular of the Home Ministry has not been carried into effect, so that I may look into the matter and see that the instructions of the Home Ministry are followed rigidly.

Shri Nathu Ram Ahirwar : The hon. Minister has just started that the Home Ministry has been asked that all the fertiliser corporations should recruit class III and IV employees from the local people. May I know if this is applicable to all the public undertakings in the country ?

Shri P. C. Sethi : It is not we who have asked the Ministry but it is the Ministry of Home affairs whose instructions have been conveyed to all fertilizer corporations that class III and IV employees should be recruited from the local people.

Shri Satpal Kapur : Has there been shortages in the stock in other factories also like Gorakhpur during the last 2-3 years ?

Shri P. C. Sethi : The Trombay factory faced shortage in stock work 5.5 lakhs in the years 1967-68, 3 lakhs 64 thousands in 1968-69 and 46 lakhs in 1969-70.

Shri Satpal Kapur : Mr. speaker, sir, the Hon. Minister has just admitted that there has been a shortage in stock. I want to know as to who has been held responsible for it or has it been written off ?

Mr. Speaker : You had asked the information. Do not enter into argument. Only information can be sought during Question Hour.

रक्षा सेवा कर्मचारियों के वेतन-मानों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव

***1208. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह .**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल सेना कर्मचारियों के वेतन मानों को पुनरीक्षित करने तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के बारे स्थल सेनाध्यक्ष द्वारा पेश किये गए प्रस्तावों को नौसेना और वायुसेना अध्यक्षों ने भी प्रस्तावित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किए हैं कि उनकी सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत उन्हें कार्य करना पड़ता है, खराब हैं;

(ग) क्या सेना अध्यक्षों द्वारा वेतन-मानों में एक रूपता लाने का सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सेवा की शर्तों के बारे में दिए गए सुझावों को किस सीमा तक स्वीकार कर लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक विशेषज्ञ-सैल ने, जिसमें तीनों सेनाओं के तीन वरिष्ठ सेवा विशेषज्ञ थे, सेवा मुख्यालय द्वारा थल, नौ और वायु सेना के कमानों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिए गये प्रस्तावों का समन्वय और जांच की। विशेषज्ञ-सैल ने, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के मार्ग दर्शन और निर्देशन के अन्तर्गत उन प्रस्तावों को जांचा और उनके साथ सयुक्त रूप से वेतन आयोग के विचारार्थ, वेतनमान के पुनरीक्षण के प्रस्तावों को तैयार किया।

सेवा शर्तों से संबंधित कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वेतनमानों का सुझाव देते समय तीनों सेनाओं के वेतनमानों में यथा संभव एक-रूपता लाने की आवश्यकता को दृष्टि में रखा गया है।

(घ) वेतन मानों से संबंधित प्रस्तावों को वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपने सलाह को प्रतिपादित करते वक्त, वेतन आयोग इन प्रस्तावों को ध्यान में रखेंगी।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : Mr. Speaker, Sir, with reference to the reply to part (b), I would like to know whether it is a fact that the service conditions of Army pessonnel are not satisfactory, and a memorandum has been sent in this regard to the ministry or high officials or Army but they have not considerd it ? I want to know whether the Government is willing to consider that memorandum for improving the service conditions of Army men ?

Shri Vidya Charan Shukla : We know that our defence services have to carry out their duties in difficult conditions. Some times they have to remain on high altitudes, and in forests where there are no roads and they are every time exposed to dangers. We have been during all that is possible to lessen their hardships and to secure their safety.

The Pay Commission has nothing to do with the service conditions of Army personnel. It is their service headquarters which are able to provide facilities to them. Various factors are involved in their day to day activities. The pay commission is aware of their difficulties.

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : By what time the report of pay commission is expected to be received ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is difficult to say anything about it. The Finance Ministry must be having some information in this regard. In view of the time taken by previous commissions, the present pay commission may also take atleast 2 years time.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान वेतन आयोग द्वारा जारी किए गए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वह वर्ष 1972 के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर देंगे ? यदि हां, तो यह रिपोर्ट किस महीने में प्रकाशित की जाएगी अथवा कि इसके प्रकाशन में कुछ और समय लगने की सम्भावना है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ सशस्त्र अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों ने, जिनमें रक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारी भी शामिल है, यह मांग की है कि यदि वेतन आयोग छः महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करता तो उन्हें अन्तरिम राहत की दूसरी किस्त दी जाए ? यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय की प्रतिक्रिया वित्त मंत्री तक पहुंचा दी गई है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक मेरी जानकारी है सरकार का विचार किसी भी केन्द्रीय कर्मचारी को अन्तरिम राहत की दूसरी किस्त देने का नहीं है ।

Shri B. P. Maurya : The army personnel in Pakistan, that has always been hostile to India, particularly the land forces are better fed and better paid than our forces. If the hon. Minister is aware of this, well he, taking into consideration all such conditions, provide similar facilities to all our troops ?

Shri Vidya Charan Shukla : I don't agree that Pakistani army personnel are better fed and better paid...

Shri B. P. Maurya : They are getting more.

Shri Vidya Charan Shukla : I do not agree with him. Our Army personnel are satisfied. We are maintaning them well.

Closure of Sindri Fertiizer Factory

***1209. Dr. Laxminarain Pandey :** will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) Whether the Sindri Fertilizer Factory had been closed down during September last; and

(b) Whether the said Factory was running at a loss and a proposal to sell the factory to a private company is under consideration ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीरसिंह) (क) भारतीय उर्वरक निगम का सिन्द्री स्थित कारखाना बन्द नहीं किया गया था। बिहार राजकीय सुपरफास्फेट कारखाने ने जो बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम का उपक्रम है, सितम्बर, 1970 में उत्पादन बन्द कर दिया था ।

(ख) इस कारखाने में 1968-69 से घाटा हो रहा था । बिहार सरकार ने सूचना दी है कि कारखाने को किसी गैर-सरकारी कम्पनी को दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और उत्पादन पुनः आरम्भ करने के किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

Dr. Laxminarain Panday : Mr. Speaker. I would lik: to know from the hon. Minister as to whether the Sind-i Fertilizer Plant had been clered down due to nonavailability of raw material in sufficient quantity, because there were two fertilizer plants at Sindri in the public sector-One belonging to the Central Government and the other to the state Government of Bihar ?

The Minister of Petroleam and Chemicals (Shri. P. C. Sethi) : Mr. Speaker, It is not Correct to say that this plant has been incurring lones ever since it was taken over by the State Government of Bihar. The reason for the loss is not the non-ava l b ii y of raw material. They have enquired into the matter and have also have asked the Fertilizer Corporation to suggest way and means for making it profitable. The enquiry has recommended certain changes in Machines equipments etc. The Government of Bihar is taking measures to implement them.

Dr. Laxminarain Panday : I would like to know from the hon'ble Minister the Comparision of the Enquiry Committee and the details of the report ?

Shri. P.C. Sethi : Shri Sinha Roy. Technical Director, Simon carways Private Ltd., Calcutta had been appointed to make an enquiry from technical point of view and they had also requested the Fertilizer corporation to make an enquriry into the affairs of this plant. Shri Sinha Roy has submitted his report. The Fertilizer corporation has stated that the requisite changes could be suggested only when its working has been watched for one and a half months after its going into production once again.

Shri R. N. Sharma : I would like to know from the hon'ble Minister as to whether the batlery of coke oven in Sindri Unit of Fartilizer corporation has run down ? If so, for how long the work suffered on account of this and how much loss had to be suffered by the Fertilizer corporation ?

Shri. P.C. Sethi : It has already been stated in reply to the original questian that the closure was in regard to the Fertilizer Plant, run by the Government of Bihar and not the Sindri Unit. This information is not readily available. If the hon'ble Member gives a notice, I would furnish the requisite information Sindri Unit has never been closed down.

Shri S. D. Sharma : I would like to know from the hon'ble Minister as to whether the continuous loss in Sindri Unit is due to the mismanagement of top officials or there is any other factor behind it ?

Shri P. C. Sethi : There are many reasons for the loss in Sindri Unit, One of the reasons is lowering down of the quality of Gypsum. Therefore, there is a scheme for the modernisation of the plant, which is being-carried out at a cost of about 60-65 crores of rupees, so that the production-capacity of the plant could be increased by utilising residual LSHS in it.

Shri Ramavatar Shastri : Has the Bihar Government sought any help from the central Government to run this plant in a proper mauner ? If so, what are the details thereof ?

Shri P. C. Sethi : Bihar Government has not sought any assistance from us and has been running it with its own sources.

भारत-बर्मा सीमा संधि

***1210 श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा सीमा सन्धि के प्रारूप तैयार करने में तीन वर्ष और लगेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) दोनों दलों के सदस्य कौन-कौन हैं,

(घ) कुल कितनी सीमा का सीमांकन कार्य पूरा कर लिया गया है, और

(ङ.) सीमा-दलों पर अब तक सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार और बर्मा सरकार के बीच 10 मार्च 1967 को सीमा करार पर हस्ताक्षर हुए थे। जब भूमि का भौतिक सीमांकन तथा भू-सत्यापन और मानचित्र खींचने से सम्बन्ध कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद अन्तिम सीमा सन्धि पर हस्ताक्षर होंगे। कार्यक्रम के अनुसार सीमांकन कार्य चल रहा है और इसमें अब तक जो प्रगति हुई है, उससे आशा की जाती है कि 1973-74 तक सीमांकन कार्य पूरा हो जाएगा।

(ग) 1971-72 के क्षेत्र-कार्य मौसम के लिए, भारतीय दल में 193 लोग है, जिनमें 10 राजपत्रित अधिकारी हैं। प्रत्येक क्षेत्र-कार्य मौसम में काम को ध्यान में रखकर बर्मा सरकार बर्मी दल के गठन का निर्धारण करती है। बर्मी दल लगभग भारतीय दल के समान ही होता है।

(घ) 715 मील।

(ङ.) सीमांकन कार्य का कुल अनुमानित खर्च लगभग 1,57,00 000 रुपये है। प्रारम्भ में विभिन्न सम्बद्ध विभाग खर्च करते हैं और बाद में विदेश मंत्रालय खाता समंजन द्वारा उन्हें वापस कर देता है। अब तक 49,43,667/69 रुपये विभिन्न प्राधिकारियों को लौटाए जा चुके हैं। उनके नाम खाते की अन्य रकमों का अभी समंजन होना बाकी है।

Shri G. Venkataswamy : The hon'ble Minister has stated that Rs. 1,57,00,000/- would be spent on the demarcation of the boundary. I would like to know whether this amount would remain the same or it would be increased ? The hon'ble Minister has also stated that this work would be-completed within a period of three years i.e. by 1973-74. I want to know whether the work would be-completed within the above mentioned period or it would take some time more ?

Shri Swaran Singh : It is difficult to say at present as to whether the estimated expenditure would remain the same or it would be increased. But the expenditure incurred so for shows that there would not be very much deviation from the estimated expenditure. So far as the time limit is concerned, I think it would be-completed in time.

श्री पी० के० देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि चीन, बर्मा और भारत के बीच त्रि-सीमा संगम के बारे में अन्तिम रूप से समझौता हो गया है और क्या तीनों पक्ष इस बारे में सहमत हो गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं; अभी इस पर अन्तिम रूप से समझौता नही हुआ है।

पश्चिमी बंगाल में काशीपुर इच्छापुर आयुध कारखानों में निर्मित गोला बारूद का दुरुपयोग

***1215. श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के काशीपुर और इच्छापुर आयुध कारखानों में निर्मित गोला बारूद का बहुत से अवसरों पर उग्रवादी शक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई जाँच कराई गयी है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सरकार उन आयुध कारखानों में सुरक्षा के अधिक कड़े प्रबन्ध कर रही है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग) :

पश्चिम बंगाल में काशीपुर या इच्छापुर स्थित आयुध कारखानों में से किसी में भी गोला बारूद का निर्माण नहीं किया जाता है। अतएव प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में है। तथापि, उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के अस्त-व्यस्त स्थिति के कारण सुरक्षा प्रबन्ध कड़े कर दिये गए हैं।

श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी : अखबारों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि 19 अप्रैल, 1971 से आज तक पश्चिम बंगाल के आयुध कारखानों से हथियार चुराये गये हैं और कई बार कारखानों के अन्दर उपद्रव हो चुके हैं। इसलिए कानून और व्यवस्था की समस्या और कारखानों में आने वाले और वहा से जाने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए क्या विशिष्ट सुरक्षा उपाय किये गये है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि इन कारखानों में उपद्रव की स्थिति रही है। हमने कारखानों के भवनों के अन्दर कुछ सशस्त्र टुकड़ियों को तैनात करने सम्बन्धी उपाय किये हैं ताकि छुटपुट चोरियां न हो सकें और जो व्यक्ति दबाव डालते हैं या जो कर्मचारियों के लिए कठिनाईयां उपस्थित करते हैं, वे अपनी गतिविधियों में सफल न हो सकें। हम पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाये हुये हैं, ताकि स्थिति में सुधार हो सके। माननीय सदस्य जानते हैं कि स्थिति कुछ समय से बिगड़ती जा रही है। यह एक खराब स्थिति रही है और इसमें सुधार होने में कुछ समय लगेगा। मगर, जो उपाय हमने अमल में लाने शुरू किये हैं, उनसे हम बहुत शीघ्र ही स्थिति पर पूरी तरह से नियन्त्रण कर लेंगे।

श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी : पहले, कारखानों में काम न करने वाले बाहरी राजनैतिक नेता आसानी से चले जाते थे। इसलिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, क्या ये राजनैतिक नेता और मजदूर नेता अब भी कारखानों में जा सकते हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह अनिवार्यतः सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का मामला है और अगर सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ किया जाता है और वे अच्छे हैं, तो कोई भी अनधिकृत व्यक्ति कारखाने के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आज कोई अनधिकृत व्यक्ति अन्दर जाते हैं, तो इसका कारण सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का अभाव हैं। हम इन कमियों को दूर करना चाहते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें यह पता है कि काशीपुर और इच्छापुर कारखानों के अन्दर जो राजनैतिक नेता आदि जाते हैं, वे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के नेता है और इसलिए प्रबन्धकों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करने की उन्हें स्वाधीनता होनी चाहिये ? मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूँ कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए जाने की वजह से उन पर प्रतिबन्ध नही लगाया जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह कहा है कि सिर्फ अनधिकृत व्यक्तियों को अन्दर जाने से रोका जायेगा, अधिकृत व्यक्तियों को नहीं।

भारतीय विमान के अपहरण के बारे में विदेशों को अवगत कराना

***1216 श्री पी० के० देव :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1971 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार भारतीय विमान

के अपहरण के बारे में विदेशी मिशनों को पूरी तरह अवगत कराने में असफल रही है जबकि पाकिस्तान सरकार ने मध्य पूर्व देशों में तुरन्त हीं इस विषय में एक विस्तृत नोट विभिन्न राजनयिक मिशनों समाचारपत्रों तथा जनता में प्रचारित कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) "टाइम्स आफ इण्डिया" में छपी रिपोर्ट वस्तुतः गलत है। भारत सरकार ने वायुयान अपहरण सम्बन्धी घटना के तथ्यों से पश्चिम एशियाई देशों की सरकारों समेत सभी विदेशी सरकारों और नई दिल्ली स्थित विदेशी मिशनों को, अवगत कराने के लिए तुरन्त कदम उठाये थे भारत के विरुद्ध शत्रुता पर आधारित पाकिस्तान के निरन्तर के विरोध के संदर्भ में यह घटना विस्तार से बता दी गई थी। सभी सम्बन्ध तथ्यों की जानकारी देने के लिए सामान्य राजनयिक माध्यमों के जरिए तथा विदेश मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष मिशन भेजकर इस संबंध में कार्रवाई की गई थी।

श्री पी० के० देव : भारतीय विमान का अपहरण, जिसने हाल ही में पाकिस्तान और भारत के मध्य वैमनस्य पैदा कर दिया था, एक विशेष महत्व रखता है। पाकिस्तान ने विमानों की उड़ान पर रोक लगाने सम्बन्धी मामला सुरक्षा परिषद में उठाया, जो कि भारतीय विमान के अपहरण के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सही कदम था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान ने यह प्रश्न सुरक्षा परिषद में उठाया था तो भारत ने वहां क्या भूमिका अदा की।

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में नहीं गया था। मेरे विचार में सदस्य महोदय का मंतव्य अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से यह शिकायत की थी कि भारत के ऊपर से विमानों की उड़ान को बन्द करने का औचित्य नहीं है। हमने अपना उत्तर दे दिया है तथा इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक आपत्तियां की है। इस बारे में आगे किसी तिथि को चर्चा होगी।

श्री पी० के० देव : भारत सरकार ने पाकिस्तान से अपहृत विमान की क्षतिपूर्ति लेने और अपराधियों को जिनका इस घटना से सीधा सम्बन्ध हैं, वापिस लेने के लिए क्या कार्यवाही की है।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने क्षतिपूर्ति मांगने के अधिकार को सुरक्षित रखा है और यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के समक्ष हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Have they not demanded compansation ?

Shri Swaran Singh : We cannot get anything merely by asking for it.

Shri Hukam Chand Kachwai : Then get it by way of war.

Shri Swaran Singh : All right, you will come to know, when the time comes.

श्री पी० के० देव : मन्त्री महोदय ने अपराधियों के प्रत्यपर्या के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम पाकिस्तान से इन कैदियों को वापिस करने को कह रहे हैं। माननीय सदस्य को निस्संदेह इस बात का पता होगा कि पाकिस्तान ने क्या किया है। उन्होंने एक जांच आयोग उठाया था और उस आयोग ने यह प्रतिवेदन दिया कि यह सब भारत का षड़यन्त्र है,

यद्यपि विश्व में किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया है। परन्तु जांच आयोग ने यही निर्णय दिया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कहा है कि पाकिस्तान द्वारा किया गया यह कार्य स्पष्टतः बहुत अनुचित है और भारत इस पर अपना दावा कर सकता है और उसे अपनी पूरी ताकत से ऐसा करना चाहिए ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां, हमने प्रारम्भिक आपत्ति यह की है कि अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है हम अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सदस्य देशों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और उन्हें अपने विचार बड़े उत्साह तथा प्रभावशाली ढंग से बता रहे हैं।

तेल की खोज के लिए पट्टे

***1221 श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तेल के खोज सम्बन्धी कार्यों और तेल के उत्पादन के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से पट्टा लेना होता है; और

(ख) कितने पट्टे लिए गए तथा कितने पट्टों में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार से उन क्षेत्रों के लिए जो उसके अधिक्षेत्र में हैं और राज्य सरकारों से उन क्षेत्रों के लिए जो उनके अधिक्षेत्र में है।

(ख) (1) इस समय आयोग को 46 क्षेत्रों के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त हैं। अन्य 23 क्षेत्रों के लिए पेट्रोलियम अन्वेक्षण लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकारों के विचाराधीन है। इन 23 क्षेत्रों में से चार क्षेत्रों में राज्य सरकारों ने काम करने की अनुमति दे दी है।

(2) आयोग ने तेल/गैस का उत्पादन आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों को 17 पेट्रोलियम खनन पट्टों के लिए गए आवेदन पत्र भी दिये हैं। औपचारिक खनन पट्टे दिये जाने तक सभी 17 क्षेत्रों में काम करने के लिए अनुमति दी गयी है। चार क्षेत्रों को पूर्णरूप से विकसित कर लिया गया और तेल/गैस का व्यापारिक उत्पादन आरम्भ हो गया है।

श्री डी० डी० देसाई : भू तत्वीय सर्वेक्षण ने इनमें से कितने पट्टों पर कार्य आरम्भ किया और मैं जान सकता हूँ कि क्या उसके कोई परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : वास्तव में भूतत्वीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण 8 स्थानों पर साथ-साथ किया जा रहा है। मेरे पास उन सभी क्षेत्रों के आंकड़े नहीं है, जहां यह कार्य चल रहा है। मैं यह कहूंगा कि जहां तक भूतत्वीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, यह बड़े पैमाने पर चल रहा है।

श्री डी० डी० देसाई : यदि राज्य सरकारें तेल का अन्वेषण और उसका उत्पादन कार्य स्वयं करती हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस पर कोई आपत्ति होगी ?

श्री पी० सी० सेठी यह काल्पनिक प्रश्न है। हमें राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। निर्धारित नीति के अनुसार यह कार्य केन्द्र का है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या जम्मू क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा किये गये कार्य के उपरांत वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है।

श्री पी० सी० सेठी : जी नहीं, वाणिज्यिक स्तर पर कार्य आरम्भ करने का कोई प्रश्न नहीं है, अन्वेषण तथा छिद्रण का कार्य किया जा रहा है।

रक्षा संस्थानों के कैंटीन के कर्मचारी

*1223. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संस्थानों के अधीन कार्य करने वाले केंटीन कर्मचारियों को केंटीन स्टोर विभाग (भारत) के कर्मचारियों के बराबर नही समझा जाता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) उनकी मजूरी तथा सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न रक्षा संस्थानों के कैन्टीनों का कार्य, कैन्टीन स्टोर विभाग के कार्य से भिन्न है और वही स्थिति इन दोनों व्यवस्थाओं के कर्मचारियों की है। इसलिए कैन्टीन के कर्म-चारियों को कैन्टीन स्टोर विभाग (भारत) के कर्मचारियों के बराबर समझने का प्रश्न नही उठता है। तथापि, विभिन्न रक्षा संस्थानों के कैन्टीन कर्मचारियों का वेतनमान, गृह मन्त्रालय द्वार निर्धारित समकक्ष कर्मचारियों के वेतनमान से सामान्यतः अधिक है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें पता है कि औद्योगिक परिषद की बैठक मे, जिसकी अध्यक्षता आयुध कारखानों के महानिदेशक ने की थी, यह सर्वसम्मति से कहा गया था कि कैंटीनों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष समझा जायेगा और उनको अन्य सुविधाएं भी दी जायेंगी, और यदि हां, तो दो बार लिये गये उस निर्णय को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस समय मैं नहीं जानता कि वहां क्या निर्णय लिये गये थे परन्तु मैंने अपने पूरक उत्तर में यह बता दिया है कि इस समय कैंटीनों के कर्मचारियों को सरकारी कर्म-चारियों के समकक्ष नहीं माना जा रहा है। उनको केवल कंटीनों के कर्मचारी ही माना जा रहा है। मेरे पास यही जानकारी है। माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है, मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : औद्योगिक परिषद की बैठकों की अध्यक्षता आपके पूर्वाधिकारी श्री एल०एन० मिश्र और श्री थोमस ने की थी, तो मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या वे आगामी औद्योगिक परिषद की बैठक में, जिसकी वे अध्यक्षता करेंगे, इस मामले पर विचार करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अवश्य।

फाइलेरिया रोग का फैलना

*** 1225. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि फाइलेरिया का रोग, 16 वर्षों के राष्ट्रीय प्रयत्नों के बावजूद, देश में तेज़ी से फैल रहा है और इससे पीड़ित रोगियों की संख्या लाखों में पहुंच गई हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं और रोग को कारगर ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं अथवा करने का विचार है; और

(ग) अब तक क्रियान्वित किये गये कार्यक्रम और उसका वित्तीय परिव्यय क्या है तथा प्रस्तावित कार्यक्रम और उसका वित्तीय परिव्यय क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह विदित हो कि फाइलेरिया देश में तेजी से फैल रहा है। कितने लोगों को फाइलेरिया की बीमारी होने का अंदेशा है तथा फाइलेरिया का प्रकोप कहां तक व्याप्त है इसका अनुमान लगाने के लिये राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वेक्षण किये गये हैं। इन सक्षर्वेणों से मालूम हुआ कि इस समय एक करोड़ 36 लाख लोगों को इस बीमारी के होने का खतरा है जिसमें से लगभग 80 लोगों को आरम्भ से गम्भीर स्थिति तक इस बीमारी के परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

(ख) और (ग) : फाइलेरिया संक्रमण क्यूलेक्स नामक मच्छरों द्वारा फैलता है जोकि पर्यावरणिक सफाई की कमी वाले क्षेत्रों में आमतौर से पाये जाते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में निम्नलिखित उद्देश्य को ध्यान में रख कर शुरू किया :—

(i) फाइलेरिया के संक्रमथ तथा रोग के फैलाव का पता लगाना;

(ii) फाइलेरिया नियंत्रण की कार्य प्रणाली का मार्गदर्शी अध्ययन शुरू करना;

(iii) इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये ऐसे अध्ययनों के परिणामों का मूल्यांकन करना; और

(iv) राज्य कर्मचारियों को फाइलेरिया सम्बन्धी प्रशिक्षण देना;

फाइलेरिया के नियंत्रण के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) आवर्तक लार्वारोधी उपाय के रूप में मच्छर लार्वानाशक तेल का उपयोग;

(2) दीवारों पर कीटनाशक औषधियों का छिड़काव; और

(3) खाइ जान वली डायथिलकार्बेमजोन का व्यापक उपयोग।

यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में रखा गया है। 1955 से 1968-69 तक की अवधि में 881.57 लाख रुपये इस कार्यक्रम पर खर्च किए गए।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये 488 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

Shri Narendra Singh Bist : Will the hon. Minister state the reason for curtailing the amount of expenditure of Rs. 881.57 Lakhs for the period from 1955 to 1969 to Rs. 488 Lakhs when he says that about 8 million people are suffering.

Shri Uma Shankar Dikshit : Sir, It is not a question as to how many people are suffering. Perhaps the hon. Member has not tried to understand it. The filaria mosquito's bite does not show immediate effect. It show effects only when culex mosquito bites 15 thousand times, I asked an expert could any effect take place when it bites 14 thousand times. He replied in the negative. When its effect trues place, it causes elephantiasis or shows sympton of Hydrocele or causes pain in legs due to paucity of blood or poison but this also takes place in a very advanced stage.

It spreads where the drainage system is not proper or much dirty water accumulates or spreading of filth due to the converting of villages into cities or where sanitary system is not satisfactory. It is the nature of culex that it spreads in clean water also in cases once it comes in contact with water.

The figures, which the Hon Member has seen, do not pertain to sick people. We take the populations of an area and on that basis we say that the area is expered to disease. The incidence is higher in Orissa, U.P. and coastel areas like Kerala and Bihar.

Shri Hukam Chand Kachwai : The elephantiasis disease is in existence for the last many years and is increasing day by day and the measures taken have proved unsuccessful. Taking into consideration this disease and its significance, is the provision of additional funds being made ? What is the percentage of success achieved as a result of the measures they have adopted ?

Shri Uma Shakar Dikshit : At present this is on trial. No Specific medicine has been invented so far in the world. The Government oil Companies produce, a kind of larvicidal oil with which we try to stop the desease by mixing it in the water. Giving one injection for elephantiasis, the disease is minimised and it does not advance. Provision of it is being made and, if needed, the Fourth Plan we will increase it. But the main point is that there is no medicine for it and we are conducting Pilot programme, survey and research to this respect.

विदेश प्रचार प्रभाग द्वारा विदेश स्थिति भारतीय मिशनों के साथ सम्पर्क बनाये रखना

***1226. श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विदेश प्रचार प्रभाग विदेश स्थिति भारतीय मिशनों के साथ नियमित रूप से दैनिक सम्पर्क बनाए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रभाग द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रणाली का ब्यौरा है और इन मिशनों के साथ दैनिक सम्पर्क बनाये रखने के लिये उसने किस प्रकार की व्यवस्था की है; और

(ग) कितने मिशनों का इस प्रकार नियमित रूप से सम्पर्क बना हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स, वायरलैस और केबल के जरिए इस तरह का सम्पर्क स्थापित किया जाता है ।

(ग) 61 मिशनों के साथ टेलीप्रिन्टर के माध्यम से, 10 के साथ टेलेक्स, 4 के साथ वायरलैस और 26 के साथ केबल के माध्यम से दैनिक सम्पर्क है और इस तरह इनकी कुल संख्या 101 है ।

श्री एस० राधाकृष्णन : सरकार की कार्यवाही के बावजूद भी विदेशों में स्थित भारतीय

मिशनों का सामान्य कार्यकारण, विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में, जैसा कि इस समय बंगला देश का मामला है, सुचारू नहीं है । क्या माननीय मंत्री भारतीय मिशनों के कार्य में गति लाने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे । जिससे कि राष्ट्रीय आपातकालीन के अवसरों पर उनका कार्य सुचारू हो ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : देश के भीतर घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भारतीय मिशनों को पूर्णतया सूचित रखने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की गई है । माननीय सदस्य के साथ मैं इस बात से सहमत हूं कि यह प्रबन्ध ऐसे दोष-रहित और दक्ष नहीं हैं जैसे होने चाहिये । मन्त्रालय द्वारा उनको सुधारने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री एस० राधाकृष्णन : क्या इन मिशनों में नियुक्ति के लिए सरकार नये पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्तियों की भर्ती करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सरकार का हमेशा ही ऐसा प्रयास रहता है । हम विदेशों में सूचना पदों पर सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं ।

श्री प्रिय रजंन दास मुंशी : अभी हाल में हमारे देश में "शरणार्थी 1971" शीर्षक के वृत चित्र का निर्माण हुआ था जो कि बंगला देश के मामले पर एक बहुत ही प्रभाणिक वृतचित्र है । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह वृतचित्र अथवा इसी प्रकार के वृतचित्र भारत से बाहर सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के लिए हमारे विदेशी प्रचार प्रभागों को भेजे गये हैं ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : बंगला देश के संबंध में अनेक वृतचित्र बनाये गये हैं ओर विदेशों में स्थित विभिन्न मिशनों को भेजे गये हैं ।

श्री प्रिय रजंन दास मुंशी : बंगला देश के मामले के बारे में यह एक मात्र प्रामाणिक वृतचित्र है ।

रोगियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा संस्था, नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्षण

***1228. श्री अमरनाथ चावला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा संस्था ने नई दिल्ली के तीन भिन्न-भिन्न अस्पतालों में रोगियों को राय (ओपिनियन पोल) ली थी;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण के अनुसार रोगियों ने खराब खाना दिये जाने और डाक्टरों आदि द्वारा रोग के बारे में उनको जानकारी न दिये जाने को शिकायतें की थीं;

(ग) उक्त संस्था द्वारा किये गये इस 'ओपिनियन पोल' का अन्य ब्यौरा क्या है और क्या इस संस्था ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०के० किस्कू) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

कुछ रोगियों ने यह महसूस किया कि उन्हे जो खाना दिया गया, वह पौष्टिक था परन्तु वह उनकी इच्छा के अनुकूल तथा स्वादिष्ट नहीं था। कुछ लोगों की शिकायत थी कि उन्हें रोग की ठीक ठीक जानकारी नहीं दी गई परन्तु सर्वेक्षण के अनुसार अधिकाँश रोगी अस्पताल द्वारा दी गई चिकित्सा देख रेख और उपचार से सन्तुष्ट थे। अध्ययन से यह भी विदित हुआ है कि आम धारणा के विपरीत, रोगी, वार्डों और वस्त्रों की सफाई से सन्तुष्ट थे।

रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच कर दिल्ली में अस्पतालों की हालत रोगियों के सन्तोषप्रद स्तर तक सुधारने के लिए सुझाव देने का प्रस्ताव है। यह रिपोर्ट अभी तक औपचारिक रूप से सरकार के पास नहीं भेजी गई है।

Shri Amar Nath Chawla : May I know which are these three hospitals where opinion poll was held. ?

अध्यक्ष महोदय : ये तीन अस्पताल कौन से हैं ?

श्री ए०के० किस्कू : ये तीन अस्पाल तीन विभिन्न वर्गों के थे—एक सरकारी अस्पताल था और दो गैर सरकारी अस्पताल थे। इन अस्पतालों का चुनाव इस प्रकार से किया गया था कि जहां तक संभव हो सके वह अध्ययन निष्पक्ष हो।

Shri Amar Nath Chawla : Was the economic conditions of these private hospitals not good; patients were not geting good medicines and food ? Is the Hon'ble Minister considering to get the Hospitals under Municipal Corporation examined ?

श्री ए०के० किस्कू : इस सर्वेक्षण के कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम निकले है। उदाहरण के रूप में, कुछ विशेष बातों के बारे में सन्तोष प्रकट किया गया है। डाक्टरी चिकित्सा तथा देख भाल, उपचार, डाक्टरों के व्यवहार, रोगियों के प्रति डाक्टरों की रुचि, सफाई आदि के सम्बन्ध में 85 प्रतिशत सन्तोष प्रकट हुआ है। अधिक अवधि के लिए अस्पतालों में ठहरने वाले रोगी अधिक सन्तुष्ट हैं। तथापि कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ असन्तोष भी प्रकट किया गया था। परन्तु सन्तोष की तुलना में असन्तोष बहुत कम था। उदाहरण के रूप में, खाने के संबंध में असन्तोष उसके पोषक तत्वों के बारे में न होकर उसके स्वाद के बारे में था। इसी प्रकार कुछ रोगियों ने उन्हें रोग की ठीक-ठीक जानकारी न दिये जाने के कारण असन्तोष व्यक्त किया। सामान्यता : इस सर्वेक्षण से रोगियों के असन्तोष और सन्तोष के संबंध में विशलेषण प्राप्त हुआ है।

दिल्ली में झुग्गियों और झोंपड़ियों का गिराया जाना

*** 1229. श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उप राज्यपाल, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारियों तथा राजनीतिक नेताओं की हाल ही की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों को तब तक गिराया अथवा हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उन्हें कोई वैकल्पिक आवास तथा पानी और बिजली नहीं दे दी जाती;

(ख) उक्त बैठक में और क्या निर्णय लिये गये;

(ग) क्या इस बीच झुग्गी झोंपड़ियों को पानी और बिजली दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इन गरीब लोगों को कब तक ये प्राथमिक सुविधाएं देने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ०के० गुजराल) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर एक ऐसी बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, परन्तु मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था ।

(ग) उन कालोनियों में, जहां झुग्गी और झोंपड़ी निवासियों को वैकल्पिक स्थल दिए जाते हैं, पानी और बिजली जैसी सुविधायें दी जाती हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri. Sheshi Bhushan : He had Called a meeting of Members of Parliament and officials and it was decided in that meeting not to demolish Jhuggi-Jhoupris any more a definite date had also been given by which it was proposed to provide Electricity and water in Jhuggi-Jhoupri areas. May I know as to how many Jhuggi-Jhoupri areas have been provided with Electricity and water after that meeting ? I think water has not been provided even in one per cent areas. May I know what arrangements are being made in this regard and whether he would pay an occasional visit to such areas and when the next meeting would be called ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं । जहां तक झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों के मेरे दौरे का सम्बन्ध है मैं अपने मित्र को सूचित कर दूं कि मैं यह दौरा कर रहा हूँ । जहाँ तक सुविधाओं के पहलू की बात है यह दी जा रही हैं । वित्त की कुछ कठिनाइयां हैं । जहां तक तीसरे पहलू अर्थात झुग्गियां-झौपड़ियाँ गिराने की बात है । हमारी नई नीति तथा विचार यह है कि हम लोगों के काम-काज के स्थानों के निकट ही उन्हें जगह देने की कोशिश करते हैं । हमारा दृष्टिकोण सहानुभूति तथा मानवता की भावना से पूर्ण है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Ouestions

दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की उपस्थिति के बारे में विश्व न्यायालय का फैसला

***1201. श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेग स्थित विश्व न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका की उपस्थिति अवैध है तथा उक्त क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया जाना चाहिए ;

(ख) क्या दक्षिण अफ्रीका ने इस सम्बन्ध में विश्व न्यायालय के निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भारत ने कोई सुझाव दिये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 21 जून 1971 को सलाह के रूप में व्यक्त अपने अभिमत में कहा था कि नाम्बिया में दक्षिण अफ्रीका की उपस्थिति गैर कानूनी है ।

(ख) अखबारी खबरों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने न्यायालय के सलाह के रूप में दिये गये इस अभिमत को अस्वीकार कर दिया है।

(ग) भारत ने सुझाव दिया है कि सुरक्षा परिषद को नाम्बिया में दक्षिण अफ्रीका की गैर कानूनी उपस्थिति को समाप्त करने के लिए पहले से लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति हेतु अब कार्यवाही करनी चाहिए ताकि नाम्बिया के लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सुविधा मिल सकें।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा पहिये वाले ट्रैक्टरों का उत्पादन

*1204. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने यूगोस्लाविया के मैसर्स रडोज डाक्कि के साथ तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत पहिये वाले ट्रैक्टरों का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने ट्रैक्टरों का उत्पादन किया जायेगा; और

(ग) क्या किसानों को खुले बाजार में ये ट्रैक्टर उपलब्ध होंगे तथा उनका मूल्य क्या होगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी हां।

(ख) 50 की संख्या में प्रतिवर्ष।

(ग) यह ट्रैक्टर मुख्यतः मिट्टी हटाने, मिट्टी लादने और मिट्टी खोदने के लिए है। उच्च क्षमता की मशीन (130 हार्स पावर) होने के कारण इसे सामान्य कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है। यद्यपि इस उपकरण को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर, से खरीदा जा सकता है। अन्य साज समानों के अतिरिक्त, इस ट्रैक्टर का वर्तमान मूल्य लगभग 3,80,000 रुपये है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा अपहरण किये गये भारतीय पत्रकारों की रिहाई

*1205. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता से निकलने वाले समाचार पत्र 'अमृत बाजार पत्रिका' से सम्बद्ध दो पत्रकारों, श्री दीपक बनर्जी और उनके सहयोगी श्री सुरजीत, जिनका पाकिस्तानी सेना द्वारा अपहरण कर लिया गया था, की रिहाई के लिये फिर से प्रयत्न किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनकी सुरक्षा के बारे में पता लगाया है; और

(ग) क्या सरकार ने इन दोनों अपहृत भारतीय पत्रकारों की सुरक्षा और रिहाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ से पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालने के लिए कहा है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : 1 जून 1971 को पाकिस्तान सरकार के पास एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया था कि जिसमें उनसे यह कहा गया था कि दो पत्रकारों का अपहरण करने से सम्बद्ध विरोध पत्र तथा भारत में उनकी सकुशल वापसी के अनुरोध का वे उत्तर दें। पाकिस्तान सरकार ने अब तक कोई उत्तर नहीं भेजा है।

(ग) जी नहीं।

वर्मा आयल कम्पनी का कान्टीनेन्टल आयल कम्पनी के साथ विलय

***1211. श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बर्मा आयल कम्पनी, लन्दन और कान्टीनेन्टल आयल कम्पनी के विलय की बातचीत असफल हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) एक नई बहु-राष्ट्रीय कम्पनी में अपनी परिसम्पत्ति एवं परिचालनों का संयोजन करने के लिए, बर्मा आयल कम्पनी ने न्यूयार्क की काण्टीनेन्टल आयल कम्पनी के साथ बातचीत प्रारम्भ की थी। किन्तु यह बातचीत समाप्त हो गई है क्योंकि कम्पनियां संयोजन के लिए एक आपसी स्वीकार्य आधार विकसित करने में समर्थ नहीं हुई हैं।

परिवार नियोजन शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

***1212. श्री एस०एस० महापात्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करना फिर से आरम्भ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, जिसे पिछले कई वर्षों से बन्द कर दिया गया था; और

(ख) क्या उक्त योजना इस कारण समाप्त कर दी गई थी कि इससे परिवार नियोजन शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई थी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

(क) इस योजना को, जिसे 31 मार्च, 1969 को समाप्त कर दिया गया था, पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) परिवार नियोजन संगठन का विस्तार हो जाने पर इस योजना को चालू रखना आवश्यक नहीं समझा गया।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन जाँच आयोग

***1213. श्री भोगेन्द झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन जांच आयोग को सम्बन्धित दस्तावेजों वाली फाइल के स्थान पर एक जाली फाइल दी गई थी और

(ख) यदि हां तो इसके लिये किसको उत्तरदायी ठहराया गया है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह मामला जांच आयोग के पास है और वे इसकी जांच कर रहा है। तथापि, आयोग से

सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था और उसने सरकार को सूचित किया है कि भारतीय तेल निगम द्वारा आयोग के समक्ष प्रारम्भ में प्रस्तुत की गई फाईल के सही स्वरूप तथा प्रकार का प्रश्न न्यायाधीन है।

(ख) इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

अग्रिम क्षेत्रों पर नियुक्त सैनिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध किया जाना

***1214. श्री रामसहाय पांडे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम क्षेत्रों अथवा सीमा क्षेत्रों पर नियुक्त सैनिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और आपात काल में इलाज आदि के लिए उन्हें दूर स्थित अस्पतालों में ले जाया जाता है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि उन क्षेत्रों में शल्य चिकित्सा के आधुनिक उपकरणों सहित पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग) : अग्रिम एवं सीमा क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें, आधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें शल्य उपकरण शामिल है, सशस्त्र सेना कार्मिकों को उपलब्ध है। वैसे मामले, जिसमें लम्बी अवधि के उपचार की आवश्यकता होती है, यद्यपि, पीछे के अस्पतालों में भेज दिया जाता है।

दिल्ली में चिकित्सा पर अधिक व्यय

***1217. श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1971 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'दी ट्रेंड इन ह्यूमन मिजरी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राजधानी में रोगों के विशेषज्ञों से परामर्श लेने तथा उपचार कराने पर बहुत अधिक व्यय आता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है जिससे लोगों को राजधानी में उपचार पर कम व्यय करना पड़े।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) :

(क) जी हां।

(ख) देश में विशेषज्ञों अथवा निजी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली फीस को नियन्त्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है। भारत सरकार/दिल्ली प्रशासन अपनी ओर से राजधानी में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। कतिपय क्षेत्रों में जनता, पेन्शनरों तथा बहुत से अर्ध सरकारी संगठनों/नियमों के कर्मचारियों पर भी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना लागू कर दी गई है। ये विस्तृत सुविधायें राजधानी में उपचार पर होने वाले खर्च को कम करने में सहायता देते हैं।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई

*** 1218. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीकी सरकार से अपने उस नोट का उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें अमरीकी सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र भेजना मंसूख कर दे;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) कौन-कौन से घातक शस्त्रास्त्र भेजे जा रहे हैं और क्या अमरीकी सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को और शस्त्रास्त्र नहीं भेजे जायेंगे ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अमरीकी सरकार ने हमें सूचित किया है कि इस समय पाकिस्तान को जो सैनिक उपस्कर भेजे जा रहे हैं वे उनकी अप्रैल 1967 की नीति के अन्तर्गत भेजे जा रहे हैं जिसमें गैर मारक उपस्कर और पहले सप्लाई किए गए मारक उपस्करों के फालतू पुर्जे सप्लाई करने की व्यवस्था है। अमरीका सरकार ने इस आशय का कोई आश्वासन नहीं दिया है कि 25 मार्च, 1971 से पहले जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर और शस्त्रास्त्र नहीं भेजे जायेंगे।

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीत पोषाहार संस्थान के पोषाहार पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए समझौता

*** 1219. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान में पोषाहार पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद को 1972 के अन्त तक तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देने के बारे में इस समय विश्वस्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के बीच एक समझौता है। उपस्कर, सामान और वित्तीय अनुदानों के लिए अधिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था के निमित्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब यूनिसेफ को इसमें सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। इस समझौते पर विचार किया जा रहा है। अगर यह मान लिया गया तो यह पीछे 1971 की उसी तारीख से लागू होगा।

(ख) इस समय राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। इनमें से एक तीन महीने का पोषण सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है और दूसरा नौ महीने का एम०एस० सी० (व्यावहारिक पोषण) डिग्री पाठ्यक्रम।

प्रस्तावित समझौते के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन 1971, 1972 और 1974 में

परियोजना अवधि के दौरान प्रतिवर्ष एक अल्पकालिक परामर्शदाता भेजेगा। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन इस संस्थान की मांग के अनुसार औजार, प्रयोगशाला उपस्कर, कांच का सामान, रसायन प्राप्त करने के लिए 1971 से 1974 के दौरान 12,000 डालर का वार्षिक अनुदान देगा; संस्थान के शिक्षकों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने के लिए 1971 में 24 महीने की अवधि की एक शिक्षावृत्ति देगा और 1973 तथा 1974 में 12 महीने के लिए एक शिक्षावृत्ति देगा। उधर यूनिसेफ अपनी ओर से 1971-74 के दौरान भाड़े सहित 90,000 डालर के अनुमानित मूल्य के उपस्कर, सामान और वित्तीय अनुदान देगा। भारत सरकार कार्यालय के लिए स्थान, कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए कार्य स्थान पर और देश के भीतर (जिसमें घर से दफ्तर और वापिस आना सम्मिलित है) परिवहन, शिक्षण कार्य पर लगे कर्मचारियों को अंश कालिक वेतन और भत्तों; प्रयोगशाला सुविधाओं, छात्रावास और उपस्कर तथा गाड़ियों के रख रखाव और चालू खर्च की व्यवस्था करेगी।

बंगला देश की घटनाओं से विदेशी दूतावासों मिशनों को अवगत कराया जाना

***1220. श्री इन्द्रजीत गुप्तः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय बंगला देश की घटनाओं के आरम्भ से उनके सम्बन्ध में दिल्ली में स्थित केवल कुछ बड़े देशों के दूतावासों को ही नियमित रूप से अवगत कराता रहा है;

(ख) क्या छोटे देशों के अन्य राजदूतावासों/दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों को बंगला देश सम्बन्धी सूचना अपने राजनयिक साधनों अथवा समाचार पत्रों से एकत्र करनी पड़ती है;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके मंत्रालय के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से बहुत-से दूतावासों में नाराजगी है; और

(घ) यदि हां, इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी नहीं। नयी दिल्ली स्थित मिशनों को बंगला देश की समस्या के सही स्वरूप के बारे में यह नियमित रूप से बताया गया है जो तथ्य यह है कि स्थायी समाधान तभी सम्भव है जब पश्चिम पाकिस्तान पूर्व बंगाल की जनता द्वारा अभिव्यक्त मत का सम्मान करे। पाकिस्तानी सेना के आतंक से भागकर निरन्तर आनेवाले शरणार्थियों को किसी तरह रखने से हम पर जो बोझ पड़ा है और भारत में जो तनाव उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में भी राजनयिक मिशनों को बताया गया है। उन्हें यह ध्यान दिलाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में आस्था रखने के कारण हम शरणार्थियों को रख रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसी स्थिति उत्पन्न करानी चाहिए जिससे सम्मान और सुरक्षा के वातावरण में शरणार्थी अपने घर-परिवार को वापिस हो सकें।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

Rise in prices Sulpha and other Drugs

***1222. Shri Phool Chand Verma :** will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether medicines, whose prices have been reduced by Government by 40 per cent to 50 per cent, are not available to the common man;

(b) whether there is widespread. Discontentment amongthe people belonging to middle and poor classes due to the increase in prices of all the sulpha drugs and drugs for cure of stomach-ache and T. B.; and

(c) if so, the measures taken by Government to ensure availability of drugs to all, keeping in view the position stated above?

The Minister of Petroleum and Ch micals (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. From the reports received, there does not appear to be any shortage of drugs in which there have been sizeable reduction in prices.

(b) There has been some increase in the price of shorter acting sulpha drugs due to higher costs of indigenous production of bulk drugs and also increase in the c. i. f. price of certain imported drugs like sulphadiazine. The prices of some of the long acting sulpha drugs have however registered a decrease. There has been some increase in the price of anti-T. B. drugs due to higher costs of intermediates produced indigenously. For stomach-ache, there are a number of drugs in the market; while the prices of some have come down, the prices have increased in some other cases. This is mainly due to the high cost of indigenous production. No reports of wide-speard discontent among the people belonging to middle and poor classes have been received by the Government.

(c) Government have taken steps to ensure adequate supplies of these medicines in the market by stepping up production and also importing bulk drugs wherever necessary.

बंगला देश के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए विदेशों का प्रस्ताव

***1224. श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के प्रश्न पर कुछ देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) विदेशी सरकारें यह जानती हैं कि बंगला देश में असली मसला यह है कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों से बंगला देश के लोगों की वैध आकांक्षाओं का सम्मान करवाया जाए। इस तरह बंगला देश का मसला पाकिस्तान के सैनिक शासकों और बंगला देश के लोगों के स्वतंत्र रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच तय होना है और इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की मध्यस्थता का सवाल नहीं उठता।

प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए जज एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताएं

***1227. श्री झारखण्डे राय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों सेनाओं के मुख्यालयों में जज एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन नियुक्तियों के लिए क्या कानूनी अर्हताएं निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या तीनों सेनाओं के मुख्यालयों में इस पद पर चयन किए जाने वाले अधिकारियों की श्रेणी और निर्धारित अर्हताओं के बारे में समानता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) थल सेना एवं वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के हेतु औपचारिक रूप में कोई विधि-विषयक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन वास्तविक व्यवहार में केवल ऐसे अफसरों की, जो कि इस उद्देश्य से आयोजित विभागीय परीक्षा में योग्य घोषित किए जाते हैं, नियुक्ति इन पदों पर की जाती है। नौ सेना में, यद्यपि, विधि-विषयक योग्यता निर्धारित की गई हैं, देखें सेक्शन 168(3), नेवी एक्ट, 1957। नौ सेना में न्यायिक कार्यालय का या उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव आवश्यक है। आर्मी एक्ट और एयर फोर्स एक्ट् 1950 में पारित हुआ था, जब कि नेवी एक्ट् 1957 में पारित हुआ था। इन तीनों एक्टों के अनेक धाराओं में एक रूपता लाने का जिसमें जज एडवोकेट जनरल के लिए योग्यता की सामान व्यवस्था भी शामिल है, विस्तृत प्रस्ताव विचाराधीन है।

कैंसर तथा गठिया रोग के लिए नागों 'कोबरा' के विष का प्रभाव

***1230. श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई में कैंसर अनुसंधान संस्थान में किए गए प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि कुछ प्रकार के कैंसर रोगों तथा गठिया (अर्थ-राइटिस) रोग को ठीक करने के लिए 'कोबरा' के विष का प्रभावशाली रूप में प्रयोग किया जा सकता है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : कैंसर अनुसंधान संस्थान, बम्बई में किए गए एक अनुसंधान के अनुसार कोबरा के विष के शुद्ध तत्व से कतिपय पशु अर्बुदों के बढ़ने से रोका जा सका है। अभी तक आदमियों पर इसका परीक्षण नहीं किया गया है। फिर भी बताया गया है कि कोबरा के कच्चे विष को पतले घोल के रूप में देने से गठिया (अर्थ-राइटिस) और कैंसर के कारण होने वाली पीड़ा कम हो सकती है।

गुजरात पेट्रोलियम रसायन समूह के डाउन स्ट्रीम यूनिटों को लाइसेंस देना

***1069. श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात पेट्रोलियम रसायन समूह के इन डाउन स्ट्रीम यूनिटों के नाम क्या हैं जिनको लाइसैंस तथा पूरी स्वीकृति दे दी गई है और उन यूनिटों के नाम क्या है जिनको लाइसेंस तथा स्वीकृति नहीं दी गई; और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उन एककों को जिनको लाइसेंस तथा स्वीकृति नहीं दी गई है लाइसेंस तथा स्वीकृति कब दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पहले से ही लाइसेंसकृत उत्पादक यूनिट जिनमें से प्रत्येक यूनिट 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का है, बैंजीन, टोल्यून, कैप्रोलेक्टम, नायलोन वस्त्र फिलामेंट धागा, नायलोन तन्तु और औद्योगिक रज्जु (कार्डेज), मैलिक एनहाइड्राइड, आर्थोक्जाइलीन, पैराक्जाइलीन, मिश्रित एक्जाइलीन्ज, डी०एम०टी०, पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर्स, पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न, फीथालिक एनहाइड्राइड,

एथिलीन, प्रोपिलीन पोलिग्रर ग्रेड प्रोपिलीन वाणिज्यिक श्रेणी का प्रोपलीन, प्रोपिलीन बूटाडाइन और सश्लिष्ट प्रक्षालकों के निर्माण के लिए हैं।

एक्रीलोनीट्राइल, पोलीबूटाडाइन, पांलीथिलीन, पोलोप्रोपिलीन, एथिलीन, ग्लाईकोल, एक्रिलिक तन्तु, डैटरजैण्ट एल्किलेट, मैथाईल मेथाक्रीडलेट, और टोल्यून डी आइसोसाइने के निर्माण के लिए स्वीकृतियां दी गई हैं।

अधिक संख्या में यूनिटों, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1 करोड़ रुपये से कम हैं, को भी लाइसेंस दिए गए हैं।

पोलिएस्टर फिल्म के निर्माण और एस्नायलोन तथा पोलिएस्टर फ़िलामेंट यार्न एवं नायलोन टायर कौर्ड जैसे अन्य मदों के उत्पादन में और वृद्धि करने के प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं और उनमें से कुछ को शीघ्र ही स्वीकृति दी जाने की आशा है।

Audit of Accounts Relating to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi.

5166. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister **Health and Family Planning** be pleased to state .

(a) Whether the accounts of the grants given to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi during 1955-56, 1962-63, 1963-64 and 1964-65 were not got audited by Government;

(b) whether certain amounts of loans advanced by the Trust during 1961-62 and 1962-63 have not been recovered so far; and

(c) if so, whether copies of the Audit Reports together with the details in regard to names and addresses of the debtors. the amounts of the loans advanced, the amounts of the loans recovered and the final dates of recovery of loans would be placed on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D.P. Chattopadhyaya) : (a) The accounts of the grants given to the All India Blind Relief Society, Lajpat Nagar, New Delhi, which was at that time running this hospital, relating to the years 1954-55 to 1956-57 were audited by the Accountant General, Central Revenus. The grants to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust during the years 1962-63 to 1964-65 were reported to be utilised by the institution for the purposes for which they were sanctioned. The institution for the purposes for which they were sanctioned. The institution furnished the utilisation documents duly certified by the Chartered Accountant in respect of these grants and on the basis of these documents the unilisation certificates were issued to audit. The accounts of the grants given to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust during 1962-63 to 1964-65 were, therefore, not audted by a Government auditor.

(b) A loan amounting to Rs. 30,938.46 was advanced during 1961-62 to All India Blind Relief Society, has not been recovered so for. Details of other loans and other advances are being collected.

(c) Information is being called for from the Delhi Administration. The information when received will be laid on the Table of the Lok Sabha.

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, नई दिल्ली को कारण बताओ नोटिस

5167. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के 'विजलैंस सैल' ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों, नई दिल्ली को कोई कारण बताओ नोटिस दिया है कि उसने दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम का और "सुन्दर नगर में अपना कार्यालय बना कर रिहायशी मकानों का तथाकथित दुरुपयोग" करके मास्टर प्लान दिल्ली का उल्लंघन किया है;

(ख) उनके मंत्रालय के अधीन दिल्ली में सरकार के कौन से दूसरे विभागों को इस प्राधिकिरण की ओर से ऐसे ही स्थान खाली करने के नोटिस दिये गये हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे सभी कार्यालय दिल्ली के वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थानांतरित किये जायें, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन किसी दूसरे कार्यालय को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी सरकारी विभागों/कार्यालयों को व्यापारिक क्षेत्रों/डिस्ट्रिक्ट सेन्टरों में व्यापारिक प्लाटों/फ्लैटों को किराये पर लेने/खरीदने की सलाह दी है।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के उत्पादन में कमी

5168. श्री अनन्तराव पाटिल : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उत्पादन में कमी के कारण हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, लिमिटेड को विदेशों से पैनिसिलिन का आयात करना पड़ता है; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान प्रतिजीवी लि० (हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०) के उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार है :

मद	यूनिट	1968-69	1969-70	1970-71
		के दौरान उत्पादन		
पैनसिलीन	एम०एम०यू०	55.78	60.34	58.27
स्ट्रैप्टोमाइसीन	किलोग्राम	70253	83138	60963
शीशी भरना (बायलिंग)	लाख	406.19	522.19	519.54

1969-70 की तुलना में 1970-71 में उत्पादन में कमी के निम्नलिखित कारण थे :—

(1) बार बार बिजली में खराबी आना।

(2) मशीनों की खराबी होना।

(3) सोडियम पैनसिलीन की रद्दगी (अस्वीकरण) में अधिक प्रतिशतता।

(4) सोयबीन मील की, जो स्टैंटोमाइसीन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, उत्तम किस्म का अभाव।

(5) शीशी भरण की संक्रिया में सोडियम पैनसिलीन के निर्जीवता से संबंधित समस्याएं।

(ग) 1970 में विभिन्न यूनिटों द्वारा सारे देशीय उत्पादन में कमी के कारण राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुछ पैनिसिलीन का आयात किये जाने का निर्णय किया गया था।

(घ) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा रहे है।

(1) पैनसिलीन संयंत्र में आवश्यक संशोधन करना ताकि रद्दगी (अस्वीकरण) में कमी लाई जा सके।

(2) एक निवारण देख रेख कार्यक्रम को कार्यान्वित करना तथा आवश्यक प्रतिस्थापनों को लागू करना ताकि मशीन में बार बार होने वाली खराबियों पर नियंत्रण किया जा सके।

(3) स्टैप्टोमाइसीन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्तम किस्म के सोयबीन मील का आयात तथा नवीनतम परीक्षणों के अनुसार देशीय सामग्री को तैयार करना।

(4) शीशी भरण की संक्रियाओं में रद्दगी की प्रतिशतता में कमी लाने के लिए, प्रमुख संशोधनों एवं दृढ़ प्रक्रिया नियंत्रण सहित विभिन्न सही तरीकों को लागू करना।

केरल में तेल-शोधक कारखाना

5169. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में कोई तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी

5170. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि आन्ध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सरकार को आन्ध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कावेरी, कृष्णा, गोदावरी तथा महानदी नदियों के बेसिन में तेल की खोज

5171. श्री बी०एस० मूर्ति : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के बेसिन में तेल की खोज का कार्य आरम्भ किया गया था और

(ख) यदि हां, तो खोज कार्य कब तक किया गया था और उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) कावेरी तथा कृष्णा गोदावरी थालाओं में अन्वेषण कार्य क्रमशः 1958-59 तथा 1959-60 के क्षेत्रीय मौसमों में शुरू हुआ था । यह कार्य अभी भी चल रहा है । महानदी थाले में, अन्वेषण कार्य पहले 1958-59 और 1963-64 के क्षेत्रीय मौसमों में किया गया था । तत्पश्चात् कार्य 1965-66 के क्षेत्रीय मौसम में पुनः शुरू किया गया था और तब से प्रत्येक क्षेत्रीय मौसम में किया जा रहा है । कावेरी थाले में, भूकम्पीय सर्वेक्षणों से केराइक्ल, तिरुथुरायपुण्डी, नागापट्टिनम, तिरुपुण्डी, मदनम, चिदाम्बरम, सालियामंगलम, पण्डानुल्लूर तथा वीरानम इसी क्षेत्र में संरचनाओं, की मालूमात तथा चित्रण हुआ है । पण्डानुल्लूम की संरचना, जहां इस समय व्यधन हो रहा है, और वीरानम इसी क्षेत्र की संरचना, जिसका अभी व्यधन होना है, के सिवाये सभी संरचनाओं का व्यधन द्वारा परीक्षण किया गया है । यद्यपि केराइकल संरचना पर खोदे गये एक कुएं तथा मदनम एवं चिदम्बरम संरचनाओं पर खोदे गये कुओं में गैस की विद्यमानता के चिन्ह मिले हैं, किन्तु इन चिन्हों से किसी व्यापारिक महत्व के तेल गैस के भंडार नहीं मिले । अब तक खोदे गये अन्य 12 गहरे कुओं अथवा 10 संरचनात्मक कुओं में से किसी में तेल अथवा प्राकृतिक गैस की विद्यमानता के चिन्ह नहीं मिले हैं । कृष्णा-गोदावरी तथा महानदी थालों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों से अभी तक किन्हीं अनुकूल संरचनाओं की विद्यमानता का पता नहीं लगा है । अतः इन थालाओं में अभी तक व्यधन कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

गौतम नगर कालोनी, नई दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई

5172. चौधरी दलीपसिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौतम नगर कालोनी, नई दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई के लिए वहां के निवासियों ने बार बार अभ्यावेदन किया है क्योंकि स्थानीय पानी पीने योग्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस कालोनी की जलपूर्ति एवं मल निष्कासन तथा अन्य सुविधाएं देने के प्राक्कलन पहले ही तैयार कर लिए हैं।

डा० भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली

5173. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 17 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर के अनुसार पट्टे की शर्तें लागू करने की दिशा में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) से (ग) प्रश्नाधीन भूमि आल इंडिया ब्लाइन्ड रिलीफ सोसाइटी द्वारा, एक पंजीकृत विलेख द्वारा वापिस कर दी गई है। इसे अभी तक डा० भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट को आवंटित नहीं किया गया है और इस प्रकार यह भारत के राष्ट्रपति के नाम है।

बिना आवंटन के ट्रस्ट द्वारा भूमि का दखल अनधिकृत है तथा उनसे क्षति आदि की वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के पुनः वैधकरण के उपरान्त की जायेगी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1971 के सत्र के अध्यक्ष पद के लिये इंडोनेशिया के विदेश मंत्री का उम्मीदवार होना

5174. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1971 के सत्र के अध्यक्ष पद के लिये उम्मीदवारों में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री श्री आदम मलिक भी हैं; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र के एशियाई ग्रुप ने, जिसमें भारत भी शामिल है सर्वसम्मति से उनके नाम का समर्थन किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा एक जर्मन फर्म के सहयोग से टेलीविजन स्टुडियो उपकरणों और परिषण उपकरणों का निर्माग किया जाना

5175. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने टेलीविजन स्टुडियो के उपकरणों और टेलीविजन परिषण उपकरणों का निर्माण आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस परियोजना का कार्य एक जर्मन फर्म के सहयोग से किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सहयोगी फर्म का नाम क्या है; और

(घ) यह परियोजना लगभग कब से कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) जी हां।

(ख) और (ग) : टेलीविजन स्टुडियो के उपकरणों के लिए तकनीकी सहयोग मैसर्स फारन्सेह, पश्चिम जर्मनी, से लिया जा रहा है और टेलीविजन परिषण उपकरणों के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग जापान की मैसर्स निप्पन इलैक्ट्रिक कम्पनी के साथ है।

(घ) परियोजना का कार्य आरम्भ हो चुका है और इन उपकरणों का उत्पादन 1972-73 में आरम्भ होने की आशा है।

बंगला देश के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव

5176. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के सम्बन्ध में एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है जिसमें राजनीतिज्ञों, विद्वानों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्लैसरीन की कमी

5177. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैसरीन की भारी कमी है जिसके कारण निर्माताओं को टुथपेस्ट के उत्पादन में विवश होकर 25 से 30 प्रतिशत तक कमी करनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) ग्लैसरीन की सप्लाई सामान्य करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : साबुन का उत्पादन घट जाने और साबुन तथा चर्बीदार अम्ल के उत्पादन में 1970 में घटिया तेलों और चर्बीदार पदार्थों के अधिक प्रयोग के कारण ग्लैसरीन का उत्पादन 1969 में 11,000 मीटरी टनों से घट कर 1970 में 10,000 मीटरी टन रह गया था। इस कमी और बढ़ती हुई मांग से इस पदार्थ की कुछ कमी हो गई है। ग्लैसरीन के उपयुक्त मात्राओं में न मिलने के कारण दंत मंजन के कुछ निर्माताओं ने भी दंत मंजन (पेस्ट) के उत्पादन को बनाये रखने में कठिनाई व्यक्त की है।

(ग) वास्तविक उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक आवश्यकता तथा स्थानीय सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिये ग्लैसरीन के आयात की अनुमति दी जा रही है।

गृह निर्माण सहकारी समितियां

5178. श्री राबिन ककोटी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में (एक) औद्योगिक और (दो) निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये गृह निर्माण हेतु आसाम राज्य सरकार को कुल कितनी राशि दी गई;

(ग) क्या आसाम सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो आसाम सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) निर्माण और आवास मंत्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं के बारे में सहकारी आवास निर्माण सोसाइटियों के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना में किसी विशिष्ट राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। इन योजनाओं के अन्तर्गत आवास निर्माण सहकारिताओं को वित्तीय सहायता आदि राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की जाती है, जो ऐसी सहायता की राशि का निर्धारण अपनी चौथी योजना में आवास के लिए कुल प्लान सीमा के अध्यधीन स्वयं करती हैं।

(ख) प्लान में आवास के अन्तर्गत किसी राज्य के लिए योजना-वार राशियों का उल्लेख

नहीं है । तथापि असम सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना तथा निम्न आय वर्ग आवास योजना के कार्यान्वियन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 17.00 लाख रुपये और 47.00 लाख रुपये का प्रस्ताव किया है ।

(ग) असम सरकार द्वारा निर्माण और आवास मंत्रालय को ऐसी कोई योजना नहीं भेजी गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नामरूप उर्वरकों की वितरण एजेंसियाँ

5179. श्री रबिन ककोटी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम की फर्टीलाइजर्स नामरूप यूनिट की वितरण एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन वितरण एजेंसियों को प्रति टन कितना कमीशन दिया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) वितरण एजेंसियों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

1. एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (असम)
2. मैसर्स ओ नैल एण्ड कम्पनी
3. ,, इण्डियन फर्टीलाइजर्स
4. ,, उमराज चौथमल
5. ,, आर०सी० मित्तर एण्ड कम्पनी
6. ,, गनेश एक्सपोर्ट एण्ड ट्रान्सपोर्ट
7. ,, खतान एण्ड सन्स
8. ,, असम फर्टीलाइजर्स
9. ,, ब्रह्मपुत्र फर्टीलाइजर्स
10. ,, ए० तलुकदार एण्ड कम्पनी
11. ,, घोशाल बैनर्जी एण्ड कम्पनी
12. ,, शा वैलेश एण्ड कम्पनी
13. ,, बी०सी० पाल एण्ड कम्पनी
14. ,, मकनेल एण्ड कम्पनी
15. ,, आर०एन० चटर्जी एण्ड कम्पनी
16. ,, जारडिन हण्डर्सन लि०
17. ,, एसोशियेटेड इण्डस्ट्रीज
18. ,, बेरिया ब्रादर्स
19. ,, रेलिस इण्डिया लि०

20. ,, एम०एन० नन्दी
21. ,, सेनेराम डूँगरमल
22. ,, रामकुमार शोचन्द राय एण्ड कम्पनी
23. ,, मेन्थोर सप्लाई एजेंसी
24. ,, एम०डी० अग्रवाल
25. ,, स्टील डिस्ट्रीब्यूटर्स
26. ,, लक्ष्मीनारायन ताराचन्द
27. ,, दाल चन्द नाँगलमल्ल
28. ,, हनुमान बक्स सीताराम
29. ,, निर्मल मिमलिन्धा एण्ड कम्पनी
30. ,, असम एग्रो-कैमिकल इण्डस्ट्रीज

(ख) दी जाने वाली कमीशन निम्नप्रकार है:-

उर्वरक		कमीशन
अमोनिया सल्फेट	रुपये	30.00 प्रति मीटर टन
कृषि में प्रयोग के लिये यूरिया	,,	60.00 ,, ,,
चाय बागान में प्रयोग के लिए यूरिया	,,	50.00 ,, ,,

मिट्टी का तेल और पैंट्रोल बेचने के लिए बेरोजगार शिक्षित युवक सहकारी समितियों की एजेंसी का स्थापित किया जाना

5180. श्री राबिन ककोटी : क्या **पैंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी का तेल, पैट्रोल और उर्वरक बेचने के लिए बेरोजगार शिक्षित युवक सहकारी समितियों की एक एजेंसी स्थापित करने का कोइ प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलिय और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) **और** (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, भारतीय तेल निगम के पास बेरोजगार स्नातकों को फुटकर विक्रय पम्पों की एजेंन्सियां, मिट्टी का तेल, लाइटडीजल आयल की एजेंन्सियां और इण्डेन गैस की एजेंन्सियां देने की एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत उन सहकारी सोसाइटियों को, जिनके सदस्य इन्जीनियरिंग स्नातक, इन्जीनियरिंग डिप्लोमा-होल्डर्स/साधारण स्नातक हैं तथा जहाँ पर एजेन्सी से पूर्वानुमानत आय कम से कम 1,500 रुपये प्रतिमास होने की सम्भावना हैं, प्रवरता दी जाती है। इस योजना के अनुसार, एजेंन्सी के अनुमानित लाभों पर निर्भर रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति या सांझेदारों या सहकारी सोसायटियों से प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित करते हुए नोटिस प्रैस (समाचार पत्रों) में प्रकाशित किये जाते हैं। एक चयन समिति, एजेंन्सियों को देने के लिए निर्धारित कसौटी के आधार पर प्राथियों की उपयुक्तता का निर्णय करती है। बेरोजगार स्नाताकों को विपणन की तकनीकियों का

प्रशिक्षण देने तथा उर्वरकों की एर्जेन्सियाँ देने के लिए भारतीय उर्वरक निगम लि० की भी एक परियोजना चल रही है।

दामोदर बेसिन (पश्चिम बंगाल) में खोज संबंधी छिद्रण कार्य

5182. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पश्चिम बंगाल के दामोदर बेसिन में अपने अपूर्ण खोज संबंधी छिद्रण कार्य के दौरान मैसर्स स्टेनवक द्वारा एकत्रित आँकड़ों पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड के भूवैज्ञानिक और भू-भौतिक विशेषज्ञों ने विचार कर लिया है,

(ख) क्या भारतीय तथा रूसी विशेषज्ञ अमरीकी कर्म द्वारा एकत्रित पुराने आंकड़ों की अपनी नई व्याख्या के बारे में बहुत आशावादी है, और

(ग) क्या सरकार आगामी सर्दियों में पश्चिमी बंगाल के गालसी, बोलपुर और नावाग्राम क्षेत्रों में खोज संबंधी छिद्रण कार्य पुनः आरम्भ कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) और (ख) : तेल एवं प्राकृतिक गैस और आयोग के साथ संलग्न रूसी विशेषज्ञों की सहायता से उक्त आयोग के भूगर्भीय एवं भू-भौतकीय विशेषज्ञों द्वारा पश्चिम बंगाल में इण्डो-स्टेनविक पैट्रोलियम प्रायोजना के अन्तर्गत स्टेनविक द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों का पुनरीक्षण किये जाने से ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में पैट्रोलियम की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए इस का और अन्वेषण करना होगा।

(ग) जी नहीं।

बड़ोदा में केपरोलेक्टम परियोजना

5183. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ोदा में स्थापित की जाने वाली केपरोलेक्टम परियोजना ने कार्य आरम्भ कर दिया है,

(ख) गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स कम्पनी को उसकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना ऋण दिया गया है,

(ग) केपरोलेक्टम परियोजना की वार्षिक क्षमता कितनी है और क्या यह परियोजना विदेशी सहयोग के साथ या भारतीय तकनीकी जानकारी से चलाई जाएगी।

(घ) क्या गुजरात सरकार ने भी इस परियोजना के लिये कोई ऋण दिया है, और

(ड़) यदि हाँ, तो इस परियोजना के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इण्डस्ट्रियल क्रैडिट एण्ड इंवैस्मैन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने 300 लाख

रुपये के विदेशी मुद्रा ऋण की मंजूरी पहले ही दे दी है। राज्य सरकार ने भी 200 लाख रुपये का ऋण मंजूर कर दिया है।

(ग) निम्नलिखित क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया है :—

कैप्रोलैक्टम——20,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष

साइक्लोहैक्सेन (उपोत्पाद)—4,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष

स्विटजरलैण्ड के मैसर्स इनवेन्टा और फ्रांस के मैसर्स टेकनिप की सहायता से संयन्त्र स्थापित किया जा रहा है। मैसर्स इनवेन्टा, प्रक्रिया जानकारी तथा प्रारम्भिक इन्जीनियरिंग डिजाइन ब्यौरे की सप्लाई करेंगे, विदेश में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे तथा कार्यान्विति में सहायता करेंगे। मैसर्स टेकनिप, विदेश इन्जीनियरिंग सेवा कार्य विदेशों से उपकरणों की प्राप्ति और भारत में की गई विस्तृत इंजीनिरिंग का निरीक्षण करेंगे।

(घ) कृपया भाग (ख) के उत्तर को देखिये।

(ङ) इस प्रायोजना के लिये विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकता का अनुमान 917 लाख रुपये है।

सिंदरी उर्वरक परियोजना का आधुनिकीकरण

5184. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक परियोजना के आधुनिकीकरण का कार्य उन्नति की अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) आधुनिकीकरण के पश्चात श्रेणीवार कितने अतिरिक्त उर्वरकों का उत्पादन होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) भारतीय उर्वरक निगम से सिन्द्री उर्वरक कारखाने के आधुनिकरण की योजना पर एक सम्भव्य रिर्पोट प्राप्त हो गई और इस पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) संभाव्य रिर्पोट के अनुसार, यह प्रायोजना विदेशी मुद्रा के बारे में सरकार की अनुमतियां, डी. जी. टी. डी. की स्वीकृति आदि दिये जाने की तारीख से एक महीनों के भीतर पूर्ण की जानी है।

(ग) संभाव्य रिर्पोट में प्रायोजना के मुकम्मल होने पर 1,70,000 मीटरी टन नाइट्रोजन का अतिरिक्त उत्पादन परिकल्पित है। यह 40,000 मीटरी टन अतिरिक्त अमोनियम सल्फेट और 3,79,000 मीटरी टन अतिरिक्त यूरिया के रूप में होगा।

पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए जाने के बारे में अमरीका के सेक्रेटरी आफ़ स्टेट श्री विलियम रोजर्स का प्रस्तावित दौरा।

5185. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या

सरकार को पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने के बारे में अपने देश का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए अमरीका के विदेश मंत्री श्री विलियम रोजर्स के भारत के प्रस्तावित दौरे के बारे में अमरीका से कोई औपचारिक पत्र मिला है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी नहीं।

Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Deihi.

5186. Shri Chhatrapaty Ambesh : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 146 on the 17th November, 1969 regarding Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi, and state :

(a) whether Government have since collected the information asked for in parts (b) (c) and (d) of the question; and

(b) if not, the time by which the said information is likely to be collected?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planaing (Shri D. P. Chattopadhyaye) : (a) and (b)

The requisite information called for from the Delhi Administration is still awaited. The matter is being expedited.

Production of Injections in Madhya Pradesh

5187. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a large number of injections like Thyleria and Anaeplasma which are used for treatment of cattle, are imported from abroad;

(b) the names of the countries from which such injections were imported during the last two years and the amount of foreign exchange spent on their import by Government;

(c) whether there is a great scope of producing such injections in various parts of Madhya Pradesh;

(d) whether Government have fixed any target for their production during the Fourth Five Year Plan; and

(e) whether Government propose to start production of such injections in Gwalior Division of Madhya Pradesh ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Only small quantities of vaccines against diseases like Theileriosis and Anaplasmosis have been imported or received as gift from abroad for protaction of exotic cattle. During the last 2 years however no vaccine against Theileriosis was imported. Vaccine against Anaplasmosis was imported from the USA at a cost of Rs. 22000/- in foreign exchange.

(c) No Sir, Facilities for the production of Vaccines against Theileriosis and Anaplasmosis are not yet available in Madhya Pradesh.

(d) & (e) No Sir.

Setting up of Fertilizer Factory in Uttar Pradesh

5188. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a fertilizer factory in any District under the Agra Commissariate in U.P.;

(b) whether such factories first of all should be set up in backward Districts with a view to ushering in real socialism in the country so that the unemployed could get jobs; and

(c) if so, whether Government propose to set up a such a factory in the Tarai area of Ganga in District Etah, which is a backward District ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir.

(b) The setting up of fertilizer factories is based mainly on techno-economic considerations.

(c) Does not arise.

डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली में कथित भ्रष्टाचार

5189. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 21 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7125 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें यह कहा गया था कि नई दिल्ली स्थित डा० भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट को तब तक कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा जब तक ट्रस्ट के विरुद्ध लगाए गए आरोप असत्य सिद्ध नहीं हो जाते है;

(ख) क्या उन्होंने 10 जुलाई, 1969 को एक पत्र लिखा था जिसमें उक्त ट्रस्ट को अनुदान देने के लिए दिल्ली प्रशासन से सिफारिश की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने दिनांक 10 जुलाई, 1969 को पत्र संख्या एफ 17-5/69 अनुदान भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली प्रशासन से यह भी अनुरोध किया गया था कि डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट के खिलाफ उनके पास जो शिकायतें भेजी गई हैं, उन पर वे शीघ्र निर्णय लें ताकि उन्हें उन शिकायतों में यदि कोई खास बात न दिखाई दे तो वे जो शर्तें लगाना चाहें उनके आधार पर आवर्ती खर्चे की पूर्ति के लिए अनुदान दे सकें। उल्लिखित पत्र के सम्बन्धित उद्धरण संलग्न हैं।

विवरण

आपत्ति मुख्यतः दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा आवर्ती खर्चे की पूर्ति के लिए अनुदानों के सम्बन्ध में हैं, अतः मेरा अनुरोध है कि महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व से निवेदन किया जाय कि वे अखिल भारतीय अन्ध सहायता समिति और डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, लाजपत नगर, नई दिल्ली के 1968-69 के अन्त तक के हिसाब का विशेष लेखा-परीक्षण करें। उनसे यह भी अनुरोध किया जाय कि वे जिन उपायों को अपनाना आवश्यक समझें उनके बारे में भी सुझाव दें।

मुझे दिल्ली प्रशासन से यह भी अनुरोध करना है कि संख्या द्वारा सुचारु रूप से कार्य करने और वह आम जनता की ठीक प्रकार से सेवा कर सके, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए वे उनके पास इस मंत्रालय के पत्र संख्या एफ एफ 17-12/67-जी०एण्ड०सी० दिनांक 14-3-67, 21-8-68 और 25-1-69 में भेजी गई शिकायत पर शीघ्र निर्णय दें और इसकी सूचना इस मंत्रालय को भेज दें। मुझे यह भी निवेदन करना है कि इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन शीघ्र निर्णय ले ताकि यदि वे समझें कि शिकायतों में कोई खास बात नहीं है तो वे जो शर्तें लगाना चाहें उनके आधार पर आवर्ती खर्चे की पूर्ति के लिए इन संस्थाओं को अनुमान दे दें।

अतः मेरा आप से अनुरोध है कि जैसा ऊपर बताया जा चुका है उसके अनुसार शीघ्र कार्यवाई करें और उसकी सूचना इस मंत्रालय को भेज दें।

कृपया इस पत्र की पावती भेज दें।

बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के बारे में दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया जाना

5190. **श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार भारत में बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थियों के आ जाने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों का एक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या शक्तिशाली राष्ट्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार वर्तमान स्थिति में इस तरह का सम्मेलन बुलाना आवश्यक अथवा उपयोगी नहीं समझती।

B-oadcast from Dacca Radio Regarding Hijacking of Indin Plane

5191. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the broadcast made from Dacca Radio on the 25th March, 1971 that Mr. Bhutto had a hand in the hijacking of the Indian plane; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Dy. Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The relevant extract from the Dacca Radio's broadcast of 25th March, 1971, is as follows:–

"His (Bhutto's) encouragement of the hijacking of the Indian plane by the Kashmiri 'freedom fighters his jubilation over the subsequent burning out of the plane and,

following public demonstrations of his party, trying to whip up anti-Indian frenzy, are part of the same game which has been witnessed in Pakistan's politics many a time in the past".

(b) Government condemn any encouragement of highjackers.

Road Breaches on Rishikesh-Badrinath Road at Kaliasod

5192. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Rishikesh-Badrinath Road has breached at Kaliasod due to heavy rains and as a result thereof hundreds of tourists are held up in the way as reported in the daily 'Navbharat Times' on the 5th June, 1971;

(b) whether this road breaches time and again due to rains and the tourists have to face enormous difficulties as a result thereof;

(c) whether Government propose to take suitable steps with a view to facilitate the journey of the tourists coming from every nook and corner of the country and foreign countries on this road; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir. The road was breached at KM 147 near the village Kaliasod on 5-6-1971, Due to the effect of the flood waters of the Alaknanda, the road formation subsided over about 50 ft resulting in damage to the road surface and retaining walls. This also aggravated the slide from the hill side. The breach was, however, cleared on the same day.

(b) The unprecedented floods in the river Alaknanda and its tributaries last year are well-known. Due to these floods and the heavy rains this year, the hill sides have shaken and become unstable at some places. It will take a few more years to stabilize. At KM 147, slides are very frequent. Further breaches at this spot were reported on 12.6.1971 and 7.7.1971. These were also cleared immediately. Occurrence of breaches on this road during the monsoons during the next few years has to be accepted.

(c) and (d) Rishikesh-Badrinath Road passes through very difficult terrain which experiences heavy rains every year. Land slides and breaches cannot be ruled out. However considerable manpower/machines have been deployed on this road and immediate steps are taken for restoration of vehicular traffic on operational priority basis whenever damages occur. A dozer has been stationed at KM 147, amongst other places, on account of the frequency of slides there. Improvised food bridges are also provided where the regular bridges are damaged.

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का एक यूनिट गाजियाबाद में स्थापित किया जाना

5193. **श्री बी०एन०पी० सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का एक यूनिट गाजियाबाद में स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और;

(ग) उपर्युक्त कारखाने में निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : कारखाने में आवश्यक निर्माण कार्य जिससे उत्पादन आरम्भ हो सके, जून 1973 तक पूरा होने की आशा है और 1973-74 के मध्य तक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है।

टैरिफ आयोग की सिफारिशों की दृष्टि से रंग सामग्री उद्योग के लिए स्थाई समिति की स्थापना

5194. **श्री मती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंग सामग्री उद्योग पर टैरिफ आयोग की सिफारिशों को देखते हुए सरकार ने एक स्थाई समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कौन कौन से सदस्य होंगे तथा इसे कृत्य क्या होंगे और यह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इन ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और औपचारिक आदेशों के शीघ्र ही जारी किये जाने की आशा है।

सरकारी मकानों को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखना

5195. **श्री एस०सी० सामान्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा सरकारी मकानों को अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखने के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) कितने भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व राज्य मंत्री और भूतपूर्व उपमंत्री अभी भी मंत्रियों के लिए निर्मित मकानों में रह रहे हैं तथा वे उन्हें कब तक खाली कर देंगे;

(ग) सरकारी मकानों को उन अधिकृत अलाटियों को देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिनको मकान नहीं मिल सके हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) सरकारी वास के अनधिकृत दखलकारों को बेदखल करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। सम्पूर्ण अधिनियम को पुनः बनाने की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है और लोक सभा में एक विधेयक पेश कर दिया गया है। दिल्ली नई दिल्ली में सरकारी वास से अनधिकृत दखलकारों को बेदखल करने की कार्यवाही अधिनियम के पुनः बनाए जाने के बाद ही केवल संभव हो सकेगी।

(ख) और (ग) : फिलहाल 10 ऐसे मामले हैं, जिनमें पांचवी लोक सभा में संसद सदस्यों के रूप में निर्वाचित हुए भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व राज्य मंत्री, तथा भूतपूर्व उपमंत्री, उन मकानों

में रह रहे हैं जो उन्हें मंत्रियों की हैसियत में आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 5 भूतपूर्व उप-मंत्री भी जो संसद सदस्य नहीं रहे, उस वास के दखल में हैं जो उन्हें उपमंत्रियों की हैसियत में आवंटित किया गया था। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि वे किस निश्चित तारीख तक उस वास को खाली कर सकेंगे जो उन्हें मंत्रियों/उप मंत्री की हैसियत में आवंटित किया गया था। तथापि उन 10 भूतपूर्व मंत्रियों उप-मंत्रियों के मामले में, जो मंत्री नहीं रहे परन्तु संसद सदस्य बने हुए हैं को उनके दखल का वास बनाये रखने की अनुमति देने का प्रश्न विचाराधीन है।

विवाह की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव

5196 श्री जी० एस० मेलकोटे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए सांविधिक उपबन्धों द्वारा विवाह की आयु बढ़ाने का हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : कानून द्वारा विवाह की आयु बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

पश्चिम जर्मनी के सहयोग से सल्फ्यूरिक ऐसिड के संयंत्र की स्थापना

5197 श्री सी० जनार्दनन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ० ए० सी० टी० इन्जीनियरिंग एंड डीजायन आरगेनाइजेशन ने एक सलफ्यूरिक ऐसिड संयंत्र स्थापित करने के लिए पश्चिम जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग करार करने हेतु सरकार की मंजूरी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्रों की स्थापना के लिए पश्चिम जर्मन की एक फर्म के साथ एक सहयोग समझौता करने हेतु भारत सरकार ने मैसर्स फर्टिलाइजर्स एंड केमीकल्स ट्रावनकोर के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

केरल में नायलोन का कारखाना

5199 श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पैटोलियम और रसायन** मंत्री केरल में नायलोन के कारखाने के बारे में 31 मार्च, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 818 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाइलोन टेक्सटाइल फिलामेंट यार्न यूनिट स्थापित करने के सम्बन्ध में केरल उद्योग निगम द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ख) इनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नायलोन टेक्स-

टाइल फिलामेन्ट यार्न यूनिट स्थापित करने के लिए केरल उद्योग विकास निगम के आवेदन पत्र की मुख्य: विशेषताए निम्न प्रकार है :

(1)	क्षमता	2,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष
(2)	स्थान	केरल
(3)	योजना की कुल लागत	865 लाख रुपये
(4)	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताए	295 लाख रुपये
(5)	विदेशी सहयोग	संयंत्र, उपकरणों तथा इंजीनियरिंग ब्योरों की सप्लाई के लिये मैसर्स वीकर्स जिम्भर अथवा मैसर्स लुरगी, पश्चिम जर्मनरी के साथ सहयोग परिकतिपत है।

(ख) आवेदन पत्र विचाराधीन है।

तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से गैर-सरकारी कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई न किए जाने के बारे में शिकायत

5200. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 14 जून, 1971 के "हिन्दू" में फैक्ट्री डिनाइट रा-मैटीरियल, सेज मिनिस्टर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की और दिलाया गया है कि तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने को उस समय कच्चे माल की सप्लाई नहीं की गई जब उस में उत्पादन आरम्भ किया जाना था;

(ख) यदि हाँ, तो कच्चे माल की सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बीच सप्लाई कर दी गई है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) जी हां।

(ख) मैसर्स नागपाल अम्बादी पेट्रो-कैम रिफाइनिंग लि० द्वारा उत्पादित ट्रान्सफारमर तेल तथा अन्य विशिष्ट पदार्थों के सम्बन्ध में विपणन के अधिकारों के समझौते के अभाव में और उनके पहले दिये हुये आश्वासनों के आधार पर भारतीय तेल निगम फैक्ट्री को कच्चा माल देने की व्यवस्था पर अन्तिम निर्णय नहीं कर सका। कच्चे माल के विशिष्ट विवरण के प्रश्न का भी अब तक पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ है।

(ग) भारतीय तेल निगम ने फैक्ट्री को प्रारम्भिक परीक्षणों के लिए 2000 मीटरी टन कच्चा माल दिया है।

बंगला देश शरणार्थियों की समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करना

5201. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री नवल किशोर सिंह :
श्री पी० गंगा रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की सारे विश्व के देशों की विभिन्न राजधानियों की यात्राओं के पश्चात बंगला देश शरणार्थियों की समस्या के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करने की क्या सम्भावनायें है;

(ख) क्या इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जा रहा है;

(ग) सरकार के अनुमान में शरणार्थियों के कब तक अपने घर वापस जाने की सम्भावनाहै?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) बंगला देश शरणार्थी समस्या का समाधान बंगला देश में ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न करना है ताकि शरणार्थी सुरक्षा और सम्मान के साथ अपने-अपने घरों को लौट सकें । केन्द्रीय मंत्रियों के विभिन्न देशों के दौरों से इस तथ्य को तथा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र राजनीतिक हल की आवश्यकता को बताने का अवसर मिला है ।

(ख) मानवाधिकारों की दृष्टि से इस मामले को मई 1971 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में उठाया गया था ।

शरणार्थियों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर की रिपोर्ट के संदर्भ में इस मामले को 9 जुलाई को जेनेवा में हुए 'इकोसोक' के वर्तमान अधिवेशन में भी उठाया गया था।

बंगला देश की घटनाओं से संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी सूचित रखा गया है ।

(ग) हम आशा कर रहे थे कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएंगी जिससे कि शरणार्थी छः महीने में अपने अपने घरों को लौट सके । किन्तु बंगला देश में निरन्तर सैनिक अत्याचारों से यह अवधि, जिसमें कि इस समस्या का संतोषजनक हल निकल सके, बढ़ सकती है ।

गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन

5202. **श्री निहार लास्कर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1961 पूर्व पंजीकृत उन गृह निर्माण सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जिनको अब तक भूमि आवंटित नहीं की गई है; और

(ख) इन समितियों को भूमि आवंटित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 785/71]**

(ख) इनमें से 68 समितियों ने या तो भूमि के आवंटन की पेशकश को स्वीकार नहीं किया अथवा आवंटन के लिए आवेदन ही नहीं किया, या वे आवंटन के लिए पात्र नहीं पाये गये। अतः इन समितियों को भूमि आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक शेष 32 समितियों का सम्बन्ध है उनके मामलों पर भूमि के आवंटन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

Setting up of Chemical Fertilizer Factories

5203. **Dr. Laxminarain Pandey** : will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state ;

(a) the annual production capacity of chemical fertilizer factories located in Mysore, Madhya Pradesh and Rajasthan together with their locations;

(b) whether various types of chemical fertilizers are still not made available to meet the requirements of the farmers; and

(c) if so. whether Government propose to set up some more chemical fertilizer fectories ?

The Minister of Petroleum and Chemicals : (Shri P. C. Sethi) : (a) In Mysore and Madhya Pradesh, there are units producing superphospate and the location and the capacities thereof are given below :

Location	Capacity (tonnos/annum)
Mysore	
Belagula (Mandya Dt)	33,530
Munirabad (Raichur Dt)	40,640
Madhya Pradesh	
Kumhari (Durg Dt)	75,000

In Rajasthan, a fertilizer factory located at Kota has a licensed capacity of 240,000 tonnes of urea per annum.

(b) The domestic production of fertilizers still falls short of requirements and the gap is made up through imports.

(c) Yes, Sir.

सवाई माधोपुर में शुद्ध देशी घी के रूप में चर्बी चिकनाई का बेचा जाना

5204. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों के बावजूद देश में खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण किया जा रहा है और 19 जून, 1971 के 'नव भारत टाइम्स' के पृष्ठ 6 पर समाचार प्रकाशित हुआ है कि सवाई माधोपुर में देसी घी के रूप में चर्बी या चिकनाई को बेचा जा रहा है;

(ख) भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि समस्त देश में खाद्य निरोधक तथा अन्य संबंधित अधिकारी सम्बन्धित उत्पादकों द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को अनुमति न दें; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में दंड बढ़ाने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट किए जाने के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है। वैसे, स्थिति ज्यादा खराब नहीं है और राज्यों से मिली सूचना से पता चला है कि मिलावट करने की प्रवृति का प्रयास हो रहा है। 19 जून, 1971 के 'नव भारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार तथ्यों के अनुसार सही नहीं हैं। घी में वनस्पति की मिलावट पाई गई न कि चर्बी की। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद आदि विभिन्न मंचों से समय-समय पर राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर डाला गया है कि वे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों को कठोरता से लागू करे।

(ग) 1964 में यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दण्ड देने की व्यवस्था पर्याप्त एवं समुचित है। मिलावट करने वाले व्यक्तियों के लिए अब तक जो न्यूनतम सजा रखी गयी है वह कम से कम छः महीने की है किन्तु कतिपय मामलों में कम से कम छः साल की सजा देने और इसके साथ ही न्यूनतम 1,000 रु० का अर्थ दण्ड देने की व्यवस्था है। वैसे गलत छाप अथवा घटिया किस्म के पदार्थों के मामलों पर कितनी सजा दी जाय यह बात न्यायालयों के ऊपर छोड़ दी गई है। संशोधन करने से पूर्व इस अधिनियम में अनिवार्य रूप से कैद की सजा देने की व्यवस्था नहीं थी।

बंगला देश से आये शरणार्थियों के बारे में पाकिस्तान मार्शल ला प्रशासक द्वारा वक्तव्य

5205. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्शल ला प्रशासक जनरल टिक्का खां ने यह वक्तव्य दिया है कि बंगला देश से भारत में केवल 10 लाख शरणार्थियो ने प्रवेश किया है;

(ख) क्या उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि भारत में रह रहे शरणार्थी शिविरों में भारत के ही निराश्रित व्यक्ति हैं; और

(ग) क्या उनका दावा कि बंगला देश के कई हजार शरणार्थी वापस अपने देश चले गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) ले० जन० टिक्का खां सहित पाकिस्तानी प्रवक्ता व्यर्थ में ही यह बताने के लिए तरह तरह के वक्तव्य देते रहे हैं कि लाखों शरणार्थियों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा है। तथ्य पाकिस्तानी प्रचार के कहीं अधिक विपरीत हैं क्योंकि 14 जुलाई, 1971 तक भारत में 69,24,174 शरणार्थी आ चुके थे।

इस तथ्य से कि 42,000 शरणार्थी प्रति दिन भारत आ रहे हैं, यह पता चलता है कि बंगला देश में अत्याचार अब भी जारी है जिनके कारण शरणार्थी वापस नहीं जा रहे हैं।

पैंट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट

5206. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **पैंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से मामलों में पैंट्रोल विक्रेता पैंट्रोल में मिट्टी के तेल को मिलाकर बेचते हुए तथा पम्पों में मशीनी खराबी पैदा करने तथा इसी प्रकार की अन्य रीतियों से पैंट्रोल की कम मात्रा सप्लाई करते हुए पाए गए हैं,

(ख) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं को विशुद्ध तथा पूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है,

(ग) अपराधियों को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) क्या सरकार सामायिक तथा अचानक निरीक्षण करने के लिए कोई व्यवस्था स्थापित करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) मिट्टी के तेल को पैंट्रोल में मिश्रित किये जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है परन्तु विलायकों के पैंट्रोल में मिलाये जाने के कुछ मामलों का पता चला था। हाल ही में विलायकों पर उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि के द्वारा यह कुचेष्टा प्रभावशाली रूप से प्रतिरोक दी गई है। ऐसे कोई विशिष्ट उदाहरण ध्यान में नहीं लाये गये हैं कि विक्रेता पैंट्रोल पम्पों में यान्त्रिक खराबियों को उत्पन्न करके पैंट्रोल की प्रदाय में कमी कर रहे हैं।

(ख) से (घ) हाइ स्पीड डीजल तेल में मिट्टी का तेल मिलाये जाने के स्थल पर तत्काल ही पकड़ने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक योजना बनाई जा रही है है। इस योजना में अपराधियों को दण्ड दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। पैंट्रोल के प्रदाय में कमी के मामले स्थानीय राजकीय नाप तौल अधिकारियों द्वारा बिक्री, माल की प्राप्ति, बचे हुये माल से संबंधित प्रलेखों की जांच किये जाने पर आसानी से पकड़े जा सकते हैं। राज्य सरकारों से मामलों की जांच में तीव्रता लाने का अनुरोध किया जा रहा है।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए हैजा विरोधी टीके

5207. श्री राज सिंह देव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1971 के "टाइमस आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश के शरणार्थियों के लिये फ्रांस और संयुक्य अरब गणराज्य से प्राप्त हैजा विरोधी टीकों की 72 बड़ी पेटियों को ले जाने में एअर इंडिया ने केवल दो दिन लिये;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ग) क्या धूप पड़ने के कारण टीके पूरी तरह से बेकार हो गये हैं; और

(घ) क्या अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) 11 जून, 1971 की सुबह को बम्बई से एअर इण्डिया द्वारा लाई गई हैजा-विरोधी वैक्सीन की 72 पेटियां पालम हवाई अड्डे पर प्राप्त की गई। वैक्सीन की कुछेक पेटियाँ टूट-फूट गयी थीं और सीमाकर एवं सुरक्षा कर्मचारियों की देखरेख में दोबारा पैकिंग करना जरूरी थी। तद्नुसार टूटी हुई पेटियों को दोबारा पैक किया गया और सारा माल 14 जून, 1971 को कलकत्ता भेज दिया गया। इस बीच माल को किसी ठण्डे स्थान पर रखा गया था। यह वैक्सीन बेकार नहीं हुई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत रूस द्वारा लंका में कोलम्बो और त्रिनकोमाली में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास

5208. **श्री राज सिंह देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस द्वारा लंका कोलम्बो और त्रिनकोमाली में मछली पकड़ने के बंदरगाहों का विकास करने के प्रस्ताव की स्वीकृति से भारतीय समुद्र में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जायेगी;

(ख) क्या यह लुसाका सम्मेलन के नियमों का उल्लंघन है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जहां तक हमें पता है सोवियत संघ द्वारा श्री लंका में कोलम्बो और त्रिनकोमाली में मछली पकड़ने की बन्दरगाह का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही श्रीलंका की सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रस्तावों की स्वीकृति का पता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में बेकार पड़ा रक्त प्लाज्मा संयंत्र

5210. **श्री वी० एन० पी० सिंह**
श्री नरेन्द्र कुमार साँधी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश रेड क्रास सोसाइटी द्वारा भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को उपहार स्वरूप दिये गये दो रक्त प्लाजमा संयंत्र पिछले आठ वर्ष से भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में बेकार पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों के प्रयोग को सुनिश्चित और रक्त-प्लाजमा की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1965-66 में इन दो प्लाज्मा संयंत्रों को तब चालू किया गया था जब कि कुल उपलब्ध सूखा प्लाज्मा तैयार किया गया था और सशस्त्र सैनिक के रुधिराधान केन्द्र द्वारा उसका उपयोग किया गया था। स्वैच्छिक रक्तदान दाताओं की कमी होने के कारण 1967 से इन संयंत्रों का उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि शुष्क प्लाज्मा की अपेक्षा ताजे रक्त की मांग भी अधिक है।

(ख) इन संयंत्रों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में एक नए स्थान पर लगाया जा रहा हैं और जहां तक स्वैच्छिक रक्त दान दाताओं से रक्त प्राप्त होगा वहां तक इनका उपयोग किया जा सकेगा।

रक्त को प्लाज्मा के रूप में तैयार करने के लिए देश में पर्याप्त उपस्कर उपलब्ध हैं। किन्तु स्वैच्छिक रक्त दान दाताओं की कमी होने के कारण इनका उपयोग नही किया जा सकता है। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी और स्वैच्छिक रुधिराधान सेवा तथा विभिन्न रक्त बैंक जैसे स्वैच्छिक संगठन स्वैच्छिक रूप से रक्त एकत्र करने के काम में लगे हैं किन्तु आम जनता ने इस कार्य में उत्साह नहीं दिखाया है।

पूर्वी भारत में केन्द्रीय मानसिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना

5211. श्री एन०ई० होरो : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी भाग में केन्द्रीय मानसिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की आवश्यकता के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत के पूर्वी भाग रांची में पहले ही केन्द्रीय सरकार का एक मानसिक रोग अस्पताल है। इसमें मानसिक रोगों के उपचार एवं अनुसंधान के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाती है।

Decisions of Municipal Corporations at Conferences

5212. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the dates on which the conferences of the Municipal Corporations were held during the last three years and if the conferences had been held, the decisions taken therein and whether a copy of those decisions would be laid on the Table; and

(b) whether the financial position of some of the Municipal Corporations is very crictical and if so, the steps being taken by Government to improve their financial position and if no such steps are being taken, the reasons therefor ?

The Minister of State for Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhya): (a) During the last 3 years, only one conference of Municipal Corporations was held at Madras on the 21st and 22nd April, 1970. The resolutions passed in the Conference are given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT 686/71]**

(b) The financial position of some of the Municipal Corporations may not be sound but it is for the State Governments to take steps for their improvement as [Local Self Government is a State Subject. The Government of India, has, however, been stimulating consideration of various problems facing the Municipal Corporations, including their finances, through Conferences, Expert Committees, etc., and stressing on the State Governments to implement the recommendations of such Committees, from time to time. Moreover, the Central Government has already under active consideration a comprehensive Bill which will enable the local bodies to levy local taxes on the property of its commercial departments.

W.H.O. Aid for Setting up of Health Laboratories in Madhya Pradesh

5213. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have set up Health Laboratories in Madhya Pradesh with aid from the World Health Organisation; and

(b) if so, the main features there of ?

The Minister of Stare for Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) The Government have not so far set up any Health Laboratory in Madhya Pradesh with W.H.O. assistance.

(b) Does not arise.

Family Planning Centres set up in Madhya Pradesh

5214. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the number of villages in Madhya Pradesh where family planning centres have been set up during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhya): 13 rural main Family Welfare Planning Centres and 242 rural sub-centres under the Family Planning Programme were opened in the State of Madhya Pradesh during 1969-71.

बंगला देश की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिये अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि का भारत आगमन ।

5215. श्री पी० गंगादेव :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के शरणार्थी और आव्रजन कार्य विभाग का एक अधिकारी बंगला देश की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए 21 जून, 1971 को भारत आया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वार्ता और यात्रा का क्या परिणाम निकला; और

(ग) उसने कितने दिन भारत का दौरा किया ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) शरणार्थी और प्रवास मामलों के लिए अमरीकी विदेश मंत्री के विशेष सहायक श्री फ्रेंक एल० केलोग ने भारत का दौरा किया था।

(ख) उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी जिन्होंने उन्हें पूर्व बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में जानकारी दी और उसी के बारे में उन्होंने अपनी सरकार को रिपोर्ट पेश की होगी।

(ग) वह 21 से 27 जून तक भारत में रहे। दिल्ली के अलावा उन्होंने कलकत्ता, गोहाटी और अगरतल्ला के निकट शरणार्थी शिविरों का दौरा भी किया था।

बंगला देश के मामले के बारे में विदेशों को प्रतिनिधि मंडल

5216. श्री पी० गंगा देव :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को बंगला देश की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने के लिए वहां कुछ प्रतिनिधि मण्डल भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को प्रतिनिधिमण्डल भेजे गये; और

(ग) उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने मंत्रिमंडल और मंत्रालय के स्तर के विशेष प्रतिनिधियों को बहुत से देशों में इस उद्देश्य से भेजा है कि वे पाशविक पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और बंगला देश से शरथार्थियों की बाढ़ के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति के विषय में उन्हें अवगत करा सकें और इस ओर से भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बंगला देश का राजनीतिक हल तुरन्त निकालना आवश्यक है जिससे कि शरणार्थी सुरक्षित और सम्मानपूर्वक अपनी मातृभूमि को लौट सकें।

(ख) मंत्रियों और देशों के नाम जिनमें वे गये इस प्रकार हैं :—

1. श्री स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री	सोवियत समाजवादी गणतंत्रसंघ, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम।
2. श्री फखरुद्दीन अली अहमद, कृषि मंत्री	लबनान, जार्डन, सीरिया और संयुक्त अरब गणराज्य।
3. डा० कर्ण सिंह, पर्यटन और सिविल विमानन, मंत्री	यूगोस्लाविया, चेकोस्लावाकिया बलगेरिया और जर्मन संघीय गणराज्य
4. श्री सिद्धार्थ शंकर रे, शिक्षा मंत्री	जापान, आस्ट्रेलिया, मलेशिया और थाईलैंड।
5. श्री मोयनुल हक चौधरी, उद्योग विकास एवं आन्तरिक व्यापार	स्वीडन, हंगरी, आस्ट्रिया, इटली, अफगानिस्तान और ईरान।

6. श्री एस० मोहन कुमारमंगलम, इस्पात और खान मंत्री	पोलैन्ड और रूमानिया
7. श्री वर्कतउल्ला खान, राजस्थान के विधि एवं विद्युत मंत्री (अब राजस्थान के मुख्य मंत्री)	सूडान, लीबिया, टुनिशिया और एल्जीरिया
8. श्री वी० सी० शुक्ला, रक्षा उत्पादन मंत्री	स्वीट्जरलैंड, डैन्मार्क और नार्वे
9. श्री शाह नवाज खान, इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मन्त्री	कुवैत, सऊदी अरब, यमन लोक गणराज्य, यमन अरब गणराज्य और जार्डन।

(ग) जिन देशों की यात्रा की गई है उनकी प्रतिक्रिया से भारत सरकार के रुख के प्रति उनकी समझ-बूझ और सराहना की पुष्टि होती है और उनमें, भारत सरकार तथा भारत के लोगों को पेश आ रही विशाल समस्याओं के प्रति, जिन्हें न तो हमने पैदा किया है और न हीं पैदा करना चाहते थे, सहानुभूति जागृत हुई है। पूर्व बंगाल की हाल की घटनाओं की पृष्ठभूमि और भारत की प्रतिक्रिया को विदेशों में अच्छी प्रकार समझा जाता है एवं सराहना की जाती है और शरणार्थियों की समस्या को अब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अच्छी तरह से समझा जाने लगा है।

दिल्ली में हैजा तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम

5217. श्री पी० गंगादेव :
श्री एम० सत्यनारायण राव :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के दौरान हैजा और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिये दिल्ली में सरकार ने कोई क़दम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या दूषित पानी के कारण पैदा होने वाले पोलिया के रोग के फैलने का ख़तरा भी मौनसून के दौरान होता है; और

(घ) क्या आवश्यक दवाइयों का संग्रह करने के कोई अनुदेश जारी किये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) (i) दिल्ली में संक्रामक रोगों की व्यापकता पर विचार-विनिमय करने और जब कभी आवश्यक समझा जाय समुचित कार्रवाई करने के लिए समय समय पर बैठकें होती हैं;

(ii) सामान्य दृश्य-श्रव्य साधनों और प्रेस के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है;

(iii) हैजे से बचाव करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय तथा स्थानीय निकाय टीका लगाने का विशेष अभियान चला रहे हैं। शहर में अन्दर प्रवेश होने के स्थानों पर विशेष दल कार्य कर रहे हैं;

(iv) हैजे से पीड़ित रोगियों की महामारी-सम्बन्धी जांच करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित व्यक्तियों के घरों पर ठीक प्रकार से रोगाणुनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं और उनके बहुत ज्यादा सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों पर टीका लगाकर उनकी हैजा रोग से रक्षा की जाती है;

(v) संदिग्ध हैजा ग्रसित रोगियों को संक्रामक रोग अस्पताल, दिल्ली पहुंचने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है।

(vi) शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पानी के नमूने लिए जा रहे हैं ताकि उनका विश्लेषण कर उनकी स्वच्छता की जांच की जा सके। जिन क्षेत्रों को नगर पालिका द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा है वहां लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे पीने से पहले पानी को उबाल लें।

(vii) शीघ्रता से कूड़ा इकट्ठा करने और उसे निपटाने पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कूड़ा फेंकने के स्थानों पर काफी बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाइयां छिड़की जा रही हैं ताकि मक्खियां न फैलें; और

(viii) खाद्य अपमिश्रण-निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नमूने लिए जा रहे हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का कहां तक पालन किया जा रहा है।

(ग) पीलिया होने का मुख्य कारण पीने के पानी की सप्लाई का दूषित होना है। ओखला संयंत्र को बन्द होने के बाद दिल्ली में मानसून के दौरान पीलिया के महामारी के रूप में फैलने की स्थिति में सुधार हुआ है।

(घ) (i) आपत्तिकाल में दिल्ली के उपयोग के लिए हैजा-निरोधी वैक्सीन का भण्डार रखा गया है।

(ii) गाया ग्लोबुलिम सरकार के पास उपलब्ध है और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो यह संक्रामी यकृतशोथ के लिए दिया जाता है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के प्रबन्धक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधि

5218. श्री पी० गंगादेव
श्री मुहम्मद शरीफ
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के प्रबन्धक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिनिधियों को लिया गया; और

(ग) प्रतिनिधियों का चयन करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं। मामला विचाराधीन है ;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Ministers Visits to Foreign Countries in Connection with Bangla Desh Affairs

5219. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the Central Ministers who went on foreign tours to clearly apprise the world of the Indian stand on Bangla Desh and to seek help for Bangla Desh :

(b) the total amount spent on their tours abroad; and

(c) the outcome of the tours, separately ?

The Dy. Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The following Central Ministers proceeded on foreign tour to apprise various Governments of the stand of Government of India on Bangla Desh and impress upon them the gravity of the present situation and the urgent need for a political solution as acceptable to the people and the elected leeders of Bangla Desh to enable the Bangla Desh refugees to return to their homeland in safety and with honour :

1.	Sardar Swaran Singh, Minister of External Affairs	USSR, Federal Republic of Germany, France, Canada, U.S.A. and U.K.
2.	Shri Fakhruddin Ali Ahmed, Minister of Agriculture	Lebanon, Jordan, Syria and UAR
3.	Dr. Karan Singh, Minister of Tourism and Civil Aviation	Yugoslavia, Czechoslovakia and GDR.
4.	Shri Siddhartha Shankar Ray, Minister of Education	Japan, Australia, Malaysia and Thailand
5.	Shri Moinul Haque Choudhury, Minister of Industrial Development & Internal Trade	Sweden, Hungary, Austria, Italy Afghanistan and Iran
6.	Shri S. Mohan Kumarmangalm, Minister of Steel & Mines	Poland and Rumania
7.	Shri V. C. Shukla, Minister of Defence Production	Switzerland and Denmark.
8.	Shri Shah Nawaz Khan, Minister in the Ministry of Steel & Heavy Engineering.	Kuwait, Saudi Arabia, People's Democratic Republic of Yemen. Yemen Arab Repubiic and Jordan.

(b) A statement is placed on the Table of the House.

(c) The tours have succeeded in each case in impressing on the Governments concerned the seriousness of the present situation and in making clear the background to and facts concerning recent events in East Bengal and the stand of the Gavernment of India. International

responsibility towards the enormous problem of refugees has been stressed and mischievous anti India propaganda by Pakistan has been countered.

Statement

Estimated Expenditure in Respect of The Ministers and Accompanying Officers who Proceeded on Foreign Tour

Name of the Minister	Estimated Expenditure in Rs. Minister	Accompanying officers
1. Sardar Swaran Singh	21,600	28,100
2. Shri Sidhartha Shankar Ray	13,000	21,700
3. Dr. Karan Singh (He was already in Vienna for ICAO Meeting)	1,500	—
4. Shri Fakhruddin Ali Ahmed	11,500	20,600
5. Shri Shah Nawaz Khan	13,700	10,600
6. Shri Moinul Haque Choudhury	6,300	4,800
7. Shri V.C. Shukla	19,200	11,600
8. Shri S. Mohan Kumarmangalam	14,100	8,400

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय समूह के लोगों को मकानों की बिक्री

5220. श्री जी० वेंकटास्वामी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मई 1971 तक निम्न आय समूह के लोगों को कुल कितने मकान बेचे हैं;

(ख) उन मकानों की वास्तविक लागत की तुलना में बिक्री से कितना धन वसूल किया गया है; और

(ग) वर्ष 1971-72 में निम्न आय समूह के लोगों को बिक्री हेतु कितने नए मकान देने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 2,828 ।

(ख) 320 लाख रुपये की वास्तविक लागत के विपरीत 170 लाख रुपये वसूल हुए । शेष रकम बराबर की किस्तों में वसूल की जा रही है, जिनका समय-विस्तार 180 मास की अवधि है ।

(ग) 6,000

बंगला देश के शरणार्थियों को भारत द्वारा वापिस जाने से रोकने का आरोप

5221. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक राज्यपाल ने 19 जून, 1971 को कराची में यह आरोप लगाया था कि भारतीय अधिकारियों ने शरणार्थियों को वापिस जाने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य बड़े मान्यता प्राप्त मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं।

(ख) यह आरोप सफेद झूठ है और इसका उद्देश्य इस तथ्य को छिपाना है कि पूर्वी बंगाल में सामान्य स्थिति पुनः स्थापित नहीं हुई है और वहां पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासन का आतंक बना है। 19 जून, 1971 के बाद जब कि लैफ्टिनेंट जनरल टिक्का खां ने यह आरोप लगाया था, 10,00,580 शरणार्थी भारत आए हैं और 14 जुलाई तक उनकी कुल संख्या 69,24,174 हो गई है।

देश में मलेरिया का उन्मूलन

5222. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में देश में मलेरिया का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में मलेरिया के कितने मामले हुए हैं तथा उनमें से कितने घातक सिद्ध हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एककों की वर्तमान अवस्था के हिसाब से देश की 59 प्रतिशत जन संख्या मलेरिया रोग से मुक्त घोषित की गयी है। देश की 17 प्रतिशत जन-संख्या उन्मूलन की अग्रिम अवस्था वाले क्षेत्रों में है जहां से छिड़काव का काम हटा लिया गया है। अब केवल 24 प्रतिशत जनसंख्या ही आक्रमण अवस्था में है जहां कीटनाशक औषधियों का छिड़-काव जारी है।

(ख) बारीकी से अध्ययन करने पर 1968,69 और 1970 में मलेरिया से ग्रस्त रोगियों की संख्या क्रमश: 2,74,881; 3,48,647 और 6,82,265 थी। गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया के किसी ऐसे रोगी की सूचना नहीं मिली जो घातक सिद्ध हुआ हो।

Sainik Sehools in the Country

5223. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) The present number of Sainik Schools in the country and their locations, Statewise;

(b) the changes made in the their syllabus during the last three years; and

(c) the names of the places where Government propose to Set up sainik Schools during the current year ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) There are 16 Sainik Schools in the country at present. Their locations are given in the enclosed statement.

(b) The Sainik Schools we-e follwing the syllabus prescribed for the Indian School Certificate (formerly Senior Cambridge) examination upto 1968. Subsequently, the Schools switched over to the syllabus prescribed for the All India Higher Secondary Certificate examination.

(c) Government propose to set up a Sainik School in Imphal (Manipur) during the current year.

Statement

LIST OF SAINIK SCHOOLS AND THEIR LOCATIONS

1.	Sainik School, (Maharashtra)	SATARA
2.	Sainik School, (Haryana)	KUNJPURA
3.	Sainik School, (Gujarat)	BALACHADI
4.	Sainik School, (Punjab)	KAPURTHALA
5.	Sainik School, (Rajasthan)	CHITORGARH
6.	Sainik School, (Andhra Pradesh)	KORUKONDA
7.	Sainik School, (Kerala)	KAZHAKOOTAM
8.	Sainik School, (Orissa)	BHUBANESHWAR
9.	Sainik School, (West Bengal)	PURULIA
10.	Sainik School, (Madras)	AMARAVATHINAGAR
11.	Sainik School, (Madhya Pradesh)	REWA
12.	Sainik School, (Bihar)	TILAIYA DAM
13.	Sainik School, (Mysore)	BIJAPUR
14.	Sainik School, (Assam)	GOALPARA
15.	Sainik School, (Uttar Pradesh	GHORAKHAL
16.	Sainik School, (Jammu)	NAGROTA

Correspondence With Foreign Countries in Hindi

5224. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state ;

(a) Whether any country has expressed its desire to make correspondence with India in Hindi; and

(b) if so, the name there of ?

The Dy. Minister in the Ministry of external affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Non-Supply of Information About Indian Culture and Literature to Foreign Countries By Indian Embassies

5225. **Shri S.D. Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the persons in foreign countries desirous of having information about Indian culture and literature do not get any encouragement by our embassies; and

(b) if so, the reasons for such an indifferent attitude ?

The Dy. Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. On the contrary our Missions abroad maintain libraries in which books on Indian culture, art, music. painting and literature are invariably stocked. Cultural and literary magazines from India are regularly supplied to our missions. They are also supplied regularly documentary films on Indian culture, dancing, music and they utilies these.

All this material is distributed or shown to those interested in Indian culture and literature.

(b) Does not arise.

मानवीय अंगों के प्रत्यारोपण के बारे में अनुसंधान कार्यक्रम

5226. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के संरक्षण के अन्तर्गत मुख्य मानवीय अंगों जैसे गुर्दा, जिगर और हृदय के प्रत्यारोपण के लिए कोई अनुसंधान कार्यक्रम आजकल चल रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने जो सरकार के अधीन एक स्वशासी संस्था है, अंग प्रतिरोपण पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसका काम अनुदान एवं अन्य सम्बन्धित विषयों के बारे में परिषद् के पास भेजे गये अनुसन्धान प्रस्तावों पर विचार करना है। परिषद ने मानव हृदय प्रतिरोपण के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित अनुसन्धान अध्ययनों को अपना समर्थन दिया है और सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई और क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना में अध्ययन कार्य किये जा रहे हैं। हृदय, वृक्क और यकृत प्रतिरोपण पर विभिन्न प्रयोगात्मक अध्ययन गोबिन्द वल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज बम्बई में भी किये जा रहे हैं।

संसद सदस्यों के लिये गोदामों में रखे गये फर्नीचर की क्षति

5227. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय द्वारा संसद सदस्यों को देने के लिए फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर बड़ी धन राशि व्यय की जाती है, पर उनमें से 50 प्रतिशत सामान विभिन्न गोदामों, जैसे कि कुशक रोड तथा अन्य जगहों पर स्थित गोदामों में पटका हुआ और सड़ रहा है।

(ख) क्या ऐसे फर्नीचर के वास्तविक उपयोग की देखभाल करने के लिए कोई अधिकारी है और यदि हां, तो क्या ऐसे किसी अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दी है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेश मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कर्मचारी

5228. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने की व्यवस्था लागू की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सेवा-श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने भरती करने की विशेष प्रक्रिया अपनाकर आरक्षित कोटा में हुई कमी को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण/छूट से सम्बद्ध अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित जो रिक्त स्थान इन समुदायों के उम्मीदवारों के न मिलने के कारण उपर्युक्त समुदायों द्वारा नहीं भरे जाते, उन्हें अब आगे दो परवर्ती भर्ती वर्षों के बदले, जैसा कि 25-3-1970 के पूर्व की स्थिति थी, तीन परवर्ती भर्ती वर्षों तक चलाया जाता है।

(ii) अगर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार सुलभ न हों तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए, उस तीसरे भर्ती वर्ष में, जिसमें आरक्षित रिक्त स्थानों को आगे

कायम रखा गया है, नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा रहा है।

3. विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जो पदोन्नति की जाती है या उन्हें जो स्थायित्व प्रदान किया जाता है, उसमें भी अर्हकारी मानदण्ड में ढील दी जा रही है।

4. वर्ग iii से वर्ग ii और वर्ग ii के अन्तर्गत तथा वर्ग ii से वर्ग i में प्रवरण द्वारा पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को, जो विचार-योग्य हैं और जो पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं हैं, उनकी सेवा रिकार्ड के आधार पर, उस श्रेणीकरण की अपेक्षा एक अधिक ऊंचे श्रेणीकरण में रखा जाता है, जिसके वे अन्यथा रूप में निर्धार्य थे।

5. वर्ग i के पदों पर प्रवरण द्वारा पदोन्नति में, जिनका अन्तिम वेतन 2000/- रु० उससे कम प्रति मास है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों को प्रवरण सूची में शामिल कर लिया जाता है, जो पदोन्नति के लिये विचार किये जाने वाले लोगों में इतने अधिक वरीय हैं कि जिन रिक्त स्थानों के लिए प्रवरण सूचि बनाई जानी है, उसकी संख्या के वे भीतर आते हों, बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य करार न दिए गए हों।

विवरण

पदों/वर्गों का वर्गीकरण	प्रत्येक श्रेणी के पद/वर्ग की कुल सं०	कालम 2 उन पदों की कुल सं० जिन पर आरक्षण संबंधी आदेश लागू होते थे/लागू होते हैं	अनुसूचित जाति सं०	अनुसूचित जाति कालम 3 के सन्दर्भ में प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति सं०	अनुसूचित जनजाति कालम 3 के संदर्भ में प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय विदेश सेवा-शाखा 'क' और 'ख'							
वर्ग i	440	213	18	8·5%	10	4·7%	
वर्ग ii	1527	467	64	13·9%	5	1·1%	
वर्ग iii	728	313	32	10%	2	0·6%	
नि:संवर्ग पद							
वर्ग i	79	—	—	—	—	—	
वर्ग ii	85	—	—	—	—	—	
वर्ग iii	62	28	3	17%	—	—	
वर्ग iv	579	416	97	23·3%	8	1·9%	
केन्द्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवास संगठन							
वर्ग i	13	—	—	—	—	—	
वर्ग ii	27	—	—	—	—	—	
वर्ग iii	298	149	33	22·1%	9	6%	
वर्ग iv	108	108	23	21·3%	3	2·8%	

बेरोजगार इंजीनियरों को पैट्रौल पम्प

5229. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यह निर्णय किया था कि बेरोजगार इन्जीनियरों अथवा अन्य बेरोजगार लोगों को पैट्रोल पम्प के लिए अपेक्षित परमिट अथवा लाइसेंस दिये जायेंगे,

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों को ऐसे कितने पैट्रोल पम्प दिये गये हैं तथा उन स्थानों के और नए पैट्रोल पम्प मालिकों के नाम क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में वर्तमान पैट्रोल पम्प मालिकों ने किसी तरह नए पैट्रोल पम्प खोल लिये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और

(घ) गत तीन वर्षों में जिला कूच बिहार पश्चिम बंगाल में कितने नए पैट्रोल पम्प खोले गये हैं तथा उन खानों के और विक्रेताओं के नाम क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के अनुरोध पर, भारतीय तेल निगम ने अपने फुटकर बिक्री केंद्रों (पम्पों) की डालर शिप, मिट्टी के तेल एवं हल्के डीजल तेल के लिए एजेंसियों और वडेन गैस की एजेंसियां स्थानीय निम्न आय वर्ग के परिवारों के बेरोजगार युवक इन्जीनियरों तथा अन्य स्नातकों को दिये जाने की योजना बनाई थी। भारतीय तेल निगम ने यह परियोजना 24-11-1969 को लागू की थी। तब से 31 मई, 1971 के अन्त तक सारे देश में ऐसे 3‌42 प्रत्याशियों, जिनमें फुटकर बिक्री केन्द्रों की 229 पेशकशें शामिल हैं, को नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं। ऐसे व्यक्तियों के नाम स्थानों इत्यादि के बारे में सूचना का संग्रह किया जायेगा और उसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) (1) बापू सर्विस स्टेशन, दिनहाटा।
(2) सुपर सर्विस स्टेशन, सोनापुर।
(3) काशीराम रामखेलवर, कूच बिहार।

आदिवासियों में विशेष प्रकार की बीमारी का सर्वेक्षण

5230. **श्री बी० के० दास चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों के आदिवासियों में विद्यमान विशेष प्रकार की बीमारी का कारण ज्ञात करने के लिए सरकार ने कोई विशेष अध्ययन और सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच अथवा अध्ययन के क्या परिणाम निकले और इन बीमारियों को रोकने और समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

परिवार नियोजन के कार्य में रत गैर-सरकारी एजेंसियां

5231. **श्री एस०एस० महापात्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गैर-सरकारी स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किये जा रहे परिवार नियोजन के कार्य से सन्तुष्ट है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : परिवार नियोजन क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्य का मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिन्हें 50,000 रुपये तक की राशि का वार्षिक सहायतार्थ अनुदान स्वीकृत करने की शक्तियां दे दी गई है। 50,000 रुपये से अधिक रकम के और सामान्य प्रतिमान से भिन्न प्रयोजनों के लिये जो अनुदान दिए जाते है वे भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेकर मंजूर किए जाते है और वे भी उनके कार्यों का राज्य सरकारों द्वारा किए गए मूल्यांकन के ही आधार पर मंजूर किए जाते हैं।

स्वैच्छिक एजेंसियो को अनुदान वर्ष प्रति वर्ष आधार पर दिए जाते हैं। असन्तोषजनक कार्य के लिए बन्द किए गए अनुदान वाले मामलों की संख्या नगण्य है। आमतौर पर स्वैच्छिक संगठनों का कार्य सन्तोषजनक है।

चांदीपुर में समुद्र तट की सड़क को बन्द किया जाना

5232. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाँदीपुर में समुद्र तट पर रक्षा विभाग की सड़क को जनता के लिए अब बन्द कर दिया गया है;

(ख) सड़क का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या क्या थी; और

(ग) क्या जनता के उपयोग के लिए रक्षा विभाग ने किसी वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उक्त सड़क केवल रक्षा विभाग के व्यवहार के लिए है और आम जनता के उपयोग के लिए कभी भी उसे नही खोला गया।

(ख) इसका इस्तेमाल केवल रक्षा कार्मिक करते हैं। यद्यपि अनधिकृत लोग भी अक्सर इसके उपयोग की चेष्टा करते हैं। ग्रुप इस्टैवलिश्मेंट द्वारा इसे रोका जा रहा है।

(ग) जी नही। यद्यपि एक सड़क जो कि एक वर्तमान नहर के किनारे पर स्थित है और समुद्री किनारे के समान्तर लगभग 2 मील अन्दर की ओर चलती है, आम जनता के द्वारा व्यवहार में लायी जाती है।

बालासौर में चांदीपुर के स्थान पर शस्त्रों और गोलाबारूद का परीक्षण

5233. **श्री एस० एस० महापात्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन शस्त्रों तथा गोलाबारूद का बालासौर में चान्दीपुर के स्थान पर परीक्षण किया गया था वे अब त्रुटिपूर्ण पाये गये हैं।

(ख) क्या प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेंट कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापन के माध्यम से उनको इसकी जानकारी दी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेन्टल एस्टैबलिश्मैंट, बालासौर हथियार और गोला बारूद के कुछ चुने हुए नमूनों की जांच करता है। निर्माण की प्रक्रिया का उत्तर दायित्व उन पर नहीं है, वरन् वे, उपभोक्ताओं की स्वीकृति के पूर्व, हथियार या गोला बारूद के काम के मूल्यांकन के लिये उत्तरदायी है। निर्माण के प्रक्रिया और निर्माण के नियत समय का उत्तरदायित्व, डायरेक्टोरेट जनरल आर्डनेन्स फैक्टरी का है। उपभोक्ताओं (सशस्त्र सेना), निर्माता (डायरेक्टोरेट जनरल आर्डनेन्स) (डी०जी० आई०) और आर० एण्ड डी० की संयुक्त बैठक में जांच विधियों का निर्धारण होता हैं और इन विधियों का पालन, प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेन्टल एस्टैबलिश्मैंट, भंडार के सशस्त्र सेनाओं के अंतिम रूप से स्वीकृति के पूर्व, अपने नियत जांच के वक्त करते हैं।

कर्मचारी संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं होता है कि लगाए गए आरोप परीक्षण के विधि या किए गए वास्तविक परीक्षण के विरुद्ध हैं। जहां तक इन जांचों और परीक्षणों का संबंध है, दो तरीकों से यह मालूम किया जा सकता है कि वे नियत कार्य ठीक ढंग से कर रहे हैं अथवा नहीं।

पहला यह है कि उपभोक्ता के द्वारा उनके वास्तविक अनुभव के समय परीक्षण मूल्यांकन का खंडन नहीं होना चाहिए। शसस्त्र सेनाओं ने प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल एस्टैबलिश्मेंट द्वारा किए गए मूल्यांकन से भिन्न कोई शिकायत, फील्ड में इनके वास्तविक निषादन के समय नहीं की है, और अभी तक इन परीक्षणों को सन्तोषजनक स्वीकार किया है।

दूसरा यह है कि अचानक निरीक्षण भ्रमण के द्वारा मादृच्छिक या आकस्मिक निरीक्षण से यह देखा जाए कि जांच के लिए निर्धारित विधियों का कड़े रूप से पालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए आजकल कोई प्रणाली नहीं है। इसके सफल होने की संभावना भी नहीं है क्योंकि अगर ये जांच निरीक्षण या आकस्मिक निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की उपस्थिति में की जाती है या उनकी उपस्थिति मालूम हो जाती है, तब यह निश्चित है कि अगर कोई छोटी भूल होती होगी तो वह आकस्मिक निरीक्षण के समय सामान्यतः नहीं होगी और वह इसलिए निष्फल होगी।

(ख) और (ग) : कर्मचारी संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य चीजों के अलावा प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेंटल एस्टैबलिश्मेंटल में गोला बारूद के परीक्षण में दोष के आरोप थे। गोला बारूद के परीक्षण से संबंधित भाग में कोई तथ्य नहीं है। अन्य पहलुओं की जाँच की जा रही है और जहां आवश्यकता हुई उपयुक्त उपचारी कार्यवाई की जाएगी।

Research work in Iustrument Research Development Establishment, Raipur, Dehradoon, U. P.

5234. Shri Mulka Raj Saini : Will the minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the subjects in which research work was being carried out in the Instrument Research Development Establishment, Raipur, Dehradoon (Uttar Pradesh);

(b) whether the research work in the said establishment has been discontinued or curtailed;

(c) the subjects in which Government Propose to get the research work carried out there in place of the research subjects abandoned;

(d) the reasons for reducing the research work: and

(e) whether the expenditure incurred by Government thereon has also been reduced ?

The Minister State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Instruments Research & Development Establishment is responsible for research and development of fire control instruments, optical instruments and electro-optical instruments. These include direct and indirect sights for weapons, fire control gadgets, infrared devices, laser instruments and instruments using fibre glass optics.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Does not arise in view of the answers given at (a) and (b) above.

(e) No, Sir.

त्रिपुरा की रेडक्रास सोसाइटी

5235. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की रेडक्रास सोसाइटी ने अपने लेखे रेडक्रास सोसाइटी को नव गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से मना कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या है; और

(ग) भूतकाल के लेखों को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की त्रिपुरा शाखा ने कुछ वर्षों तक कोई काम नहीं किया। शाखा को कर्मठ बनाने के लिये उपराज्यपाल की अध्यक्षता में 1 अप्रैल, 1971 में एक तदर्थ समिति बनाई गई थी। भूतपूर्व अवैतनिक सचिव ने कोई कागजात, भण्डार आदि नहीं दिये, जिनके बारे में बताया गया कि वे खो गये हैं। खोये हुये रिकार्ड का पता लगाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मनीपुर स्थित जनरल अस्पताल में अधिक संख्या में विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव

5236. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि मनीपुर स्थित जनरल अस्पताल में शिशु रोग, मनोविकार, कैंसर, त्वचा तथा विकलांग शल्य चिकित्सा के लिए पृथक पृथक विभागों के अभाव में मनीपुर की आम जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन विभागों को खोलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्यय) : (क) और (ख) इस अस्पताल के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हैं और मणिपुर प्रशासन से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। सही स्थिति और यदि आवश्यक समझा गया तो इस सम्बन्ध में अपनाये गये उपायों की सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में नर्सों के लिए प्रशिक्षण की योजना

5237. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय के अधीन नर्सों (ए० श्रेणी) के लिये पूरे प्रशिक्षण की योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रशिक्षण कब तक आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या प्रशिक्षण कर्मचारियों में सिस्टर-ट्यूटर होंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पाकिस्तान को ब्रिटिश सहायता

5238. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :
श्री एम० सत्यनारायण राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने बंगला देश के राजनैतिक हल की दशा में प्रगति का विश्वास हो जाने तक के लिये पाकिस्तान को और आगे विकास-सहायता देना स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार की घोषित अधिकृत नीति यह है कि जहां तक संभव हो पाकिस्तान में जो परियोजनाएं चल रही हैं वे अवश्य जारी रहें परन्तु पाकिस्तान को ब्रिटेन से नई सहायता का प्रश्न नहीं उठता जब तक कि इस बात का पक्का सबूत न मिल जाय कि पूर्व बंगाल में राजनीतिक समाधान के लिए वस्तुतः प्रगति हो रही है।

दिल्ली में महामारी विज्ञान-वेत्ता की नियुक्ति

5239. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में छूत की संक्रामक बीमारियों की जांच करने और उनके फैलाव को रोकने के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या दिल्ली के अधिकारियों की ओर से महामारी विज्ञान-वेत्ता की नियुक्ति के लिये मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली नगर निगम में उप-स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन एक महामारी सैल काम कर रहा है। उसकी सहायता के लिये तीन सभाई निरीक्षक तथा एक सांख्यिकी सहायक होते हैं जो संक्रामक रोगों/महामारियों से सम्बन्धित जांच पड़ताल का काम करते हैं। निगम द्वारा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखता है। यह संस्थान महामारी रोगों से सम्बन्धित विशेष अध्ययन करता है।

(ख) और (ग) जी हां। सूचना मिली है कि इस प्रस्ताव पर दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई के बारे में पेंटागन द्वारा दिया गया वक्तव्य।

5240. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई को उचित ठहराने के आशय वाले पेन्टागन के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) . (क) सरकार ने हाल ही में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देखा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में नवनिर्मित सरकारी क्वार्टरों का स्तर

5241. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए निर्मित नए क्वार्टरों के कमरे बहुत छोटे हैं और उनमें आवास का स्थान बहुत ही कम है;

(ख) क्या निजी निर्माण की तुलना में नवनिर्मित क्वार्टरों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री बहुत ही घटिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भविष्य में छत वाले और बिना छत का अधिक स्थान वाले, बड़े कमरे वाले क्वार्टर बनाने और उनके निर्माण में अच्छी किस्म का समान लगाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहें हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। विभिन्न टाइपों के क्वार्टरों के लिये अनुमोदित कुर्सी क्षेत्र के अनुसार कमरों का क्षेत्रफल दिया जाता है, और कमरों के आकार नगरीय उप-नियमों के अनुसार हैं।

(ख) जी, नहीं। निर्माण सामग्री, सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये कुर्सी क्षेत्र दरों के अन्तर्गत अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) फिलहाल वर्तमान टाइपों के क्वार्टरों के कुर्सी क्षेत्र को बढ़ाने अथवा विशिष्टियों के संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली, नई दिल्ली में कम आय वाले कर्मचारियों के कबजे वाले सरकारी क्वार्टरों का रख रखाव

5242. श्री राम सहाय पांडे : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, नई दिल्ली में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को आवंटित सरकारी क्वाटरों का रख-रखाव उच्च अधिकारियों तथा संसदसदस्यों को आवंटित निवासों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय की तुलना में बहुत ही निम्न श्रेणी का है;

(ख) क्या आवासों के क्षेत्रफल की दृष्टि से कम आय वाले कर्मचारियों को उच्चाधिकारियों की तुलना में कहीं अधिक किराया देना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कम आय वाले कर्मचारियों के निवासों के उचित रख-रखाव का सुनिश्चय करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगला देश के बारे में भारत की राष्ट्रमंडल में भूमिका

5243. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन राष्ट्रमंडल के मुखिया के रूप में बंगला देश के मामले को सुलझाने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रमंडल में भारत की भूमिका क्या होगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ब्रिटेन राष्ट्रमंडल का प्रधान नहीं है यद्यपि ब्रिटिश राज्य के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रमंडल का प्रधान माना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने अपनी ओर से पश्चिम पाकिस्तान के अधिकारियों को यह बता दिया है कि पूर्व बंगाल की जनता की इच्छाओं के अनुसार राजनीतिक समाधान आवश्यक है। ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल एवं विदेश मंत्री सर ऐलक डगलस ही ने 23 जून को ब्रिटिश संसद में कहा था कि 'पाकिस्तान के राजनीतिक भविष्य और राजनीतिक ढांचे से संबद्ध राजनीतिक मुद्दों पर इस समय सार्वजनिक रूप से मेरे लिए सुझाव देना उचित नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से हमने कई सुझाव दिए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति 28 जून को वक्तव्य दे रहे हैं। हम आशा करते हैं और हमने उनके समक्ष यह आशा प्रकट भी कर दी है, कि वह पूर्व के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पश्चिम पाकिस्तान के साथ लाने में समर्थ होंगे। हम समझते हैं कि यह अनिवार्य है।' लेकिन राष्ट्रपति याहया खां के 28 जून 1971 के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान में राजनीतिक हल के प्रयास असफल रहे हैं।

(ख) बंगला देश की गतिविधियों के बारे में राष्ट्रमंडल के देशों को भारत ने पूर्वतः अवगत रखा है।

बम्बई स्थित सीरियाई वाणिज्य दूत का महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अभद्र व्यवहार

5244. श्री पी०के० देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बम्बई स्थित सीरियाई वाणिज्य दूत ने भारतीय विमान के अपहरण के बारे में सीरिया सरकार के रवैये के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये 15 फरवरी, 1971 को उनके पास गये एक महिला प्रतिनिधि मण्डल का अपमान किया था।

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सीरियाई वाणिज्य दूतावास से कोई रिपोर्ट प्राप्त की है; और

(ग) उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) छानबीन के बाद सीरिया के राजदूत ने विदेश मंत्रालय को बताया था कि उनके प्रधान कोंसल ने स्त्रियों के शिष्ट मंडल का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं किया था।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

इलाहाबाद तथा मेरठ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये कथित कदाचार

5245. श्री पी०के० देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने के सम्बन्ध में इलाहबाद तथा मेरठ में, सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये कदाचारों के विरुद्ध कोई जांच की गई है;

(ख) क्या स्थल सेना-अध्यक्ष ने चयन बोर्डों को पुनर्गठित किया है; और

(ग) इन बोर्डों द्वारा अस्वीकृत किये गये एमर्जेंसी कमीशन अधिकारियों की पुनः परीक्षा लेने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केवल मेरठ स्थित सेवा चयन बोर्ड के विरुद्ध कदाचारों के आरोप प्राप्त हुए थे और उनकी जाँच की गई थी ।

(ख) जी हाँ; कर्मचारियों में आवश्यक परिवर्तन किए गए थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आरोपित कदाचारों के कारण एमर्जेंसी कमीशन अधिकारियों के अस्वीकृत होने का कोई मामला दृष्टि में नहीं आया था ।

Value of Furniture Provided to Members of Parliament

5246. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Hosing** be pleased to state.

(a) the number and value of furniture articles provided in 'A' 'B' and 'C' type flats and bungalows allotted to members of Parliament in Delhi;

(b) the ratio and rate of charges for the furniture and other articles provided for decoration in the above residential units;

(c) the total value of the furniture articles provided in different categories of the above residential units: and

(d) the amount received by Government as rent for the above articles per month ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I.K. Gujral): (a) to (d): Relevant information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अस्पतालों में पलंगों की संख्या

5247. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971 में सरकारी, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों और धमर्थि संस्थाओं के अस्पतालों में राज्य वार कितने पलंग हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : 1971 में विभिन्न वर्ग के अस्पतालों में पलंगों की संख्या कितनी है इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी 1968-69 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं निजी निकायों (जिनमें दातव्य अस्पताल भी सम्मिलित हैं) द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों की सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 687/71]** राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र दोनों के अधीन सरकारी क्षेत्र में स्थित उपक्रमों के बारे में राज्यों से जो सूचना उपलब्ध हो सकी उसे राज्य और केन्द्र के अन्तर्गत दिखाया गया है।

देश में पुरुष डाक्टर और महिला डाक्टर

5248. श्री नवल किशोरसिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में देश में अर्हता प्राप्त पुरुष डाक्टरों और महिला डाक्टरों की संख्या अलग अलग कितनी है;

(ख) 1971 में कितने 'पैरा-मैडिकल' पुरुष और स्त्री हैं और;

(ग) उनमें से कितने ग्रामीण क्षेत्र में हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 31 दिसम्बर, 1970 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षित डाक्टरों की संख्या 138528 थी जिनमें से 1,16,247 पुरुष डाक्टर हैं और 22,281 महिला डाक्टर हैं। 1971 के वर्ष की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपलब्ध सूचना इस प्रकार है:—

(1) नर्स	*69,937 (पुरुष 4,643) (महिला 65,294 (1969)
(2) धात्री	*70,215 (1969)
(3) सहायक नर्स धात्री	*22,856 (1969)
(4) स्वास्थ्य निरीक्षक	*3,965 (1969)
(5) फार्मेसिस्ट	*80,595 (1969)
(6) प्रयोगशाला तकनीशियन	3,200 (1968-69)**
(7) सफाई निरीक्षक	20,000 (1968-69)**

*यथा पंजीकृत

**पुरुष और महिला कर्मचारियों के बारे में अलग अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) व्यावहारिक जन शक्ति सर्वेक्षण संस्थान द्वारा 1965 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 68 प्रतिशत डाक्टर शहरों में और 32 प्रतिशत ग्राम क्षेत्रों में काम कर रहे थे। पार्श्व चिकित्सा कर्मचारियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

छूत से फैलने वाला कुष्ठ रोग

5249. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार छूत से फैलने वाले कुष्ठ के कितने रोग है;

(ख) कितने रोगियों का इलाज किया जा रहा है; और

(ग) देश में कितनी बार पुनर्रचनात्मक शल्य चिकित्सा की गई तथा किन-किन अस्पतालों में की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय)

(क) हो सकता है कि देश में कुल 25 लाख कुष्ठ रोगियों में से लगभग 6 लाख कुष्ठ रोगी ऐसे हों जिनसे रोग फैलने की आशंका है ।

संक्रामक रोगियों का राज्य वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

	राज्य का नाम	रोगियों की संख्या
1	तमिलनाडु	1.60
2	आन्ध्र प्रदेश	1.30
3	बिहार	0.56
4	महाराष्ट्र	0.44
5	मैसूर	0.28
6	उड़ीसा	0.38
7	उत्तर प्रदेश	0,28
8	पश्चिम बंगाल	0.48
9.	शेष भारत	0.26
		योग 5.58 लाख

(ख) जिन रोगियों का इलाज किया जा रहा है उनकी कुल संख्या 845506 है । इन में से 191571 रोगियों को राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के ढांचे के अन्तर्गत लेप्रोमायुक्त कुष्ठ रोग से ग्रसित पंजीकृत किया गया है ।

(ग) देश के विभिन्न अस्पतालों में कितने सर्जरी आपरेशन किये गये इस बारे में तुरन्त सूचना उपलब्ध नहीं है । जहां ऐसे आपरेशन किए जाते है उन अस्पतालों के नाम संलग्न विवरण में दिए गये है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1 विजयनगरम कुष्ठ गृह, विजयनगर, जिला विशाखापट्टनम ।

2 फिलोडेलफिया कुष्ठ अस्पताल, सालूर, जिला श्रीकाकूलम् ।

3 मिशन कुष्ठ अस्पताल, डिचपाली, जिला निजामाबाद ।

बिहार

4 बाम्बे कुष्ठ संस्थान, राँची, जिला राँची ।

5 सन्थाल पाहाड़िया सेवा मण्डल, बैद्यनाथ देयगढ़, जिला सन्थाल परगना ।

केरल

6 चिवायूर कुष्ठ गृह, कालिकट-4, जिला कोजिकाड़ ।

मध्य प्रदेश

7 बेथेस्दा कुष्ठ अस्पताल एवं गृह चम्पा, जिला बिलासपुर।

8 चान्दकुरी कुष्ठ अस्पताल एवं गृह बेतालपुर, जिला बिलासपुर।

तमिल नाडु

9 क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, वेलोर, जिला उत्तरी अराकोट

10 शीफलिन कुष्ठ अनुसंधान आरोग्यगृह, कारीगिरी, जिला उत्तरी आरोट।

11 कुष्ठ केन्द्र, पोलंबक्कम, जिला चेंगलपट

12 केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षा ऐवं अनुसंधान संस्थान तिरुमानी, जिला चिंगलपट।

13 दी देवेन्द्रनाथ मलिक, कुष्ठ गृह, त्यागदुर्ग, जिला तिरुकोइलूर।

14 स्वीडन का मिशन अस्पताल, रमानाद।

15 सुन्दर स्मारक अस्पताल, रानीपेट, जिला उत्तरी आरोट।

महाराष्ट्र

16 दी टाटा डिपार्टमेंट आफ प्लास्टिक सर्जरी, सर जे० जे० ग्रुप आफ अस्पताल, बम्बई-8

17 कन्दवा कुष्ठ अस्पताल, कान्दवा, पूना।

18 मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नागपुर-3

19 रिचर्डसन कुष्ठ अस्पताल, मिराज, जिला सांगली।

20 कोथारा कुष्ठ अस्पताल एवं गृह, अचलपुर कैम्प अमरावती।

21 गांधी स्मारक कुष्ठ संस्थान, पो० आ हिन्दी नगर वर्धा।

22 पुरुष भिक्षु गृह, चेम्बूर, बम्बई-71।

मैसूर

23 दी मेरी कलवर्ट होल्डसबर्थ मेमोरियल अस्पताल, मैसूर।

24 सेंट जोसेफ अस्पताल, पो० आ० कानकानडे, मंगलौर, जिला दक्षिण कांगड़ा।

25 सांकेश्वर मिषन अस्पताल एवं सिलवर जुबली, कुष्ठ अस्पताल, साँकेश्वर बेलगाम।

उत्तर प्रदेश

26 कुष्ठ गृह एवं अस्पताल, अलमोड़ा।

27 कुष्ठ गृह एवं अस्पताल, जमूरतगंज, मोतीनगर, जिला फैजाबाद

पश्चिमी बंगाल

29 गोरीपुर कुष्ठ कालोनी, बंकुरा:

दिल्ली

30 कुष्ठ गृह, तहीरपुर, प० आ० शहादरा, दिल्ली-32

मंत्रियों के बंगलों को सुधारने पर व्यय

5250. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यावधि चुनाव के पश्चात मंत्रियों के बंगलों को सुधारने, सजाने और मेज कुर्सी आदि लगाने पर सरकार ने कुल कितनी धन राशि खर्च की है; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये प्रत्येक मंत्री के बंगले पर कितनी कितनी राशि खर्च की गई तथा उन मंत्रियों के नाम क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स स्टील कन्टेनर्स के साथ भारतीय तेल निगम को बैरल सप्लाई करने का ठेका

5251. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने मैसर्स स्टील कन्टेनर्स, बम्बई से निगम को 9 लाख बैरल सप्लाई करने का ठेका किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ठेके की शर्तें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) पार्टी ने भारतीय तेल निगम के अयातित इस्पात से 6 लाख बैरल और देशी इस्पात में से 3 लाख बैरलों की सप्लाई करनी है। दोनों मामलों में निर्माण दर रु० 7.20 प्रति बैरल है अर्थात रु० 6.58 निर्माण प्रभार के रूप में और रुपये 0.62 प्रेषण प्रभार के रूप में टेंडरों में उनकी निम्नतम दरों के आलावा पार्टी ने भारतीय तेल निगम के आयातित इस्पात के प्रतिमीटरी टन से 39 बैरल निर्माण की पेशकश भी की थी। इसे अन्य निर्माताओं ने भारतीय तेल निगम के आयतित इस्पात के प्रतिमीटरी टन से केवल 38 बैरल बनाने की पेशकश की थी। इससे वर्तमान लागतों पर 8.4 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

औषध कारकों का रजिस्ट्रेशन

5252. श्री राजदेव सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक्टरों और नर्सों का केवल एक बार रजिस्ट्रेशन होता है जबकि औषधकारकों को हर वर्ष अपने रजिस्ट्रेशन का नवीकरण कराना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 34 के अनुसार विशेषज्ञों के पंजीकरण का वार्षिक नवीकरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीसकी अदायगी पर किया जाता है। डाक्टरों का पंजीकरण केवल एक बार किया जाता है। अलबत्ते जब वे दूसरे राज्य में प्रवास के लिए जाते हैं तो कुछ राज्य चिकित्सा परिषदें उन्हें सम्बन्धित राज्य चिकित्सा परिषद के पास पुनः पंजीकरण करने को कहती हैं। नर्सों का पंजीकरण राज्य नर्सिंग परिषदों द्वारा किया जा रहा है और महाराष्ट्र

एवं गुजरात को छोड़कर जहां नियमानुसार उन्हें नवीकरण हर पांच वर्ष पश्चात कराना होता है, शेष राज्यों में उनके नियमों के अधीन पंजीकरण के नवीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय तथा राज्य फार्मेसी काउन्सिलों का कार्यकरण

5253. श्री राजदेव सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य फार्मेसी काउंसिलों को कार्य औषध निर्माताओं का कल्याण करना है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या उपलब्धि हुई है; और

(ग) वर्ष 1970-71 के लिए इसके आय-व्यय का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : भेषज अधिनियम, 1948 को लागू करने, भेषज शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्बन्धी शिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में प्रवेश-क्षमता बनाने तथा भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 42 को लागू करने के लिये केन्द्रीय भेषज परिषद प्रयास करती रही है। राज्य परिषदों का काम फारमेसिस्टों का पंजीकरण करना तथा फारमेसिस्टों के आचरण सहित उनके व्यवसाय का विनियमन करना है। ये सभी कार्य भेषज-व्यवसाय की भलाई के लिए हैं और अन्तत इनके कारण फारमेसिस्टों का भला होगा।

(ग) केन्द्रीय भैषज परिषद का 1970-71 का लेखा परीक्षा अभी किया जाना है। राज्य भेषज परिषदों के आय-व्यय के विवरण उपलब्ध नहीं है।

औषध-कारकों (फार्मेसिस्ट्स) के लिए कार्य-भार का मापदण्ड

5254. श्री राजदेव सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध परिषध ने औषधकारकों के कार्य-भार का कोई माप-दण्ड निर्धारित कर दिया है तथा उसी के अनुसार ही उन्हें कार्य बांटा जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) भेषजज्ञों के कार्य-भार के सम्बन्ध में किसी प्रकार का मानदण्ड निर्धारित करने का काम केन्द्रीय भेषजी परिषद के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता।

औषधकारकों की पदोन्नति

5255. श्री राजदेव सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों, अर्ध-सरकारों और अन्य विभागों में **औषधकारकों** के वेतनमान और पदोन्नति के अवसर केन्द्रीय सरकार के वेतनमान से श्रेष्ठतर है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : राज्य और अर्ध सरकारी तथा अन्य विभागों के अधीन फार्मेसिस्टों के तुलनात्मक वेतनमान और पदोन्नति के अवसर क्या हैं इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है और जैसे ही प्राप्त होगी उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

चिकित्सा स्टोर के प्रभारी गैर तकनीकी लोग

5256. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर तकनीकी लोगों अथवा व्यक्तियों से चिकित्सा स्टोर के प्रभारों का काम लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अनुरूप है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० डी० चट्टोपध्याय) (क) और (ख) : जहां तक सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपुओं का सम्बन्ध है वे निर्धारित नियमों के अनुसार अर्हता प्राप्त अधिकारियों के अधीन हैं। अधिकांशतः औषधियां बन्द डिब्बों में स्टाक की जाती हैं। दवाइयों की जब कभी फुटकर बिक्री करनी पड़ती है तो यह काम पूरी तरह से प्रशिक्षित फारमेसिस्टों द्वारा किया जाता है जोकि चिकित्सा भण्डार डिपुओं के नियमित कर्मचारी हैं। इससे फारमेसी अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं होता।

भारत में उत्तर कोरियाई वाणिज्य दूतावास के प्रचार के विरुद्ध विदेशों द्वारा विरोध

5257. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, कोरिया गणतन्त्र आदि जैसे मित्र-देशों के विरुद्ध भारत में उत्तर कोरियाई वाणिज्य दूतावास के अभद्र प्रचार के बारे में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से विरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो विरोध प्रकट करने वाले देशों के क्या नाम है तथा उन विरोधों का स्वरूप क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) नई दिल्ली स्थित कोरियाई गणतंत्र के प्रधान कोंसलाबास एवं अमरीकी राजदूतावास ने अपने-अपने देशों के बारे में, कोरियाई लोक जन गणराज्य के नई दिल्ली-स्थित प्रधान कोंसलावास द्वारा किये गए प्रचार में, निन्द्य संदर्भों की ओर जबानी तौर पर हमारा ध्यान खींचा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की भूतपूर्व प्रतिनिधि श्रीमती लीला मेनन के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन

5258 श्री वीरेन्द्र सिह राव : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ईरान में रोस्तम अशोधित तेलपरियोजना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की भूतपूर्व प्रतिनिधि श्रीमती लीला मेनन के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है।

(ख) रिपोर्ट 3-4 दिन पहले ही प्राप्त हुई है और मंत्रालय में इस पर जांच की जा रही है।

(ग) उचित कार्यवाही की जा रही है।

आन्तरिक उपभोग के लिये प्राकृतिक गैस को ईधन गैस के रूप में काम में लाना

5259. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसी प्राकृतिक गैस के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है जिसे आन्तरिक उपभोग के लिये ईंधन गैस के रूप में काम में लाया जा सकता है; और

(ख) कितने संसाधनों का उपभोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने विशाल संसाधनों का उपभोग करने के लिए किसी योजना पर विचार किया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) प्राकृतिक गैस से तरल पैट्रोलियम गैस का निस्सारण किया जा सकता है और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया, इस समय, इस विषय की सम्भावनाओं की जांच कर रहे हैं, तथापि, तरल पैट्रोलियम गैस निस्सारित नहीं की जा रही है इस सम्बन्ध में निस्सारण की लाभप्रदता तथा उर्वरक कारखानों द्वारा इसे (गैस को) कच्चे माल के रूप में प्रयोगार्थ शेष गैस की रचना की उपयुक्तता, महत्वपूर्ण विषय है। भारत में इस समय तरल पैट्रोलियम गैस का उत्पादन, परिष्करणशाला की गैसों से होता है। 1970 में बेची गई तरल पैट्रोलियम गैस की मात्रा 166,000 मीटरी टन थी।

भवन निर्माण सामग्री सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना

5260. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए निम्न और मध्य आय समूहों के व्यक्तियों को तकनीकी सलाह देने और भवन निर्माण सामग्री सप्लाई करने के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना करने की वांछनीयता पर विचार किया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का संगठन कब तक स्थापित हो जायगा, और

(ग) उक्त अल्प आय समूहों के व्यक्तियों को सरकारी नियंत्रित दरों पर मकान निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समय क्या सुविधाएं दी जा रहीं है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी. जो कि प्रिफेब्रिकेटेड रिइन्फोर्स्ड सीमेंट कन्क्रीट कम्पोनेट, प्रिस्ट्रेस्ड सीमेंट कन्क्रीट ट्रांसमिशन खम्भे, फोम कन्क्रीट पेनल्ज, पार्टीशन तथा इन्सूलेशन ब्लाक्स आदि का उत्पादन करती है, तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित के तत्वावधान में यांत्रिक ईंट भट्टा, जो ईंटों का उत्पादन करता है, के अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने भवन निर्माण सामग्री की सप्लाई के लिये किसी अन्य केन्द्रीय अभिकरण की स्थापना नहीं की है ।

राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा इस्पात, सीमेंट आदि जैसी कीमती तथा दुर्लभ परम्परागत भवन निर्माण सामग्री के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिये तथा अधिक मजबूत इंटे (यांत्रिक ईंट भट्टा), सेल्लुलर कन्क्रीट, अस्फाल्टिक कारुगेटिड रूफिंग शीट्स, हल्के वज़न के एग्रीगेट्स, प्लास्टिक पाइप्स आदि जैसी नई निर्माण सामग्री के उत्पादन तथा उन्हें आरम्भ करने हेतु तकनीकी सलाह खुलेआम दी जाती है ।

सीमेंट नियंत्रित दरों पर उपलब्ध किया जाता है। इस्पात का मूल्य, इस्पात उत्पादकों द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

ईंट, यद्यपि, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, आवश्यक वस्तु नहीं है, यह औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग भी नहीं हैं, इस का मूल्य दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

विमान दुर्घटना में हुई विंग कमांडर डी० एल० दार की मृत्यु के बारे में जांच

5261. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जून, 1971 को एक विमान दुर्घटना में हुई विंग कमाण्डर ड़ी० एल० दार की मृत्यु के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस के निष्कर्ष क्या निकले हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : दुर्घटना के उपरांत तत्काल एक जांच अदालत का गठन किया गया है। अदालती जांच कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है।

Oil Refinery in Kotah

5262. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) Whether the Survey Committee has recommended setting up of an Oil Refinery at Kotah (Rajasthan);

(b) if so, the decision taken by Government in this regard; and

(c) the time by which such an oil refinary is expected to be set up there ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) A Committee of Experts was appointed in April, 1969 to study the question of additional refining capacity in the country and its location. This Committee recommended the establishment of a refinery in the North-West region. IOC were asked to prepare a feasibility report for this refinery indicating therein also the advantages and disadvantages of various possible locations from the techno-economic angle. The report has been received only on 1st June, 1971 and it under examination. No decision in regard to location has yet been taken.

Ayurvedic Research Institute at Jamnagar

5263. **Shri Mahadeepak Singh Sharya :** Will the minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the name of the diseases in respect of which research has been conducted so far in the Ayurvedic Research Institute set up at Jamnagar and the names of the various special drugs invented during the last year and the extent of success achieved by the Government in this regard; and

(b) if success has been achieved, the main features thereof, and if not, the steps being taken by Government to achieve progress in this direction ?

The Minister of State for Health and Family Planning : (Shri D.P. Chattopadhyay): (a) & (b) Research has been conducted on the following diseases in Post-graduate Research Wings of the Gujarat Ayurved University, Jamnagar :

1, Panduroga and allied diseases.
2. Grahaniroga, Agnimandya. Atisara, Pravahika. Amlapitta.
3. Jalodara and allied diseases.
4. Amavata, Sandhivata, Kroshtuka-Shirsha.
5. Shvasa roga;
6. Krimiroga.

Out of the 58 plants, studied by the various research units of the Central Council for Research in Indian Medicine & Homoeopathy, in different parts of the country, 18 plants have yielded encouraging leads and 8 of them have reached a fairly advanced stage of investigation, The research is, at present confined to single drugs. Similarly, 9 drugs/ recipes are also being studied by the various Family Planning Research Units under the Central concil for Research in Indian Medicine and Homoeopathy.

No special drugs have been invented during the last year.

गुजरात में गैस तथा तेल का उत्पादन

*5264. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में कितनी मात्रा में गैस तथा तेल का का उत्पादन किया गया है,

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कितनी मात्रा में गैस तथा तेल का विक्रय किया है, और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गैस तथा तेल की कितनी मात्रा का उपयोग नहीं किया और वह बेकार जल गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी):(क) से (ग) 1970-71 में गुजरात में 34,67,183 मीटरी टन अशोधित तेल का उत्पादन हुआ, जिसमें से 34,50,224 मीटरी टन अशोधित तेल वेचा गया था। विक्रय के स्थगित रहने तक अशोधित तेल की शेष मात्रा टैंकों में पड़ी रही। कोई अशोधित तेल नहीं जलाया गया था।

उसी अवधि के अन्तर्गत, गुजरात के तेल क्षेत्रों से 466,323 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया, जिसमें से 332.11 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस बेची गई थी। जहां तक उक्त गैस की शेष मात्रा का सम्बन्ध है, इस का कुछ अंश आयोग द्वारा आन्तरिक प्रयोग में लाया गया और शेष भाग जलाया गया था।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की प्रबन्ध-समिति

5265. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, की प्रबन्धक समिति पिछली बार कब बनाई गई थी;

(ख) पहली अप्रैल, 1971 को समिति के कौन-कौन सदस्य थे; और

(ग) वर्ष 1970-71 में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की प्रबन्ध और कार्यकारिणी समिति की कितनी बैठकें हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की "प्रबन्ध समिति" नामक कोई समिति नहीं है। इसके लिये उच्चतम निकाय जिसको भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है 'संस्थान-निकाय है' जो कि पिछली बार जून, 1967 में गठित किया गया था।

(ख) 1 अप्रैल, 1971 को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 'संस्थान-निकाय' के सदस्यों की सूची संलग्न है।

(ग) 1970-71 के दौरान इस संस्थान-निकाय की 5 बार बैठक हुई। 1970-71 में संस्थान की अन्य समितियों की कितनी बार बैठक हुई इसका विवरण निम्न प्रकार है:—

1.	शासी निकाय	-	5 बैठकें
2.	शैक्षिक समिति	-	4 ,,
3.	वित्तीय समिति	-	3 ,,
4.	भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में श्रेणी 1 और 2 के पदों की भर्ती के लिए चयन समिति।	-	2 ,,
5.	सम्पदा समिति	-	3 ,,
6.	श्रमिक समस्याओं से सम्बन्धित तदर्थ समिति	-	1 ,,

विवरण

1.	श्री के०के० शाह, केन्द्रीय मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास, नई दिल्ली	- अध्यक्ष
2.	प्रो० एम०एस० ठक्कर, 2-ए, मफतलाल पार्क, वार्डन रोड़ बम्बई।	- सदस्य
3.	श्री के०के० दास, भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय।	- सदस्य
4.	श्री एल०एस० चन्द्रकांत, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।	- सदस्य
5.	डा० जे०बी० श्रीवास्तव, स्वास्थ्य, सेवाओं के महानिदेशक।	- सदस्य
6.	श्री जी०के० भनोट, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय-विभाग, नई दिल्ली।	- सदस्य
7.	श्री स्वरूप सिंह उप-कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	- सदस्य
8.	डा० एम० डी० देसाई, डीन श्रीमती एन० एच० एल० म्यूनिसिपल मेडिकल कालेज, अहमदाबाद।	- सदस्य
9.	डा० आर०वी० सिंह, प्रधानाचार्य के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ	- सदस्य

10.	डा० टी० जनार्धन, आई 4, हारिंगटन रोड़ चेटपूट, मद्रास ।	- सदस्य
11.	डा० जेकाब चेन्डी, प्रधानाचार्य क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, बेलोर ।	- सदस्य
12.	डा० एस० रंगास्वामी, रासायन शास्त्र के प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।	- सदस्य
13.	डा० एस० पद्मावती, 70, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली ।	- सदस्य
14.	डा० (श्रीमती) मंगलादेवी तलवार, संसद सदस्य 134, साऊथ एवेंन्यू नई दिल्ली	- सदस्य
15.	डा० वी० रामलिंगस्वामी निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	- सदस्य-सचिव

भौतिक चिकित्सा के लाभ

5266. श्री एम० कतामुतु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) मानव रोगों के इलाज में भौतिक चिकित्सा के क्या-क्या लाभ हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1971 को भौतिक चिकित्सा के विशेष पाठ्यक्रम को कितने विद्यार्थी पढ़ रहे थे; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि केरल में "पीझिचिल" (21/सी एस/एम/106) के नाम से एक लोकप्रिय प्रणाली है जो आधुनिक भौतिक चिकित्सा के प्रयोगों से मिलती जुलती है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री डी०पी० चटटोपाध्याय) : (क) भौतिक चिकित्सीय उपचार रोगी को कोई चोट लगने अथवा किसी बिमारी से पीड़ित होने के समय से ही आरम्भ हो जाता है ? यह केवल तभी बन्द किया जाता है जब वह अपये कार्य पर वापिस जाने के काबिल हो जाता है । यह विरूपता को रोकने और व्यक्ति को उस की शेष शक्तियों के उपयोग करने में प्रशिक्षण देने तथा अन्ततः उसे व्यावसायिक कार्य करने के काबिल बनाने में सहायक होता है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) जी हां ।

अस्पतालों में भौतिक चिकित्सा आरम्भ करना

5267. श्री एम० कतामुतु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में भौतिक चिकित्सा लागू करने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) 1 जनवरी, 1971 को भौतिक चिकित्सा में उचित रूप से अर्हताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री **डी०पी० चटटोपाध्याय**) : (क) भौतिक-चिकित्सा की आवश्यकता को देखते हुए दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी प्रमुख अस्पतालों में भौतिक चिकित्सा विभाग स्थापित किये गये हैं।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने नियंत्रणाधीन अस्पतालों में भौतिक-चिकित्सा शुरु करें।

(ख) प्रशिक्षित भौतिक चिकित्सकों को रजिस्टर करने सम्बन्धी किसी सांविधिक आवश्यकता की अनुपस्थिति में किसी खास तारीख को उपलब्ध प्रशिक्षित भौतिक चिकित्सकों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

अर्हता प्राप्त नर्सें

5268. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस समय पर्याप्त अर्हता प्राप्त नर्सें हैं;

(ख) 1970-71 में भारत में कुल कितनी नर्सों ने परीक्षा पास की; और

(ग) क्या सरकार का विचार पर्याप्त संख्या में पुरुष और स्त्री नर्सों को प्रशिक्षित करने की सुविधायें बढ़ाने का हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री डी०पी० चटटोपाध्याय) : (क) नेफा, त्रिपुरा, गोवा जैसे कुछेक संघशासित क्षेत्रों एवं बिहार राज्य के सिवाय कुल मिलाकर वर्तमान पदों के लिए प्रशिक्षित नर्सों की काफी बड़ी संख्या उपलब्ध है। वैसे, यदि चौथी योजना में प्रस्तावित 5 पलंगों के पीछे 1 नर्स के प्रतिमान् को लिया जाय तो जितनी-इनकी माँग है उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1970-71 के बारे में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है तथा एकत्र की जा रही हैं। प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) नर्सों को प्रशिक्षण देने का काम राज्य क्षेत्रों को सौंप दिया गया है तथा राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे उनको प्रशिक्षित करने के लिए समुचित व्यवस्था करें ताकि वे माँग के अनुरूप उपलब्ध हो सकें।

सशस्त्र सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान समान करने पर होने वाला व्यय

5269. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र

सेवा और भारतीय सरकार प्रशासनिक सेवा के वेतनमान समान करने से सरकार के ऊपर कितना अधिक भार पड़ेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के वेतनमान को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के वेतनमान के बराबर लाने के सुझाव से राजकोश से कुल अतिरिक्त खर्चा लगभग 13.83 करोड़ रुपए होने का अमुमान है ।

सेवा-वार विघटन निम्नलिखित होगा :—

थल सैना	10.52 करोड़ रुपए लगभग
नौ सेना	0.91 करोड़ रुपए लगभग
वायु सेना	2.40 करोड़ रुपए लगभग
	13.83 करोड़ रुपए

उत्तर कनारा जिले में सोडा एश का कारखाना

5270. **श्री बी० बी० नायक :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर कनारा जिले में स्थापित किये जाने वाले सोडा एश कारखाने के लिये धान के खेतों को नमक के कूड़ों (साल्ट बान्स, में बदलने से छोड़ दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : उत्तरी कनारा जिले में सोडा क्षार कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु करवार के निकट एक कास्टिक सोडा कारखाने की स्थापना हेतु मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड को एक आशय पत्र जारी किया गया है इस प्रस्तावित कास्टिक सोडा फैक्टरी को औद्योगिक श्रेणी के लवण (साल्ट) की सप्लाई के लिए करवार जिला में एक लवण संयंत्र (साल्ट) की स्थापना हेतु मैसूर स्टेट इन्डस्ट्रियल इन्वैस्टमैन्ट एण्ड डवलैपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का एक प्रस्ताव था । मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड भी उक्त उद्देश्य के लिये लवण (साल्ट) प्रायोजन को कार्यन्वित कर रहा है । धान के खेतों को लवण (साल्ट) के कुन्डों (साल्ट पैन्स) में परिवर्तित करने का विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित है ।

Inefficaciouness of Loop

5271. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Haalth and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether complaints have been received by Government in regard to the inefficaciousness of loop; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State for Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya): (a) A few cases in which women using the loop (IUCD) became pregnant have come to the notice of the Government.

(b) A pregnancy rate of 2-3 per 100 women using IUCD, has been reported by World Health Organisation for the first year of insertion. This rate is somewhat lower for the subsequent years. The IUCD is more effective than any other traditional method of

contraception practised for the spacing of children. As such the IUCD will continue to be used in the National Family Planning Programme.

Demand of Compensations for Expenditure incurred on Bangla Desh Refugees

5272. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of India has requested foreign diplomats to put pressure on Pakistan to pay compensation to India for the expenditure being incurred on the refugees of Bangla Desh; and

(b) if so, their reaction thereto ?

The Dy. Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) While Government have not insisted that other Governments put pressure on Pakistan to pay compensation to India for the care of refugees, Government representatives have on many occasions pointed out that the refugees are Pakistan's responsibility, that India is holding them in temporary trust for the international community and that it is for the international community to see that Pakistan realises that it is only after a political solution, acceptable to the elected representatives of the people of Bangla Desh, that the refugees will return to their homes with confidence of their safety and security.

In a note sent to the Pakistan Government in May, 1971, we had informed that Government that the Government of India reserved the right to claim from the Pakistan Government full satisfaction in respect of the additional financial and other burdens that the Government of India have had to shoulder for affording relief to the refugees from Bangla Desh.

Copies of the note were sent to all our Missions abroad.

(b) Various Governments have made contributions for the relief of refugees and Promissed to put pressure on Pakistan through diplomatic channels.

रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

5273. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता नियमों के अधीन निर्धारित प्रतिशतता से कम है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित न्यूनतम प्रतिशतता लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी हां।

(ख) रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए और सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम कोटा के बराबर उनकी संख्या को लाने के लिये इन प्रतिष्ठानों में कुछ कार्यवाही की गई है। हाल ही में की गई कार्यवाही में निम्नलिखित शामिल है :—

(i) नियुक्ति के लिए साक्षात्कार, चयन समिति द्वारा उन दिनों या उन बैठकों में किया जाये जब कि अन्य जातियों के आवेदकों को नही बुलाया गया हो ।

(ii) इस शर्त पर कि वे अयोग्यता घोषित नहीं किए गए हों अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के आवेदकों का चयन रिआयती मानकों पर किया जाता है ।

(iii) उस रिक्त स्थान को जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के लिये सुरक्षित है, अगर उपयुक्त जाति के सदस्य के द्वारा भरे जाने का पहला प्रयत्न विफल हो गया हो तो, उसका पुनः विज्ञापन किया जाता है, और इसके अनसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा भरे जाने के दुबारा प्रयत्न के बाद ही असुरक्षित आवेदक के द्वारा उस स्थान को भरने के प्रश्न पर विचार किया जाता है ।

(iv) जब इस प्रकार का सुरक्षित स्थान, असुरक्षित जाति के व्यक्ति द्वारा जाता है, तब सुरक्षण नियुक्ति के लिए अगले तीन वर्षों तक आगे ले जाया जाता है जब कि पहले दो वर्षों तक ही होता था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को बोनस

5274. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किस बात को ध्यान में रखते हुये किया गया था; निर्णय किस तिथि को किया गया था तथा उक्त निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों में अधिक से अधिक प्लाटों की निलामी करने में भारी रुचि होने के कारण सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को बोनस देना बन्द करने का है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण गत् तीन वर्षों में प्रति वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रत्येक कालोनी में अलग अलग कितने प्लाट लौटरी निकाल कर अलाट किये गये; और

(घ) उन प्रार्थियों की श्रेणीवार, संख्या कितनी है जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराया तथा पहली जुलाई, 1971 को भूमि और प्लाटों के आवंटन के लिये जिनके आवेदन पत्रों पर निर्णय नहीं किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जून, 1967 में अपने कर्मचारियों पर पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट, 1965 के उपबन्धों को लागू करने का निर्णय किया क्योंकि ऐसा करना वैधानिक रूप से अपेक्षित था । बोनस, बोनस एक्ट 1965 तथा इस विषय की विभिन्न हिदायतों के अनुसार दिया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । कर्मचारियों को बोनस देने के उद्देश्य के लिए रिहायशी आदि प्लाटों की बिक्री से प्राप्त रकमों पर विचार नहीं किया जाता ।

(ग) 813--मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत पंखा रोड में 628 तथा रोहतक रोड में 185। निम्न आय वर्ग में ऐसा कोई आवंटन नही किया गया था।

(घ) रिहायशी प्लाटों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्रों का कोई पंजीकरण नहीं है। 1-7-1971 को, पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या जिनके मामले फ्लेटों के आवंटन के लिए विचाराधीन हैं, मध्यम आय वर्ग में 2,596, निम्न आय वर्ग में 2,513 तथा जनता वर्ग में 2,200 है।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए भारत द्वारा अधिगृहीत चलते फिरते चिकित्सा एकक

5275- श्री जदेजा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों के लिये भारत ने कितने चलते-फिरते चिकित्सा एकक प्राप्त किये हैं;

(ख) ये किन-किन स्थानों पर कार्य करेंगे; और

(ग) ये चलते-फिरते चिकित्सा एकक किन-किन देशों से प्राप्त हुये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Merger of Safdarjang Hospital with all India Institute of Medical Science,s New Delhi.

5276. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the date since when the proposal in regard to merger of Safdarjang Hospital and the All India Institute of Medical Sciences located at Delhi has been under consideration of Government ?

The Minister of Stat^ for Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : The Hospital Review Committee set up by this Ministry had first recommended the merger of Safdarjang Hospital with All India Institute of Medical Sciences in their report in April, 1968. The recommendation was carefully considered by Government but the proposal was not accepted.

The proposal was again received in December, 1970 and is now under consideration.

भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा ट्रांजिस्टरयुक्त टेलिविजन सैटों का निर्माण

5277. श्री जदेजा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स का ट्रांजिस्टरयुक्त टेलीविजन सैट बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका फुटकर मूल्य क्या होगा; और

(ग) ये बाजार में सम्भवतः कब तक उपलब्ध हो सकेंगे ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

कम्पनी अभी ट्राँजिस्टरयुक्त टेलिविजन सैट के डिजाइन एवं विकास में लगी हुई है। इस कम्पनी ने इस मद के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया है।

(ख) फुटकर मूल्य अभी नहीं आंका गया है। तथापि अन्य शुल्क एवं करों के अतिरिक्त उत्पादन पर शुल्क के साथ इसका एक्स फैक्टरी मूल्य संभवतः लगभग 2000 रुपये प्रति सैट होगा।

(ग) यह कहना संभव नहीं है कि ये सैट कब तक बाजार में उपलब्ध होगा क्योंकि अभी कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

मद्रास की तेल जेटी के पूरा होने में देरी के कारण मद्रास तेल शोधक कारखाने को हानि

5278. श्री एस० राधाकृष्णनन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर तेल जेटी के निर्माण कार्य और उसके पूरे होने में देरी के कारण मद्रास तेल शोधक कारखाने को गत दो वर्षों में सात करोड़ रुपये का घाटा हुआ है; और

(ख) निर्माण कार्य के पूरा होने तक मद्रास तेल शोधक कारखाने को अनुमानतः कितना घाटा होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) मद्रास परिष्करणशाला को उसके 1969-70 के वित्तीय वर्ष में 3·67 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस राशि में से, 2·51 करोड़ रुपये की राशि खाड़ी से मद्रास तक कच्चा तेल ले जाने वाले शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया के बड़े-बड़े टैंकरों को ठहराने की सुविधाओं के विकास में विलम्ब हो जाने के फलस्वरूप किये गये अतिरिक्त व्यय के कारण है।

कम्पनी के 1970-71 के वितीय वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) 42 फुट ड्राफ्ट के 1972 के आरम्भ में उपलब्ध हो जाने की आशा है। पूर्वी तरंगरोध विस्तार के सितम्बर, 1972 तक पूरा हो जाने की आशा है। इससे वर्ष के नौ महीनों के दौरान बड़े-बड़े टैंकरों को यहाँ लाया जा सकेगा। बाह्य शाखिका पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः आगामी हानियों का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है।

पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में हैजा के टीकों की अत्यधिक कमी

5279. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल से मिलने वाले सीमावर्ती राज्यों में हैजा के टीकों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या इस कमी को देखते हुए भारत सरकार का विचार विदेशों से हैजा के टीके आयात करने का है; और

(घ) हैजा के टीकों की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय नें राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) बिलकुल भी कमी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : देश में हैजा वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है । इसके अतिरिक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से भी उपहार के रूप में सप्लाई प्राप्त हो रही है ।

माना शरणार्थी कैम्प में पीने के पानी की कमी

5280. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शरणार्थी कैम्प में पीने के पानी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) माना कैम्प में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं अथवा करेगी; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) इस कैम्प में हैजा फैलने के खतरे को दूर करने के लिए इन नए विस्थापितों के लिए जल पूर्ति क पृथक प्रबन्ध करना पड़ा । इसके अतिरिक्त ये नए कैम्प कठोर पथरीले क्षेत्रों में स्थित हैं जहां पानी कम मिलता है । ऐसे क्षेत्रों में नलकूप खोदने में अधिक समय लगता है ।

(ग) 14-7-1971 तक माना भाटा, नवागांव तथा केन्द्र के तीन कैम्पों में 114 नलकूप पहले ही चालू किये जा चुके हैं । और अधिक नलकूप खोदने के लिये 25 कालिक्स मिल्स, 3 नम्बर हाई स्पीट रॉक ड्रिल पहले ही कार्य कर रहे हैं । 3 नम्बर नए हाई स्पीड रॉक ड्रिल्स बम्बई से मंगाई जा रही है । अतिरिक्त हाई स्पीड रॉक ड्रिल्स के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं । टैंकरों द्वारा जल वितरण के भी प्रबन्ध कर दिये गये हैं ।

(घ) नलकूपों को खोदने के लिए अलग के कोई धन नहीं रखा गया है । तथापि, पहले ही खोदे गये नलकूपों और खोदे जाने के लिये प्रस्तावित नलकूपों की लागत भारत की आकस्मिकता निधि से पेशगी लेकर पूरी की जायेगी ।

बड़े-बड़े अस्पतालों में संक्रमण के लिये परिरक्षण (शील्ड) के रूप मे "कैनोपी" की व्यवस्था

5281. श्री विजयपाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश हृदयरोपण दल के सदस्य डा० डोनाल लोंग मोर द्वारा किये गए विचारों के अनुसार एक "कैनोपी" बनाई गई है जो अस्पताल के साधारण पलंग पर लगाई जा सकती है तथा जिससे नीचे की ओर स्टेराइल हवा बहती है और इस प्रकार शल्य चिकित्सा दिये गये रोगियों की संक्रमण (इन्फैक्शन) से रक्षा हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो रोगियों के लिये जो वायु मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिये देश के बड़े-बड़े अस्पतालों में इसकी कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ;

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : "कैनोपी", एक प्रकार की शील्ड है जिसका उपयोग हृदय प्रतिरोपण आपरेशन के बाद रोगी की ओर हवा का रुख मोड़ने के लिए किया जाता है। इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता और ना ही यह आवश्यक है। यह उपक्रम अभी इतना प्रचलित नहीं हुआ है कि इसका उपयोग हृदय-प्रतिरोपण के रोगियों के लिए सामान्य उपकरण के रूप में किया जा सके।

विश्व के अन्य भागों में भी इसका अधिक प्रयोग नहीं किया जाता।

राज्यों के अस्पतालों में उपचार के लिए संसद सदस्यों की सुविधाएं

5282. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के अस्पतालों में संसद सदस्यों को वही सुविधायें मिलती हैं जो कि वहां के विधायकों को उपलब्ध हैं;

(ख) क्या राज्य के अस्पतालों में दाखिल होने के लिए उनको अग्रिम धन देना पड़ता है; और

(ग) क्या उनको औषधियां खरीदने के लिए कहा जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) से (ग) : संसद सदस्यों पर चिकित्सा सुविधा (संसद सदस्य) नियमावली 1959 लागू होती है। जिसके अनुसार, उन नगरों में जो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन आते हैं उनको उसी प्रकार की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं जिनके लिए केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा की प्रथम श्रेणी के अधिकारी हकदार है। इन नगरों के बाहर वे केन्द्रीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या/इलाज के हकदार हैं इन नियमों के अनुसार उनको अपनी चिकित्सा परिचर्या 'इलाज पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार खर्च करना होता है और नियमानुसार जितनी प्रतिपूर्ति हो सकती है उतनी राशि की प्रतिपूर्ति मांगनी होती है।

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पेयजल की सुविधाओं के लिए केरल को वित्तीय सहायता

5283. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेय जल की सुविधायें उपलब्ध करने हेतु केरल को तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धन राशि दी गई;

(ख) चौथी योजना में राज्य के लिए कितनी धन राशि रखी गई है;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों के लिए चौथी योजना में रखी गई राशि की तुलना में यह कितनी है;

(घ) क्या केरल के लिये रखी गई राशि अपर्याप्त है; और

(ड.) इस योजना के लिये केरल को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपध्याय) :

(क) राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल सरकार को शहरी जलपूर्ति एवं सफाई कार्य के लिये 331·34 लाख रुपये ऋण के रूप में तथा ग्राम जलपूर्ति के लिये 37·13 लाख रुपये सहायतार्थ अनुदान के रूप में दिये गये ।

(ख) चौथे पंचवर्षीय आयोजन में यह कार्यकम राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है और राज्यों को केन्द्रीय सहायता किसी योजना विशेष अथवा विकास शीर्ष का उल्लेख किये बिना समेकित अनुदानों के रूप में दी जा रही है। चौथे पंचवर्षीय आयोजन में केरल के लिये जलपूर्ति एवं सफाई कार्यों के निमित्त 10 करोड़ 75 लाख रुपये का योजना परिव्यय रखा गया है जिसमें से 7 करोड़ ग्रामीण जलपूर्ति के लिये निर्धारित किये गये हैं।

(ग) से (ड.) : अपने साधनों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अपने योजना बजट में आवश्यक व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। केरल राज्य के चौथे आयोजन में इस काम के लिये जो रकम रखी गई है वह राज्य के सम्पूर्ण चौथे आयोजना की रकम का 4·2 प्रतिशत है, ज़हां तक सारे भारत का प्रश्न है यह औसत 6·2 प्रतिशत निकलता हैं। राज्य सरकार अपनी जलपूर्ति योजनाओं के लिये आयोजन में एतदर्थ रखी गई रकम की कमी को जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर पूरा कर रही हैं।

केरल में अत्यावश्यक औषधियों की कमी

5284. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में अत्यावश्यक औषधियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां, केरल में इंसुलीन दवाइयों एवँ विटामिन सी प्रपुंज औषधियों की कमी की रिपोर्ट मिली है।

(ख) इन औषधियों के देशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंसुलीन और विटामिन सी की उचित मात्राओं के आयात का प्रबन्ध किया जा रहा है।

Increase in Rent of Build'ngs in Delhi and Housing Facilities to Government Servants.

5285. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rents of buildings in Delhi have registered heavy increase during the last two months;

(b) whether it is also a fact that some of the Government quarters have been sub-let by the allottees who are charging more rent than the deduction made from their pay bills on this count; if so, the number of allottees who have sub-let their quarters;

(c) the number of quarters proposed to be constructed by Government during the current year and the time by which the housing problem being faced by the Government servants would be solved; and

(d) whether Government propose to take any steps to provide housing facilities to the Government servants on low rents till they are allotted Government quarters; if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I.K. Gujral): (a) Rents for buildings in Delhi have been inreasing steadily but this is by no means a a peculiar feature of Delhi nor can the increase be said to be abnormal in various lacalities.

(b) No statistics are available in the Directorate of Estates in regard to the allottees who have sub-let their quarters and are charging more rent than the deductions made from their pay bills on this account. Inquiries about unauthorised subletting of accommodation in the general pool are conducted when any complaint is received in respect of a particular residence in addition to surprise checks/inspections sometimes conducted in Government colonies by the officers of the Directorate of Estates along with the staff of the C.P.W.D. Those allottees, who are found guilty of unauthorised subletting, are penalised in accordance with the provisions contained in the Allotment Rules. During the last six months. ending 30th June, 1971, 472 complaints of unauthorised subletting have been received, out of which 105 have been found anonymous and pseudonymous and no action has been taken thereon 247 and complaints are still under investigation. In 120 complaints investigation has been completed; out of these. in 116 cases the charge of subletting could not be proved and the cases have been closed, whereas in 4 cases the subletting has been proved and the officials have been debarred from Government accommodation.

(c) 2428 quarters in types I to IV are under construction during the current year; besides, 1088 quarters in these types were completed during the last financial year.

(d) There is no proposal under consideration.

Capacity of Printing of Hindi Jobs in Government Presses.

5287. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to State :

(a) the quantum of Hindi jobs pending for printing in Government Presses at present and the number of years for which the oldest job has been pending for printing; and

(b) the arrangements made or proposed to be made to increase the capacity of Government Presses to handle the increasing quantum of Hindi Jobs ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I.K. Gujral) : (a) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The arrangements already made and those proposed to be made for increasing the Hindi capacity of Government Presses are indicated below:—

(i) Orders for starting second shifts in the Government of India Presses at Coimbatore and Ring Road, New Delhi have been issued;

(ii) An I.B.M-cum-Offset Duplicating Unit is being set up in the Government of

India Press, Minto Road. New Delhi, which is expected to increase the Hindi capacity by 100 pages per day;

(iii) 12 Lino Keyboards and 8 Mono Keyboards for composing in English-Hindi are being procured for the Government of India Press, Ring Road, New Delhi. These will increase the capacity by about 125 pages per day;

(iv) A scheme for setting up a Photo Litho Press at Faridabad with a capacity of about 100 pages per day is under examination; and

(v) Additional staff has been sanctioned for second shifts in the Government Presses at Nasik and Faridabad.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

जाली नोटों का कथित प्रचलन

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले (मावेलिक्करा) : मैं वित्त मंत्रालय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

मैं करोड़ो रुपये के विभिन्न राशियों के जाली नोटों को, जिन पर सरकारी नोटों के दोहरे नम्बर अंकित हैं, देश में गुप्त रूप से प्रचलन में लाये जाने के समाचार की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ।

वित्त मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : अध्यक्ष महोदय, मैं विभिन्न मूल्यों वाले और अधिकृत नोटों की संख्याओं के समान संख्याओं वाले जाली नोटों के कथित चलन की और मेरा ध्यान आकर्षित करने वाली सूचना के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं।

2. स्पष्टतः, यह समाचार इस महीने की 17 तारीख के 'स्वराज्य' में प्रकाशित एक लेख में आचार्य जे० बी० कृपलानी द्वारा कही गयी कुछ बातों पर आधारित है। मुझे खेद है कि ऐसे अपुष्ट वक्तव्य दिये गये है जिनके परिणामस्वरूप, देश की मुद्रा में लोगों का विश्वास डिग सकता है। मैं अपने संपूर्ण सामर्थय के साथ जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि इस लेख में देश की अधिकृत मुद्रा के साथ-साथ अनधिकृत मुद्रा के चलन के बारे में जो बातें कहीं गयी हैं वे निराधार हैं।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि समानान्तर मुद्रा के इस भूत की कल्पना समय-समय पर छपने वाले इन समाचारों के आधार पर की गयी है कि एक ही मूल्य के एक-जैसी संख्याओं वाले दो या दो से अधिक नोट कुछ लोगों के देखने में आये हैं। उन सभी मामलों में, जिनमें जांच के लिए नोट उपलब्ध थे, यह देखा गया कि असली नोटों पर जाली संख्याएं बनायी गयी हैं। यह विश्वास करने का कारण है कि यह उन ठगों का काम है जो अपने शिकार व्यक्तियों को अपनी तथा-कथित शक्तियों से प्रभावित करना चाहते हैं। इस प्रकार के प्रतिलिपिकरण के ऐसे मामले बहुत कम हैं और हर हालत में प्रतिलिपिकरण, चलन में आये असली नोटों में से ही किया गया

है । यह सोचना कि प्रतिलिपिकरण के ये इक्का-दुक्का मामले इस बात का प्रमाण हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में अनधिकृत मुद्रा चलन में आयी हुई है, अपनी कल्पना-शक्ति को बेलगाम छोड़ देना है ।

4. यह कहा गया है कि यह तथाकथित जाली मुद्रा, इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस से कथित रूप से चोरी-छिपे बाहर ले जाये गये बैंक-नोट कागज पर छापी गयी है । महोदय, इण्डिया सिक्यारिटी प्रैस और सिक्योरिटी पेपर मिल में इतने कड़े सुरक्षात्मक उपाय लागू हैं कि इन दोनों संगठनों से बैंक-नोट का एक छोटा सा टुकड़ा भी बाहर जाना सम्भव नहीं है ।

5. यह कहने का मतलब यह नहीं है कि जाली नोट बनाने की कोशिश करने का कोई मामला नहीं घटा । लेकिन इक्का-दुक्का मामले हैं । अधिकाँश मामलों में इनका पता लगा लिया जाता है और इनके बारे में कानून के अनुसार कार्रवाइ की जाती है । वस्तुस्थिति यह है कि ऐसे जाली नोटों की संख्या, चलन में आ रही कुल मुद्रा की तुलना में बिल्कुल नगण्य होगी । मै माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी मुद्रा की जाली मुद्रा बनाना कोई सरल काम नहीं है । हमारी मुद्रा में सुरक्षा सम्बन्धी कई बातों का समावेश है जैसे जल-चिन्ह (वाटर मार्क), सुरक्षा धागा, डीजाइन की जटिलता, जिसके ब्यारे को फोटोग्राफी के जरिये भी पूरी तरह से नहीं उतारा जा सकता, स्याही की संरचना, आदि । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, सरकार 10 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट छापने के लिए देवास में एक नये बैंक-नोट प्रैस की स्थापना कर रही है जहाँ छपाई की ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जायगा, जिससे जाली नोट बनाना, यदि असम्भव नहीं तो और भी अधिक कठिन अवश्य हो जायगा । हमारे देश के कानून में,जाली करेंसी नोट और बैंक-नोट बनाने से सम्बन्धित अपराधों के लिए निवारक दंड दिये जाने का, पहले से ही उपबन्ध है । इन अपराधों के बारे में कार्रवाई, राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जाती है जो इस सम्बन्ध में निरन्तर चौकस रहते हैं और किसी व्यक्ति द्वारा जाली मुद्रा बनाये जाने की सूचना मिलने पर छापे मारते हैं । केन्द्रीय जांच कार्यालय (सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन) भी, जाली मुद्रा बनाने के लिए अपनायी जाने वाली विभिन्न तकनीकों का रेकार्ड रख कर और जाली भारतीय मुद्रा के मामलों की समय-समय पर समीक्षा करके जाली भारतीय मुद्रा बनाये जाने की समस्या का निरन्तर अध्ययन करता रहता है । इस कार्यालय ने, जाली मुद्रा बनाने के गम्भीर अपराधों की जाँच करने और राज्यों में किये जाने वाले जाँच-कार्य में तालमेल पैदा करने के लिए, अपने आर्थिक अपराध स्कन्ध में एक 'कक्ष' भी स्थापित किया है ।

अन्त में, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस समाचार में बिल्कुल कोई सचाई नही है कि कई करोड़ रुपयों की जाली मुद्रा चलन में लायी गयी है ।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्लै : प्रतिदिन समाचार पत्रों में ऐसे समाचार छपते हैं कि विभिन्न राशियों के जाली नोट सरकारी नोटों के साथ चल रहे हैं । इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ौसी देश, जिनका भारत से अमैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है, हमारे देश की अर्थ व्यवस्था को नष्ट करने के लिये जाली मुद्रा छाप रहे हैं । इनमें से कुछ नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये नोटों से भी अच्छे हैं ।

केरल के मुख्य मंत्री ने केरल विधान सभा में यह घोषणा की है कि वहां की पुलिस ने 3 लाख रुपये के 100 रुपये की राशि के जाली नोटों का हाल में पता लगाया है । वास्तव में कितने ही करोड़ रुपयों के जाली नोटों का प्रचलन हो रहा है । 15 दिन के ही भीतर केरल और मद्रास

पुलिस ने जाली नोट छपने वाले दो गिरोहों को गिरफ्तार किया है।

जाली नोट चलाने के अधिकाँश मामले केरल और तमिलनाडु में पकड़े गये हैं। केरल राज्य में इस सम्बन्ध में कुछ अधिकारियों और कांस्टेबिलो को गिरफ्तार किया गया है। राज्य प्रशासन इन मामलों का पता लगाने में असमर्थ रहा है।

केरल राज्य में सौ रुपये के नोट को भुनवाना भी एक समस्या है। जिसके पास सौ रुपये का नोट होता है उसे शंका की दृष्टि से देखा जाता है।

कुछ लोग जाली मुद्रा का व्यापार करने में विशेषज्ञ है। वे जेल से छूटने पर फिर अपना व्यापार आरम्भ कर देते हैं।

इन परिस्थितियों में हमें इस अपराध के लिये दी जाने वाली सजा में वृद्धि करनी होगी। हमें इसके लिये मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड देना चाहिये। इस अपराध के लिये दी जानी वाली सजा इस समय बहुत कम है। सरकार को भारत दण्ड संहिता में संशोधन करना चाहिये।

सरकार इस धोखे के बारे में कभी भी पता नहीं लगा सकी। ऐसा कहा गया है कि जाली नोटों के लिये उसी कागज का प्रयोग किया जा रहा है जिसका नासिक प्रैस में प्रयोग किया जाता हैं। लेकिन माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है।

सरकार को इस मामले में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। क्या सरकार इन जाली नोटों के प्रचलन को बन्द करने के लिये नये नोटों का प्रचलन करेगी?

क्या सरकार जाली नोटों का प्रचलन रोकने के लिये एक नये तन्त्र, की व्यवस्था करेगी जो समस्त देश में जाली नोटों के प्रचलन को रोके। नोटों को छापने से पूर्व ही ऐसी व्यवस्था करनी होगी। कुछ राज्यों में जाली नोटों का व्यापार रोकने में पुलिस प्रशासन विशेषकर असफल रहा है।

श्री के० आर० गणेश : श्री कृपालानी काली मुद्रा और जाली मुद्रा में भेद नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 1970 में 465 करोड़ के नोट प्रचलन में थे। नासिक प्रेस को 360 करोड़ नोटों के प्रचलन में एक वर्ष का समय लगा। जाली मुद्रा की समस्या देश में विद्यमान है और यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है अपितु अन्य देशों में भी है। इस सम्बन्ध में पुलिस जांच कर रही है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

वर्ष 1967 में ऐसे अनेक मामले उस समय नियुक्त वित्त मंत्री तथा उप-प्रधान मंत्री के सामने लाये गये थे। उनमें एक प्रकार के नोटों पर विभिन्न नम्बर होने का उल्लेख किया गया था। ऐसे 11 मामलों के बारे में जांच की गई थी। जांच के यह परिणाम निकले थे कि असली नोट थे और किसी चालबाज ने नोट के नम्बर बदल दिये थे जिससे ऐसा प्रतीत हो कि नोटों के दो 'सैटों' के एक ही नम्बर हैं। इस समय प्रचलित सब नोटो को वापिस नहीं लिया जायेगा। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभी भी इस अपराध के लिये आजीवन कारावास की व्यवस्था है। यदि आवश्यक समझा गया तो सरकार ऐसे तन्त्र की व्यवस्था करेगी जो मुद्रा की जालसाजी को रोक सके।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The problem of fake currency is a very serious the Government should take immediate steps to solve it. It has been stated that many agencies

have hand in it. I want to know the number of such agencies detected in this regard and the action taken against them, I want to know whether there is any law under which such people can be punished who spread remours in this matter ? The Government should take immediate steps to solve this problem. I want a categorical reply from the Government in this matter.

श्री के० आर० गणेश : वर्ष 1969 में एक एक रुपये वाले 160 जाली नोट, 2 रुपये के 4,21,889 जाली नोट, 5 रुपये वाले 479 जाली नोट और 10 रुपये वाले 3342 जाली नोट पकड़े गये थे। 1969 में 100 रुपये के 126 और 1970 में 3750 जाली नोट पकड़े गये और 1971 में 24 जाली नोट पकड़े गये। सबसे अधिक जाली नोट तमिल नाडु में पकड़े गये।

गैर जिम्मेवार समाचार देने वालों के लिये प्रेस परिषद की पहले ही व्यवस्था है और मुझे आशा है कि सरकार और मंत्रालय इस मामले की जांच करेगा।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : I am sorry that according to the statement given by the hon. Minister at appears that he has not taken serious view in this regard. This is not the question of a few counter feit Currency notes, but it will cripple the economy of the whole countay. I, therefor, request that serious consideration should be given in this matter. This is a great conspiracy to cripple the economy of the Country. Shri Kripalani must have written that arlicles after acquiring complete information in this regard. Exactly the genuine types of notes have been printed. It appears that the people working in those currency presses are also involved in it. I want to know whether Government is prepared to appoint a high power commission to look into this matter.

श्री के० आर० गणेश : मैंने इस आरोप का खंडन किया था कि स्टेट बैंक से 60 लाख रुपये के जो नोट चोरी हुए थे वे जाली थे। यह नोट बिल्कुल असली थे। इसकी स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा जांच की गई है।

सरकार जाली नोट बनाने वालों के साथ सख्ती से निपटने के लिए दृढ़ है। मैं सभा से भी निवेदन करूंगा कि वह झूठी राजनीति तथा धोखे बाजों की गतिविधियों को प्रोत्साहन न दें। माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा जाना कि इस देश में सब कुछ नकली है ठीक नहीं है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि सरकार दस रुपये के नोट छापने के लिए देवास में एक प्रिंटिंग प्रेस लगा रही है और वहां पर नोट छापने में ऐसी प्राद्योगिकी अपनाई जायेगी जिससे जाली नोट छपना यदि असम्भव नहीं तो अधिक कठिन अवश्य हो जायेगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या चौथी लोक-सभा के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा एक ऐसी कम्पनी से मशीनें खरीदने के लिए चेतावनी नहीं दी गई थी जिसने कि पाकिस्तान और चीन को भी ऐसी ही मशीनें सप्लाई की है? क्या यह भी सच है कि मशीनों की खरीद के मामले में उक्त कम्पनी ने भारतीय कम्पनी को बहुत अधिक धन दिया था जिसमें सत्तारुढ़ दल का कुछ अपना हित है। तीसरे क्या सरकार को इन समाचारों के बारे में पता है कि पाकिस्तान अथवा चीन में जाली भारतीय मुद्रा है?

श्री के० आर० गणेश : सरकार ने इस आरोप का अनेक बार खंडन किया है कि पाकिस्तान और चीन द्वारा इस देश में जाली मुद्रा चलाई जा रही है। इस बात की जांच की गई है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि पाकिस्तान और चीन द्वारा इस देश में जाली मुद्रा चलाई जा रही है।

महोदय भूतपूर्व सदस्य द्वारा सरकार के साथ कोई प्रश्न उठाये जाने की बात है मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिक्योरी प्रेस में जहां नोट छापे जाते हैं सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबन्ध हैं। यदि आप चाहे तो मैं तत्सम्बन्धी ब्यौरा सभा पटल पर रख सकता हूँ।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि उक्त कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी को भारी धनराशि दे गई है।

श्री के० आर गणेश : यह सच नहीं है।

Shri M. C. Daga (Pali) : May I know whether any High Court or some other Court has made any pronouncement in this regard and if so, their observation in this regard ? May I also know the articles seized in this respect. May I know whether the articles which are available with those people who are involved in printing counterfeit currency are manufactured at some other place also ? Whether it is a fact that fake notes are printed in southern India i'.e in Tamil Nadu and kerala only.

श्री के० आर० गणेश : न्यायिक घोषणा के बारे में मुझे सूचना मिलनी चाहिए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

मद्रास उवरंक लिमिटेड के वार्षिक कार्य की समीक्षा तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (i) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मद्रास, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मन्त्रालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 684/71]

प्राक्कलन समिति

Estimats Committee

दूसरा प्रतिवेदन

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : मैं नौवहन और परिवहन मन्त्रालय-तूतीकोरीन और

मंगलौर पत्तनों के बारे में प्राक्कलन समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

Public Acounts Committee

पांचवाँ प्रतिवेदन

डा० लक्ष्मी नरायन पाण्डे (मंदसौर) : मैं निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मन्त्रालय के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (समिति) 1970 के बारे में लोक लेखा समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राउरकेला इस्पात कारखाने की स्टील मैल्टिंग शाप की छत के एक भाग के गिर जाने के बारे में वक्तव्य

Statements Collapse of a portion of Steel Melting Shop of Rourkela Steei Plant

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : महोदय। मुझे दुःख के साथ सदन को बताना पड़ रहा है कि 11/12 जुलाई की रात्रि को राउरकेला इस्पात कारखाने में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। लगभग 2 घण्टे तक लगातार भारी वर्षा होने के कारण स्टील मैल्टिंग शाप की छत का लगभग 150 मीटर भाग अर्धरात्रि के समय गिर गया। एक कामगार की जान चली गई और 13 कामगारों को चोटें आई।

मैंने 17 जुलाई को स्वयं इस्पात कारखाने में जाकर इस क्षति को देखा है और इस समस्या पर प्रबन्धक वर्ग से विचार-विमर्श किया है।

पिट तथा एल० डी० कंवर्टर्स की चार्जिंग वे और मिक्सर वे की ऊपर के छत का भाग गिर गया है। स्टील मैल्टिंग शाप की 38,000 वर्ग मीटर क्षेत्र की छत में से लगभग 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के भाग को क्षति पहुंची है। इस भाग में छत की चादरें, कैंचियां (पीलपाये) तथा छत के खम्बे गिर गए हैं परन्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि आधार-स्तम्भों को नुकसान नही पहुंचा है। इस क्षेत्र में 9 क्रेनों चूना ले जाने वाली पट्टी, आक्सीजन लाइन तथा जल तथा वाष्प लाइन को नुकसान पहुँचा है और इनसे कुछ को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कन्वर्टरों अथवा स्टील मैल्टिंग शाप के किसी अन्य उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचा है। चार खुले मुँह की भट्टियों वाला भाग ज्यों का त्यों है।

इस दुर्घटना के कारण स्टील मैल्टिंग शाप में उत्पादन एकदम ठप्प हो गया। परिणामस्वरूप गर्मधातु की खपत न होने के कारण दो धमन भट्टियां बन्द कर दी गई और दूसरी दो भट्टियां

काम करतीं रहीं । कोक भट्टियों का कोक ले जाने के काम की गति भी धीमी पड़ गई । बाद में कोक भट्टियों का कोक ले जाने के काम की गति तेज कर दी गई और कारखाने की वर्तमान आवश्यकताओं से अधिक कोक दूसरे जरूरतमन्द इस्पात कारखानों को भेजने का प्रबन्ध किया गया ।

कारखाने के प्रबन्धक वर्ग ने खुले मुंह की भट्ठियों को चालू करने के लिए तत्काल उपाय किये और उनमें से एक भट्टी 17 जुलाई से चालू कर दी गई है । ऐसी सम्भावना है कि इस सप्ताह के अन्त तक खुले मुंह की सभी भट्ठियां काम करना शुरू कर देंगी इससे रोलिंग के लिए प्रति दिन लगभग 500 टन इस्पात मिल सकेगा । कारखाने के पास ठण्डे इस्पात पिण्डों का स्टाक है जिसमें से रोलिंग के लिए प्रतिदिन और पांच सौ टन इस्पात दिया जा सकता है ।

क्षतिग्रस्त उपकरणों की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करने का काम हाथ में ले लिया गया है । पुर्ननिर्माण के कार्य करने के लिए केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपाकन ब्यूरो ने नक्शे आदि तैयार करने का काम आरम्भ कर दिया है । इस काम के लिए अत्यावश्यक प्राथमिकता के आधार पर इस्पात देने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं । औजारों और उपस्करों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है और उन्हें तात्कालिक पूर्ति के आधार पर प्राप्त करने के लिए कार्य-वाही की जा रही है । पुर्ननिर्माण के लिए आवश्यक इस्पात के ढाँचे को प्राथमिकता के आधार पर जहाँ तक संभव है अधिक से अधिक मात्रा में कारखाने में ही तैयार करने और शेष मात्रा को बाहर से प्राप्त करने के प्रबन्ध कर लिये गए हैं । अनुमान हैं कि पुर्ननिर्माण कार्य के लिए लगभग 15000 टन संरचनात्मक इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से लगभग 570 टन का संविरचन कारखाने में ही किया जा सकता है और बाकी बाहर से मंगवाना पड़ेगा ।

कारखाने ने छत तैयार करने तथा स्टील मैल्टिंग शाप को पुनः चालू करने के लिए कार्य-क्रम तैयार कर लिया है । सितम्बर के आरम्भ से पहले एल० डी० कन्वर्टरों द्वारा उत्पादन करने की सम्भावना नहीं है उस समय तक केवल एक कन्वर्टर चालू किये जाने की संभावना है । वर्तमान के अनुसार छत का पुर्ननिर्माण करने और सभी एल० डी० कन्वर्टरों को पुनः चालू करने में 6 महीने लगेंगे । जहां तक हो सकेगा इस अवधि को कम करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जायेंगे । इस बीच कारखाने के उन अनुभागों में जिनमें पुर्ननिर्माण के दौरान काम की गति धीमी पड़ने की संभावना है, भारी मरम्मत का काम कार्यक्रम से पहले करने का विचार किया गया है ।

इस दुखद दुर्घटना के कारण इस्पात के कुल उत्पादन में कमी हो जाएगी । इस कमी का अनुमान लगाया जा रहा है तथा महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं की इस्पात की कमी पूरी करने के लिए किए जाने वाले उपाय करने होंगे ।

कारखाने के प्रबन्धक वर्ग ने दुर्घटना सम्बद्ध सभी उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने तथा तथ्यों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है । कोई ऐसा प्रत्यक्ष कारण नजर नहीं आता है जिससे इस दुर्घटना का सम्बन्ध जोड़ा जा सके । अतः इस दुर्घटना की विस्तार से स्वतन्त्र रूप से जांच करानी आवश्यक समझी गई है । तदनुसार सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन करने का निर्णय किया है । इस समिति

से क्षति की कम से कम समय में मरम्मत करने के बारे में उपाय सुझाने के लिए भी कहा जा रहा है। इस समिति का गठन इस प्रकार किया गया है :--

1. लेफ्टिनैन्ट जनरल आर० ए० लुम्बा, प्रधान इंजीनियर आर्मी हैडक्वाटरों-अध्यक्ष
2. श्री दिनेश मोहन, निदेशक, केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की। सदस्य
3. श्री एच० पी० बोधनवाला, तकनीकी सलाहकार, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर। सदस्य

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब राउरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ ही था तभी इसी प्रकार की दुर्घटना हो गई है। भारत में इस्पात उद्योग के इतिहास में ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस क्षति की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करने के लिए कोई कसर न रखी जाएगी, जिससे इस्पात सम्भारकों पर इसका कम से कम प्रभाव पड़े और उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर कारखाना पुनः पूरा उत्पादन करने लगे।

सौभाग्यवश इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद जानी नुकसान कम हुआ है। मुझे विश्वास है कि उस एक कामगार के, जिसकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, सन्तप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रगट करने में सदन मेरे साथ है।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैंने चर्चा के लिए समय दिए जाने के बारे में आपको लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : नियम नुसार कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : माननीय सदस्य इस वक्तव्य की जितनी भी प्रतियां चाहते उनको उपलब्ध कर दी जायेंगी। जैसे ही मुझे इस दुर्घटना का पता लगा मैंने यह वक्तव्य सभा मे दे दिया। ऐसे गम्भीर मामले पर कोई भी कुछ छिपाना नहीं चाहता।

गाड़ियों के समयपालन के सम्बन्ध में वक्तव्य

Statement Punctuality of Trains

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1-6-1971 को मैंने सदन में कहा था कि सवारी गाड़ियों के समय-पालन में सुधार करने के उपाय किए जायेंगे।

पूर्वी क्षेत्र में गाड़ियों के संचलन को इस मामले में मैं अपवाद मानता हूँ जिसके कारण सर्वविदित हैं।

2 जून, 1971 को अर्ध सरकारी पत्र संख्या 71 टी-टी IV/24/4 के रूप में एक परिपत्र भेजकर अभियान चलाया गया था। इस अर्द्ध सरकारी पत्र की प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को भेजी गयी थी।

2. परिपत्र में मुख्यतः यह स्पष्ट किया गया था कि सभी स्तरों पर अधिकारियों की पदो-

न्नति की सम्भावनाओं पर, गाड़ियों के समय पर संचालन में उनके योगदान के आधार पर विचार किया जायेगा। हर गाड़ी पर निगरानी रखी जा रही है ताकि सम्बन्धित कर्मचारियों का उत्तर-दायित्व निश्चित किया जा सके।

3. दिल्ली पहुंचने वाली 19 महत्वपूर्ण एक्सप्रैस गाड़ियों के संचालन पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। अभियान से ठीक पहले 10 दिन की अवधि में मुश्किल से 8 गाड़ियाँ समय पर पहुंची थी और 11 गाड़ियां असामान्य रूप से देर से चल रही थीं। अब स्थिति यह है कि हर रोज 19 में से 15 गाड़ियां समय पर दिल्ली पहुंचती हैं। आमतौर पर अन्य 4 गाड़ियां हैं-नं० 85 असम मेल, नं० 7 तूफान एक्सप्रैस, नं० 13 अपर इंडिया एक्सप्रैस और नं० 11 हावड़ा दिल्ली एक्सप्रैस। ये सभी गाड़ियां पूर्व रेलवे से होकर गुजरती हैं।

4. लम्बी दूरी की कुल 102 महत्वपूर्ण गाड़ियों में से पहले 55 गाड़ियाँ समय पर पहुंचती थीं। ये आंकड़े अब 70 तक पहुँच गये है। देर से चलने वाली शेष 32 गाड़ियों में से अधिकांश वे हैं जो उपद्रवग्रस्त पूर्वी क्षेत्र से गुजरती हैं।

5. 10-6-71 को समाप्त होने वाली 10 दिन की अवधि में मध्य रेलवे में बड़ी लाइन की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का समय-पालन का प्रतिशत 61.5 था। अब यह बढ़ कर 93.9 प्रतिशत हो गया है। उत्तर रेलवे में यह प्रतिशत 82.4 से बढ़कर 94.2 हो गया। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में समय-पालन की स्थिति 30 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गयी है। दक्षिण रेलवे में यह सुधार 82.1 प्रतिशत से बढ़कर 96.3 प्रतिशत हो गया है। दक्षिण मध्य रेलवे में सुधार 77 प्रतिशत से बढ़कर 95% हो गया। पश्चिम रेलवे में स्थिति 50.1 प्रतिशत से सुधर कर 95.1 प्रतिशत हो गयी। पूर्व रेलवे में स्थिति 24.8 प्रतिशत से 47.5 प्रतिशत और दक्षिण-पूर्व रेलवे में 61.9 प्रतिशत से 69.5 प्रतिशत सुधर गयी। जहां तक मीटर लाइन का सम्बन्ध है, उत्तर रेलवे में समय-पालन की स्थिति 85 प्रतिशत से सुधर कर 92.7 प्रतिशत, पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे में 75 प्रतिशत से 88.8 प्रतिशत, दक्षिण रेलवे में 90 प्रतिशत से 98.2 प्रतिशत, दक्षिण-मध्य रेलवे में 76 प्रतिशत से 98 प्रतिशत और पश्चिम रेलवे में 82 प्रतिशत से 87.2 प्रतिशत हो गयी। पूर्वोत्तर रेलवे में स्थिति 60.8 से सुधर कर 71.7 प्रतिशत हो गयी।

धीमी रफ्तार वाली सवारी गाड़ियों के मामले में भी सुधार हुआ है। सबसे अधिक सुधार दक्षिण रेलवे पर हुआ है जहाँ समय न खोने वाली बड़ी लाइन की सवारी गाड़ियों का प्रतिशत 81.6 से सुधर कर 97.2 प्रतिशत हो गया है। पश्चिम रेलवे में स्थिति 83.5 प्रतिशत से सुधर कर 93.1 प्रतिशत, दक्षिण मध्य रेलवे में 71 प्रतिशत से 88 प्रतिशत, मध्य रेलवे में 61.7 प्रतिशत से 86 प्रतिशत और उत्तर रेलवे में 83.1 प्रतिशत से 90 प्रतिशत हो गयी है।

6. समय पालन में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ प्रतिशत सुधार किया जाना हैं। पूर्वी क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों के कारण गाड़ियों का समय अस्त-व्यस्त हो गया और जब तक इन गतिविधियों पर काबू नहीं पा लिया जाता तब तक प्रत्येक गाड़ी को समय पर चलाना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध मे ऐसा बहाना नहीं है। अत: रेल प्रशासन समय पालन अभियान को निरन्तर और ईमानदारी से चलायेगा ताकि सदन को सन्तोष हो जाए।

7. माननीय सदस्यों ने सुझावों और पर्यवेक्षण के रूप में जो प्रोत्साहन दिया, इस अभियान के पीछे वही मूल प्रेरणा रही है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं और मुझे विश्वास है

कि इस अभियान को पूर्णत: सफल बनाने के लिए माननीय सदस्य अपेक्षित उत्साह और समर्थन प्रदान करते रहेंगे ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There should be discussion on this. Time should be alloted for disscussion.

Mr. Speaker : Questions are ask allowed on the statement. So far as allotment of time to disscussion is concerned you can raise this matter in the Business advisory Committee.

अनुदानों की मांगे 1971-72 जारी

Demands for Grants 1971-72 Contd.

कृषि मंत्रालय-जारी

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए छः घण्टे का समय रखा गया था । अब तक पांच घण्टे और चालीस मिनट का समय व्यतीत हो चुका है । समय बढ़ाने की निरन्तर मांग की जा रही है । एक घण्टा और बीस मिनट का समय बढ़ाया जाता है । इससे मंत्री महोदय द्वारा उत्तर भी दिया जायेगा । मंत्री महोदय का कहना है कि वह 45 मिनट लेंगे ।

श्री जदेजा (जामनगर) : प्रतिवेदन के बारे में मेरा विचार यह है कि मंत्रालय ने अपने विभिन्न विषयों पर संतोषजनक प्रगति की है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री तथा उनके मंत्रालय को बधाई देता हूँ ।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि विभिन्न संस्थानों द्वारा जो अनुसंधान कार्य किया जाता है उसके बारे में हमारे किसानों को काफी विलम्ब से पता लगता है । दूसरे केन्द्रीय सरकार को सभी राज्यों को इसके लिए बाध्य करना चाहिए कि जो कृषि स्नातक हैं वे केवल कृषि का कार्य ही करें । तीसरे मत्स्य पालन के बारे में सरकार को व्यापक योजना बनानी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि अनुसंधान केन्द्रों के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है । मत्स्य पालन सम्बन्धी सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मछलियों को आवश्यकता से अधिक पकड़ने को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ।

जहां तक न्याय पंचायतों का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं चाहता कि उनको समाप्त कर दिया जाए परन्तु मैं चाहता हूँ कि उनके नियमों में लोक हित में शीघ्रता से परिवर्तन किये जाये । समूचे देश के लिए एक समान कानून बनाना मेरे विचार में सम्भव नहीं होगा । क्योंकि ऐसा सम्बन्धित राज्य के राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर निर्भर है ।

अत: पंचायती राज को सम्बन्धित राज्य की स्थिति को ध्यान में रखकर ही लागू किया जा सकता है । हैदराबाद स्थित सामुदायिक विकास की राष्ट्रीय संस्था में पर्याप्त लाभ नहीं उठाया जा रहा है । मैं सिफारिश करूंगा कि उन राज्यों को अधिक गैर-नौकरी पेशा लोग प्रशिक्षण के लिए भेजे जायें जहां पंचायती राज अधिक विकसित है ।

वन विभाग को वन्य जीवन की रक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये । कीनिया में वन्य

जीवों की रक्षा पर अधिक ध्यान देने से ये जीव अब सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमा कर दे रहे हैं। लोगों को इस से संबंधित शिक्षा पंचायती राज के माध्यम से दी जानी चाहिये।

यद्यपि अधिकाँश राज्यों में चीते के शिकार पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है परन्तु खेद है कि हमारी सरकार के एम्पोरियमों में चीते की ताजी खालें बिक रही हैं।

आखेट-नियमों में संशोधन करके दण्ड अधिक कठोर बनाए जाने चाहिये जैसा कि अमरीका में किया गया है ?

वन्य जीवन का विभाग वन विभाग मे लेकर पर्यटन विभाग को दे दिया जाना चाहिए वर्ना कुछ दुर्लभ जन्तु लुप्त हो जायेंगे। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड को सांविधिक निकाय बनाया जाये ताकि इसकी नीतियां अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा सकें। परिस्थिति-विज्ञान का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए एक परिषद् बनाई जाये जिसका सभापति स्वयं प्रधान मंत्री हो।

Shri C. D, Gautam (Balaghat) : Sir, 1 would like to make two or three observations. First the Food Croporation should purchase more foodgrains than here to fore to avoid loss to farmars as this Compelled them to sell their grain at rates cheaper than those fixed by Government. This tall talk of green revolution is due to big Farmers only. The Small farmers Cannot go in for modern inputs due to lack of resources. Therefore Government Should try to make available all these inputs to Small former. Local water sources including sewage water should also he tapped for their leenefitrither by Govenment themselves or by gram Panchayats.

Certain varietis of rice lose their flavour etc. when chemical fertilizers are used, some thing should be done in this regard.

Certain Officials of the F.C.1. indulge in corrupt practis in collusion with traders while purchasing foodgrain. This should be Stopped. 1 can cite specific instances when I meet the Minister Concerned if he so desired.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : It is regrettable that ceiling on land holdings has not be introduced in the entire Country. It is of vital importance for bringing about green revolution. It is a matter of atmost urgency and importance but in Bihar this matter is being put off by some fendalistic confremers against the express declaration of the Prime-Minister. My Party wants Ordinance to be issued in this regard.

The study team which went to Bihar to gange the extent of loss to Rabi Crop due to floods has reported 20-25 per cent loss to crops where as the State Government estimates such loss to be 60-90 per cent. I want this Controversy to end and suggest that another Study Team should be sent there. I would request Government to consider these two points raised by me.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्रीमान : मैं चीनी, गन्ने और चीनी उत्पादन पर बोलूंगा। जहां गत $1\frac{1}{2}$ वर्ष में चीनी का उत्पादन लगभग दुगना हुआ था वहां अब उत्पादन खपत की अपेक्षा घट रहा है जो चिन्ताजनक है।

इसके लिये मेरा पहला प्रस्ताव यह है कि सरकार प्रत्येक मास उत्पादन शुल्क में परिवर्तन करने के बजाय इसे एक बार निश्चित कर दे। चीनी मिलों को अतिरिक्त कमाई करने की आज्ञा दी जाय ताकि वह उत्पादकों को भुगतान कर सकें।

मेरा दूसरा सुझाव सहकारी मिलों को लाइसेंस देने के बारे में है। प्रथम प्राथमिकता महाराष्ट्र को, फिर आंध्र को और उत्तर में किसी को भी लाइसेंस न दिया जाय। उत्तर प्रदेश में यदि सरकार उत्पादकों की सहायता करना चाहती है तो पुरानी मिलों को अपने हाथ में लेने के बजाय नई आधुनिक मिलें स्थापित करें।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : पटना सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि एक वर्ष में परती भूमि भूमिरहित किसानों में बांट दी जाएगी। क्या यह सच है ? पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार ने लगभग 7 लाख एकड़ भूमि गरीब और भूमिहीन किसानों में बांटी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वितरण विधिवत चल रहा है और बेदखली रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

आधुनिक सुविधाओं का लाभ केवल बड़े किसानों को ही मिल रहा है। ये लाभ सभी के लिए सुनिश्चित किए जायें। इसके बिना व्यापक लाभ नहीं हो सकता और न ही औद्योगिक उत्पादन बढ़ सकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Sir, where as the performance of this Ministry since the past 23 years has been landable, it is regrettable that the advantages have accured mainly to big farmers and landlords. This credit also goes equally to agriculture Scientists whose pay-scals and then facilitits should be improved after appointing as Pay Commission on Agriculture. Similar the lot of Gram Sewaks and Panchayat Secretaries as also other field workers should be improved. Due Compensation should be given to those who suffered on account of floods, hailstorms and unreasonal rains and levy on power, water and fertilizers should be suspended in their case.

Ballia has maximum density of population and 75 per cent of this is landless and labour class. Unless land is provided to them we cannot remove poverty. Something should be done to meet the cantingencies arising out of vagaries of weather such as rains, storm etc. We should have at least one more Agricultural Universtiy in the eastern districts of U.P. There should be a net-work of soil-testing laboratorie s and colleges in the State to absorb agricultural graduates. Ballia district is suffering because of non-implementation of fisheries and dairy development works. The only suger factory there is also lying closed. Power connections there should be provided expeditionly.

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : Sir, in the interest of food production Cow-slaughter must be banned. We should not oppose nationalisation : Secondly, tobacco cultivation should be replaced by wheat as we can get four wheat crops for the pains taken to produce tobacco. I would suggest that even Members of Parliament should work in the fields to help achieve more food production.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

Agricultural production has increased. There is only one agricultural university in 20 districts. If any other Agricultural university is to be opened it should be opened in our area.

***श्री एम० एम० जोजफ** (परिमाडे) : यद्यपि यह कहा जाता रहा है कि किसान भारत की रीढ़ हैं पर यह सत्य है कि हमने अभी तक उनका उत्थान नहीं किया है।

केरल में अत्यधिक नारियल की खेती होती है। पर आजकल किसी कीड़े की बीमारी के कारण नारियल के पेड़ समाप्त होते जा रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब वहां से नारियल प्रायः समाप्त हो जायेगा इस की जांच करने और बीमारी का कारण ज्ञात करने के लिए नारियल अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है पर आज तक किसी को पता नहीं उसने इस सम्बन्ध में क्या किया। काफी बोर्ड और इलायची बोर्ड के समान नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल बोर्ड की स्थापना भी की जानी चाहिए।

चावल केरलवासियों का मुख्य भोजन है। केरल में कुट्टानद में सबसे अधिक धान उगाया जाता है परन्तु यह क्षेत्र समुद्र से 10 से 20 फुट तक नीचा है। वहां पानी भर जाता है इसलिए उस पानी को निकालने, अच्छे बीज और उर्वरक के लिए 50 प्रतिशत राज सहायता किसानों को दी जानी चाहिए। उस क्षेत्र में खाद्यानों की उपज बढ़ाने के लिए एक स्थायी बाँध बनाया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना भी लागू की जानी चाहिए।

कृषि विशेषज्ञ जो अधिक उपज वाले धानों पर प्रयोग कर रहे हैं उन्हें किसानों से मिलना चाहिए और उन्हें उचित सलाह देनी चाहिए। जबकि ये विशेषज्ञ अपने आपको किसानों से अलग-अलग रखते हैं।

भूमि सुधार के लिए केरल को दिये गये 28 करोड़ रुपयों से कोई न कोई परियोजना चालू की जानी चाहिए।

चावल के वितरण में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी उसकी ओर केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए और उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

Shri Nathuram Ahirman (Tikamgarh) : Fellow land is not being given to landless peasants. Only the big peasants are getting the benefit of green revolution. It weaves only 10 per-cent farmers we getting the benefit from ferlilizers, tractors and different types of loans.

I will request the minister that instructions should be given to state governments that loans should not be given in bind but in cash, so that the farmers more not have to pay more for. A pumping set as is being changed by the co-operative Banks.

A uniform system of land ceiling should be introduced in all the states after calling a meeting of Chief Ministers. The surplus land should be distributed among landless farmers.

Instead of increasing the area of forest, plautation should be done on bare mountains and the follow land of the forests should be allowed to landless farmers.

****श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरी) : मैं अपने चुनाव क्षेत्र के आलू पैदा करने वाले

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
Summarised translated verson based on English translation of a speech delivered in Malayalm.

**तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

किसानों की एक समस्या का उल्लेख करूंगा। आज से कोई 15 साल पहले अधिक पैदावार देने वाले आलू के बीज का स्काटलैण्ड से आयात करने की बात आई थी पर सरकार विदेशी मुद्रा की कमी का गलत तर्क देकर उसका आयात टालती आ रही है। नीलगिरी की आलू की खेती की ओर केन्द्रीय सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, यदि इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया तो वहां के किसान इस क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी आन्दोलन मचा देंगे !

तमिलनाडु को कावेरी का पानी उचित मात्रा में मिलना चाहिए। अभी तक हम उसके पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग कर रहें है। मैं मैसूर राज्य का विरोधी नहीं पर हमें अपना उचित अधिकार मिलना चाहिए जिससे कि सिंचित प्रदेश सूखा न रह जाये। सरकार ने राज्यों की सिंचाई की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए एक सिंचाई कमीशन बनाया है। पर उसने अभी तक इस दृष्टि से तमिलनाडु का दौरा नहीं किया। यदि वह वहां जाये तो उसे तमिलनाडु की उचित आवश्यकता का अनुमान हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री अपना योगदान दें और सिंचाई आयोग के अध्यक्ष पर तमिलनाडु जाने पर जोर डालें। यदि सरकार ने तमिलनाडु के हित का ध्यान नहीं रखा तो केन्द्रीय सरकार के हितों की भी अवहेलना की जायेगी।

Dr. Govind Das Richharia (Jhansi) : Research should also be done in the case of oil seeds, cereals etc, as it has been done in the case of wheat is, so as to increased their production.

There should be Co-ordinations between the officials of different departments at the village level so that a villager may have to go only to a single person for his day-to-day difficulties. In the absence of proper Co-ordination farmers have to face various difficulties.

Proper and more attention should be paid towards soil Conservation so as to provide land to the landless. In Bundelkhand. Uttar Pradesh 20 lakh acres of land is lying unused which can he brought under cultivation.

Farming has become very costly these days. Therefore, crop insurance scheme sould be introduced so that the farmers could save themselves from unforeseen loss.

The small farmers should be given more help. The intermidiaries should be removed in the purchase of seeds by Food-Corporation so that the farmers may get the benefit which Government want to give them. I also request the hon. minister that proper enquiry should be made regarding the corruption in the purchase of seeds by Food Corporation.

Shri M. C. Daga (Pali) Only few white coller persons like M.L.As. MPs. ministers and other big persons exercise cotrol over large portion of the land and even to-day 19 percent people are landless. As such government shonld give land to these landless individuals after taking it out of the hands of these few land lords.

The definition of tenant given in the Land Reforms Acts is faulty. One who himself does farming should be called tenant and not the person who get his land cultivated by others. Therefor, the Land Reforms Acts should be amended. so that the actual tillers could become the owners of land.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : National income is 27 or 28 thousand crores of rupees and out of this most part is coming from the farmers, but in return they are not getting in that proportion.

Now we should try to have our own buffer stock and do away with PL 480 because under this agreement we cannot export our maize which is lying there in lig quantity-about 10 lakh tones.

In our country the shortage of food grains is oniy 5%. Is it not possible with such a long coast live to fill this gap by resorting to fishing. But so far nothing has been done in this direction. Out of our earning of Rs. 75 crore as foreign exchange. We earn Rs. 35 crores only from the fishing industry. But even then it is being neglected.

In view of this I suggest that this amount should be raised to Rs. 200 crores and the target of fish production should also be increased from one million ton to five million tons. This industry has been neglected so far. Government should promote it by constructing travlers, heavy vessels for deep fishing. In this manner we shall be able to increase production and mare earn foreign exchange.

Shri R. C. Vikal (Baghpat) : The farmers are being exploited in this country. The ceiling on land is being termed as land reform. The Central and State Governments have not cared to provide necessary facilities for land reforms. Government should see that farmers get remunerative prices otherwise there is no use of increasing production. They work hard but they have to sell their products at throw away prices. Government has never tried to understand the problems of the small farmers who have to plough the land themselves and who connot employ workers to do the job. The percentage of big farmers is quite negligible. Besides he has to bear the maximum burden of indirect taxes. There should be ceiling not only on land but on permits, factories huge amount of salaries and urban property also. It will not be proper to impose ceiling on land only.

We can remove poverty only by working hard and people can work hard only if they are given proper respect and provided with reources. Their difficulties shonld be removed.

कृषि मंत्री (श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं उनके लिये मैं उनका आभारी हूँ। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर समुचित रूप से विचार किया जायेगा और इन मंत्रालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये जिस प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता हुई, की जायेगी।

यह सच है कि अनाज के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1947 में अनाज का उत्पादन 5 करोड़ टन था जबकि अब हमारा उत्पादन 10.6 करोड़ टन है। इससे पता चलता है कि हमने न केवल अपना लक्ष्य ही प्राप्त किया है बल्कि इससे भी कुछ अधिक उत्पादन हुआ है। निःसंदेह अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु कपास आदि जैसी वाणिज्यिक फसलों की स्थिति बिलकुल भिन्न है। गन्ने के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1969-70 में गन्ने का उत्पादन 1340 लाख टन था और आशा है कि वर्ष 1970-71 में भी इससे कम उत्पादन नहीं होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने निराशा प्रकट की थी कि निकट भविष्य में हम चीनी का निर्यात कर सकेंगे या नहीं। उनकी निराशा निराधार है क्योंकि हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अनुसार हमारे पास अपने प्रयोग के लिये चीनी पर्याप्त ही नहीं होगी बल्कि हम निर्यात भी कर सकेंगे।

वर्ष 1970-71 में मुंगफली के उत्पादन में वृद्धि हुई हैं। हमने 60.7 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अन्य तिलहनों का उत्पादन भी बढ़ा है। फिर भी देश की आवश्यकताओं की तुलना में तेल का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। अतः तेल और तिलहनों के उत्पादन की माँग को पूरा करने के लिये हमने सोयाबीन और सूरजमुखी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक व्यापक

कार्यक्रम बनाया है। आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सोयाबीन की खेती कर सकेंगे।

कपास के उत्पादन में निरन्तर कमी होने के बारे में हमें बहुत चिन्ता है। हमने कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो प्रयत्न किये हैं उन में हमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि कपास का उत्पादन बारानी खेती में होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हाल ही में लगभग 15 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला एक व्यापक कपासजिला कार्यक्रम मंजूर किया गया है जिससे वर्ष 1973-74 तक कुछ चुने हुए अधिक उर्वर जिलों में कपास के उत्पादन में 5 लाख गांठों की वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त अधिक उपज वाली किस्मों का क्षेत्र बढ़ाने का विचार है। गुजरात, महारष्ट्र, मैसूर और मध्य प्रदेश में ऐसी भूमि को 20,000 एकड़ से बढ़ा कर 1.5 लाख एकड़ कर देने से कपास के उत्पादन में 3 लाख गांठों की वृद्धि हो जायेगी।

बहुत से माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि सुधरे हुए कृषि सम्बन्धी उपायों का छोटे किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के विकास के लिये योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में दो विशेष स्कीमें बनाई गई हैं। इस प्रयोजन के लिये चालू वर्ष के बजट में 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं से 30 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। दार्जिलिंग जिले में एम०एफ०ए०एल० परियोजना मंजूर की गई है।

समस्त देश में से चयन किये गये जिलों में इन परियोजनाओं को चलाने के लिये भारत सरकार ने विशेष एजेंसियाँ स्थापित की हैं जिनको भारत सरकार से अनुदान मिलता है। ये एजेंसियाँ सहकारी ऋण और विपणन संस्थाओं के लिये जोखिम निधि, प्रबन्ध सम्बन्धी राजसहायता, ऋणों आदि के रूप में सहायता करेंगी। छोटे और सीमान्त किसानों को पूंजी निवेश के लिये और इन किसानों को रियायती दरों पर सेवाएं उपलब्ध करने के लिये संस्थागत एजेंसियों को भी उक्त एजेंसी की निधि में से राजसहायता दी जायेगी। छोटे किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण मिलना बहुत आवश्यक है इसलिये ये एजेंसियां छोटे किसानों को संस्थागत ऋण देने के लिये ठोस प्रयत्न कर रही है। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकरण में भी सुधार किया जा रहा है जिससे छोटे किसानों को ऋण मिल सके और वे अपना काम कर सकें। इस प्रयोजन के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सक्रिय सहायता से सहकारी समितियों को सशक्त बनाया जा रहा है। डेरी और मुर्गी पालन आदि के लिये 2000 रुपये तक ऋण देने के लिये जमानत की शर्त भी हटा दी गई है।

बारानी खेती वाले क्षेत्रों की किसान जनता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये मैं बहुत उत्सुक हूँ। हमने कुछ क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिये परियोजनाएं चलाई हैं। इस प्रकार की 9 परियोजनाएं स्थापित की गई है और वर्ष 1971-72 में 15 और परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर बल दिया जा रहा है जिससे वहाँ के उत्पादन में वृद्धि हो। इन परियोजनाओं के अधीन बीज, उर्वरक, पौधा संरक्षण सम्बन्धी रसायनों, भू-संरक्षण, भूमि-समतल करने और छोटी सिंचाई के लिये राजसहायता दी जा रही है। जहां तक पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है, 54 जिलों में ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में रोजगार की व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया है। एक करोड़ रुपये की लागत वाले इस कार्यक्रम से एक वर्ष में काम वाले मौसम में 25,000 से 30,000 तक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

वर्ष 1971-72 से ग्रामों में रोजगार दिलाने के लिये एक द्रुत कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिस ग्राम निवासियों को रोजगार मिलेगा। इन सब विशेष कार्यक्रमों के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 385 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने भूमि सुधारों पर अधिक ध्यान दिया है। स्वीकृत नीति और विधान अधिनियमित विधान तथा उसकी क्रियान्विति के बीच अन्तर को दूर करने के लिये हम पूरी तरह जागरूक हैं। आसाम में भूमि की अधिकतम सीमा 50 से घटा कर 25 एकड़ करने और तमिलनाडू में 30 से 15 स्टैंडर्ड एकड़ करने के लिये विधि में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम में भी संशोधन किया गया था।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने जिसमें कुछ मुख्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया था, हाल ही की बैठक में अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधियों के सभी पहलुओं पर विचार किया था। उन्होंने भूमि की अधिकतम सीमा को लागू करने का अपना दृढ़ इरादा व्यक्त किया था। भूमि की अधिकतम सीमा और घटाने के लिये सभी राज्यों से सम्बन्धित आँकड़े मंगवाना आवश्यक समझा गया था। ये आँकड़े एकत्र कर लिये गये हैं और अब इस पर 3 अगस्त 1971 को उक्त समिति की बैठक में विचार किया जायेगा। आशा है कि भूमि सुधार समिति के विचार विमर्श के बाद इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जा सकेंगे जिससे विभिन्न राज्यों में भूमि अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधियों में काफी हद तक समानता लाई जा सकेगी।

जहाँ तक विकास कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हाल ही में विद्युत चलित पम्प सेट और गैर-सरकारी तथा सरकारी रूप से नलकूप लगाये जाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है। नवगठित केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड पर यह जिम्मेदारी डाली गई है जिसका कार्यक्षेत्र अन्वेषी नलकूप संगठन से अधिक विस्तृत है। उक्त बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना के एक क्षेत्र विशेष में भूमिगत जल की मात्रा का मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के लिये एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की है। रायलसीमा प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कृषि विकास के लिये एक भारत-फ्रांस तकनीकी सहयोग परियोजना पर पहले ही काम चल रहा है। भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाने के लिये जल-भूगर्भीय जाँच करना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है।

ड्रिलिंग सम्बन्धी उपकरणों की कोई कमी नहीं है। देश में 850 ड्रिलिंग रिग्स और लगभग 850 वायवीय चट्टान विस्फोटक/बोरिंग यूनिट है। इन उपकरणों को देश में बनाने के सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है। कुछ विशिष्ट उपकरणों को छोड़कर शेष सभी उपकरण देश में ही बनाये जाते हैं।

अधिक उपज किस्म कार्यक्रम का उत्पादन कार्यक्रम में मुख्य स्थान है। गेहूँ और बाजरे की अधिक उपज वाली किस्मों की उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इस कारण अनाज का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। चावल की अधिक उपज वाली किस्मों की प्रगति धीमी रही है वर्ष 1970-71 में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। चावल की अधिक उपज वाली किस्मों वाले क्षेत्रों में लक्ष्य से अधिक विस्तार हुआ है। हमारे अनुसंधान वैज्ञानिकों ने अधिक उपज वाली 5 किस्मों के अतिरिक्त 7 नई किस्मों का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। आशा है कि अब देश के विभिन्न भागों में चावल के उत्पादन में शीघ्र वृद्धि होगी। संकर जवार और मक्का के सम्बन्ध में अनाज की किस्म की कुछ समस्याएं हैं। इनका समाधान करने के लिये अनुसन्धान वैज्ञानिक और विकास एजेंसियाँ प्रयत्नशील हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम ने अनेक नई किस्म के बीज प्रचलित किये हैं उक्त निगम ने काफी बड़ी मात्रा में अच्छी किस्म के बीजों की व्यवस्था करके अधिक उपज किस्म कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

निगम द्वारा प्रमाणन और दूसरे गुण-प्रकार नियन्त्रण सम्बन्धी किये गये उपायों के माध्यम से किसानों ने जान लिया है कि अधिक उत्पादन के लिये अच्छे किस्म के बीज आवश्यक है । वर्ष 1970-71 में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि निगम 4 करोड़ रुपये की बिक्री का रिकार्ड कायम करेगा । निगम ने आधुनिक ढंग पर प्रमाणन और प्रक्रियाओं सम्बन्धी सेवाओं को प्रदान करके गैर-सरकारी बीज उद्योग को विकसित करने में महत्पूर्ण भूमिका निभाई है ।

जहां तक बहु-फसलीय परियोजनाओं का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित देश में 51 बहु-फसलीय मार्गदर्शी परियोजनायें गठित करने में नई योजना की क्रियान्विति का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

वर्ष 1970-71 में पिछले वर्ष की तुलना में उर्वरक की अधिक खपत हुई है परन्तु यह खपत अधिक संतोषजनक नहीं, और हम इनमें सुधार करने के लिये आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

उर्वरकों में संतुलित प्रयोग पर बल दिया जा रहा है । उर्वरक वितरण की विधियों को उदार बना दिया गया है । हाल ही में एक ऋण गारन्टी निगम की स्थापना की गई है और आशा है कि यह निगम किसानों तथा इससे सम्बन्धित लोगों को उर्वरक सम्बन्धी ऋण देने में सहायता दे गा ।

हमारे कृषि वैज्ञानिकों और शोध-कर्त्ताओं ने गत वर्षों में कृषि के विकास के लिये सराहनीय योगदान दिया है । अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं जिनमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभाओं को पूरी तरह से प्रयोग में लाया जा रहा है चाहे वे केन्द्रीय या राज्य सँस्थानों में कार्य कर रहे हों, तैयार की गई हैं और मुख्य कृषि उत्पादों तथा विभिन्न पहलुओं जैसे सस्य विज्ञान, मिट्टी विज्ञान, जल प्रबन्ध, कृषि इन्जीनियरी तथा पशु विज्ञान को क्रियान्वित किया जा रहा है । विभिन्न क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान इस प्रकार की अनुसंधान परियोजनाओं से सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

यह कहा गया है कि गेहूँ के लिये संकर बीज से उत्पादन अच्छे रहे थे परन्तु तीन वर्षों के बाद स्थिरता आ गई जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन कम हो जायेगा । इसमें निराशा की कोई बात नहीं हैं ।

यह मंत्रालय कृषि के विकास के लिये पर्याप्त राशि दिये जाने के बारे में दिये गये सुझावों का स्वागत करता है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के कुल व्यय का 12 प्रतिशत धन कृषि कार्यक्रमों के लिये व्यय किया गया था ओर चौथी पंचवर्षीय योजना में यह व्यय लगभग 17 प्रतिशत होगा ।

चौथी योजना में योजना परिव्यय के अतिरिक्त कुछ संस्थानों की ओर से भी कृषि कार्यों के लिए निवेश लगभग 950 करोड़ रुपये हो जायेगा ।

कृषकों के हितों के संरक्षण हेतु फसल बीमा योजना लागू करने के सुझाव दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में सरकार ने एक प्रारूप विधेयक और आदर्श योजना राज्यों में परिचालित की थी ।

परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण विधेयक को एवं विशेषज्ञ समिति को भेज दिया गया है। उसका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है।

हमारे देश में सबसे अधिक पशुधन है परन्तु उत्पादन कम है। मुर्गी पालन के मामले में भी उत्पादिता कम है। सरकार देशी चूजों को, जो फार्मों में चर कर निर्वाह करते हैं, संकरण तैयार करने के लिये कार्य आरम्भ कर रही है। मुर्गी पालन के लिये हमने प्रजनन सम्बन्धी सामग्री का आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से आयात किया है। इन प्रयासों के बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं।

मटन सप्लाई के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। हमने इस सम्बन्ध में बकरियों की नस्ल सुधारने के लिये बजट में 80 लाख रुपये की व्यवस्था की है। डेरी के क्षेत्र में सपरेटा दुग्ध चूर्ण और मक्खन तेल की सहायता से प्रगति की गई है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में सपरेटा दुग्ध चूर्ण आदि मिलाकर तैयार किये गये दूध को बेचने से 95.4 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी जिसे महानगरों में नई डेरियां खोलने और दूध तैयार करने की सुविधाओं के विस्तार के लिये काम में लाया जायेगा।

मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अधिक प्रयास किये जा रहे हैं। यंत्रीकृत नावों का अधिक प्रयोग करने तथा समुद्री मत्स्य पालन संसाधनों का प्रयोग करने के लिये जलपोतों को चालू करने पर हमें प्रमुख बल देना है। तटीय क्षेत्र का जो इस समय लाभ उठाया जा रहा है, उसके अतिरिक्त चौथी योजना में मछली पकड़ने के कार्य में और विस्तार करने की परिकल्पना की गई है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये 'इन्फ्रा स्ट्रक्चर' की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न पत्तनों में आधुनिक ढंग के मछली पकड़ने के बन्दरगाहों की व्यवस्था की जा रही है। गहरे समुद्री संसाधनों के और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के सर्वेक्षण को तीव्रगति से किया जा रहा है। 20 गहन समुद्री सर्वेक्षण जहाजों को बढ़ाकर तट दूर और गहन समुद्री संसाधनों के समन्वेषी कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सरकार उत्पादक को उचित मूल्य देने के लिये सदैव जागरूक रही है। इस तथ्य के बजाय कि कृषि मूल्य आयोग ने देश के हित को ध्यान में रखते हुये गेहूं की वसूली कीमत को 76 रुपये प्रति क्विटल बनाये रखा है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि किसान जितना भी अनाज बेजने के लिये तैयार हो, वह उसे घोषित की गई वसूली कीमत पर खरीद लेगी किन्तु यह अनाज निश्चित किस्म का होना चाहिये। कृषि मूल्य आयोग ने 40 लाख टन का जो उद्देश्य रखा था उससे अधिक पहले ही 47 लाख टन गेहूं की वसूली की गई है।

इस वर्ष बाजारों में बहुत अधिक माल आया। कहीं-कहीं पर तो बाजारों की ऐसी स्थिति हो गयी कि माल का उठाना भी कठिन हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ऐसी स्थिति पैदा हो गयी अतः उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में बाजारों की स्थिति सुधारना अति आवश्यक हो गया। इसके लिये भूमि अर्जित करके बड़े बड़े बाजारों की व्यवस्था करना, जिससे माल की खपत हो सके, तथा बाजारों के लिये विनियम लागू करना, जिससे भ्रष्टाचार रोका जा सके, आवश्यक है।

फसल की कटाई के पश्चात खाद्यान निकालने के तरीकों में सुधार करना आवश्यक हो गया है। इस वर्ष खलियानों में पड़ी फसल को वर्षा से बहुत अधिक क्षति हुई। फसल काटने तथा

खाद्यान निकालने के लिये मशीनों के उपयोग का सूत्रपात किया जाना आवश्यक है। किसानों को तिरपाल तथा पालीथीन की चादरें सप्लाई की जानी चाहिये जिससे वे खालिहान में पड़ी फसल की वर्षा से सुरक्षा कर सकें। हम इस मामले पर राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं।

मंडियों में खाद्यानों की खरीद के विषय में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुयी है। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये प्रयत्न कर रही है। खाद्य निगम द्वारा खाद्यानों की खरीद के मामले में सहकारिताओं के कार्यों में वृद्धि कर दी गयी है। खाद्य निगम द्वारा अधिकांशतः खाद्यान्नों की सीधी खरीद में वृद्धि करने का भी विचार है। इस वर्ष सहकारिताओं तथा खाद्य निगमों के मध्यम से 25 प्रतिशत खाद्यानों की खरीद हुई। यह प्रगति संतोषजनक नहीं है। खाद्यानों के वसूली कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये प्रत्येक मंडी में स्थानीय समितियों की व्यवस्था करने का विचार है। विभिन्न राज्यों के खाद्य मंत्रीयों से खाद्यान वसूली कार्यक्रम की जाँच करने के लिये कहा गया है और इस सम्बन्ध में आनेवाली कठिनाइयों को समाप्त करने के लिये उनके सुझाव माँगे गये हैं। अगस्त में होने वाली बैठक में खाद्य मंत्रियों के सुझावों पर विचार किया जायेगा।

इस वर्ष खाद्यानों की वसूली 75 लाख टन से भी अधिक हो जाने के कारण भण्डार की समस्या सामने आयी। जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है हमने भण्डार क्षमता बढ़ाने के प्रयत्न किये। 34 लाख टन और अधिक खाद्यान्नों का भण्डार करने के लिए भण्डार गृह आदि बनाने के लिए चौथी योजना में राशि भी आवंटित की गयी। इसमें से 27 लाख टन अतिरिक्त क्षमता के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और 1 अप्रैल 1971 तक 11 लाख टन के अतिरिक्त भण्डार के लिए व्यवस्था पूरी हो चुकी थी और इस वर्ष के दौरान 14 लाख टन की क्षमता और पूरी हो जायेगी। गोदामों के लिए गैर सरकारी व्यक्तियों से ठेके पर गोदाम लिये जा रहे हैं। इन गोदामों में 3 वर्ष तक अनाज सुरक्षित रखने की गारन्टी गोदाम मालिक से ली जाती है। इसके अतिरिक्त भण्डार करने के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति को प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात आगे कार्यवाही की जायेगी।

विश्व बैंक से करार करके खत्तियां बनाने की दीर्घकालीन योजना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाजारों में ऐसी खत्तियां बनाने का विचार है। इन खत्तियों में एक किया गया खाद्यान्न उपभोक्ता केन्द्रों के निकट बड़ी-बड़ी खत्तियों में भेज दिया जायेगा इस व्यवस्था से अनाज अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है और इसमें व्यय भी कम होगा। इस प्रकार समस्त देश में, विशेषकर देश के उत्तरी भाग में इस प्रकार की खत्तियां बनाने का विचार है।

Shri Krishan Chand Pandey (Khalilabad) : What about supply of tracters to producers ? They have applied for four years back and still the tractors have not been supplied to them.

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : गन्ने का मूल्य निर्धारित करने तथा चीनी से नियंत्रण हटाने के विषय में कहा गया है। इस सम्बन्ध में सरकार लाभकारी व्यवहारिक नीति का अनुसरण कर रही है। जब उत्पादन कम था तो सरकार ने आंशिक नियन्त्रण की नीति अपनाई और जब उत्पादन में वृद्धि हो गई तब नियन्त्रण समाप्त कर दिया गया जिससे विभिन्न स्थानों पर चीनी के असमान मूल्यों को समान बनाने में बहुत सहायता मिली। सरकार चीनी के मूल्यों को ध्यान में रखे हुए है जिससे उपभोक्ताओं के हितों के अनुसार ही चीनी के मूल्य चलते रहें। सरकार गन्ना उत्पादकों के हितों को भी दृष्टि में रखे हुए हैं तथा गन्ने और चीनी के पर्याप्त उत्पादन को भी।

वर्ष 1971-72 के लिए चीनी के कम से कम मूल्य निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जायेगा ।

चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने से हमारे चीनी के निर्यात में भी वृद्धि हुई । वर्ष 1969 में चीनी का निर्यात 95,000 टन था, वर्ष 1970 में 3·20 लाख टन हुआ तथा 1971 में 3·5 लाख निर्यात की आशा है ।

खाद्यान्नों के उत्पादन में हमारी प्रगति महत्वपूर्ण है । खाद्यान्नों के बाजार मूल्य स्थिर है और गतवर्ष की अपेक्षा कम है । सरकार ने लगभग 85 लाख टन अनाज का भण्डार किया है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हमारी चीनी की खपत 3 लाख टन है परन्तु सरकार $4\frac{1}{2}$ लाख टन दे रही है ऐसा क्यों है ?

श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद : गत वर्ष चीनी की आनुपातिक खपत 3 से $3\frac{1}{2}$ लाख टन थी । इस वर्ष हमने इसलिये नियन्त्रण हटा लिया है कि मूल्य ऊंचे न हो जायें । हम यह जानते है कि देश में चीनी की इतनी खपत नहीं है यदि है भी तो इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है ।

खाद्यान्नों के उत्पादन में हमने लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करली है । हमें इस प्रगति को बनाये रखना है तभी हम 1971 के अन्त तक आयात बन्द करने का आश्वासन पूरा कर सकेंगे । खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ हमें कपास पटसन तथा तिलहन के उत्पादन में भी वृद्धि करनी चाहिए । हम पूरक तथा संरक्षकी आहार के उत्पादन में वृद्धि करने के भी प्रयत्न कर रहे हैं ।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाना मात्र ही नहीं है अपितु सामाजिक न्याय तथा समाज के दुर्बल वर्ग को कृषि विकास के लाभ दिलाना भी है। इसके लिए अथक प्रयत्न करने आवश्यक हैं । मुझे आशा है कि किसानों वैज्ञानिकों, प्रशासकों तथा जन-सामान्य के सहयोग से हम समय का सामना करते हुए प्रगति करते हुए अपने निश्चित उद्देश्य की ओर अग्रसर होते रहेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुये

Some hon. Members rose

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इस मंत्रालय का समय 4 घन्टे से बढ़कर 8 घन्टे कर दिया । अब भी कुछ सदस्य प्रश्न करने के लिये उत्सुक हैं ।

Shri Chhotey Lal (Chail) A number of questions have been asked about agriculture labour but nothing has been said about them.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं बता चुका हूं कि छोटे किसानों के लिए बनाई गयी योजना के माध्यम से कृषि श्रमिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : मंत्री महोदय ने जर्मनी के दोषपूर्ण ट्रेक्टरों के विषय में कुछ नहीं कहा है । भारतीय किसानों ने इनके विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है । सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और उसने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है । उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह प्रश्न इस सदन में भी तथा राज्य सभा में कई बार उठाया जा चुका है । लोगों ने जो शिकायतें की हैं उनके बारे में हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । कुछ ट्रैक्टर उन्होंने वापस ले लिये है और वे उनके मूल्य का भुगतान कर देंगे ।

श्री गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : नौजवान वैज्ञानिकों को शीघ्र अतिशीघ्र रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात सभी स्कूलों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ कराया जाना चाहिए ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सभी सुझावों के विषय में उत्तर देना कठिन है । जिन सुझावों पर इस समय हमने विचार किया है मंत्रालय द्वारा उन पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री आर०डी० भण्डारे : कृषि मजदूरों की स्थिति की जाँच करने के लिए कृषि मंत्रालय एक जाँच समिति की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह मामला श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित है और उनकी इच्छा उन तक पहुँचा दी जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministry of Agricultural were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रु०
28	कृषि मंत्रालय	2,10,55,000
32	कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	66,93,76,000
123	कृषि मंत्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय	62,69,75,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministry of Agriculture were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
29	कृषि	14,38,79,000
30	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	17,51,42,000
31	वन	1,44,95,000

विदेश मंत्रालय
Ministry of External Affairs

उपाध्यक्ष महोदय : अब विदेश मंत्रालय की माँग संख्या 11 और 12 पर चर्चा और मतदान होगा । जो सदस्य चाहें वे 15 मिनट के अन्दर अपने कटौती प्रस्ताव भेज दें । उन्हें प्रस्तुत हुआ जाना जायेगा ।

वर्ष 1971-72 के लिये विदेश मंत्रालय की निम्नलिखित माँगे प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
11	वैदेशिक कार्य	22,99,92,000
12	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	14,66,91,000

श्री समर मुखर्जी : (हावड़ा) हमारे यहाँ वैदेशिक कार्यों पर चर्चा करते समय सदन से बाहर बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही है ।

[श्री के. एन. तिवारी पीठासीन हुए
Shri K.N. Tiwari *in the chair*]

राष्ट्रपति निक्सन के चीन जाने पर जहां कुछ देशों ने प्रसन्नता व्यक्त की है वहां कुछ ऐसे देश और दल भी हैं जो इससे उद्विग्न हो उठे हैं । राष्ट्रपति निक्सन के इस दौरे से इतना स्पष्ट हो गया है कि अमरीका की चीन विरोधी विदेश नीति पूर्णत: असफल रही है । उसे इस सत्य की प्रतीत हो गई है कि चीन जैसे 75 करोड़ आबादी के देश को साथ लिए बिना विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । और इसी कारण संसार के विभिन्न देश चीन से अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

संसार के सभी बड़े-बड़े देश चीन से अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं उससे व्यापार करार कर रहे हैं पर भारत ने अभी भी ऐसा करने का प्रयत्न नहीं किया है अब हमें इस सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए और पहल करनी चाहिए । बंगला देश के मामले के सम्बन्ध में भी हमें चीन को अपने साथ रखना चाहिए जिससे कि वह इस सम्बन्ध में पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला समर्थन न करे ।

यह परिवर्तन कोई अकस्मात नहीं हुआ है । इसका कारण वियतनाम और इण्डोचाइना के लोगों का स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना है । और अब समय आ गया है जब अमरीका को वहाँ से हटना होगा । अमरीकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्टों पर से पर्दा उठने पर पता चलता है कि अमरीका ने वियतनाम और इण्डोचाइना में कितने भीषण अत्याचार किये हैं । तथा इन्ही के कारण बाध्य होकर उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी है । दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव भी आ रहा है और श्री निक्सन इसका लाभ उठाना चाहते हैं । पर इन सब बातों के पीछे निहित स्वार्थ होने पर भी भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में इसकी अन्तर्राष्ट्रीय विशेषता को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता ।

दक्षिण वियतनाम, कोरिया और जर्मन गणतन्त्र की मान्यता के प्रश्न पर चर्चा के समय मंत्री महोदय का उत्तर बड़ा ही निराशाजनक था। जब संसार के सब देश उन्हें मान्यता दे देंगे और जब अमरीका को वहाँ से पूरी तरह खदेड़ दिया जायेगा तब भारत द्वारा मान्यता देने का क्या अर्थ रह जायेगा। तब तो मान्यता देनी ही पड़ेगी। भारत सरकार इन्हें मान्यता देकर साम्राज्यवादी अमरीका को अप्रसन्न नहीं करना चाहती। और यही कारण है कि संसार भर में भारत की प्रतिष्ठा गिरती जा रही है।

हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। हमें किसी की उंगलियों पर नहीं नाचना चाहिए।

हमें अपने पड़ौसी राज्यों से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने चाहिये। चीन से सम्बन्धों को सामान्य बनाने में भारत सरकार असफल रही है।

जहां तक इंगलैंड का सम्बन्ध है, ब्रिटेन ने 31 जनवरी, 1969 से भारत मूल के प्रवासियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम जातीय घृणा और जातीय प्रतिबन्धों के आधार पर बनाये गये हैं और इन नियमों में कुछ विशिष्ट उपबन्ध किये गये हैं। ब्रिटेन में पैदा हुई अश्वेत लड़कियों को जो विवाह के लिए अपने देश को लौटती है वापसी पर अपने पतियों को अपने साथ लाने की अनुमति नहीं है। लेकिन श्वेत लड़कियों के पतियों को ब्रिटेन में जाने और ठहरने की अनुमति है। इन प्रतिबन्धों से ब्रिटेन में ठहरने वाले भारतीयों को भारी कठिनाई होती है। इस पर कोई भी ऐसा प्रभावी विरोध नहीं किया गया जिससे इन कानूनों के बदलने के लिये ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया जा सके।

1939 के व्यापार समझौते को समाप्त करने के मामले में भी, हमारा विरोध पर्याप्त रूप से और प्रभावी नहीं रहा है।

ब्रिटिश सरकार दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेच रही है सारा विश्व उनके इस कार्य की भर्त्सना कर रहा है। भारत सरकार ने भी इस पर विरोध प्रकट किया है किन्तु सरकार ने फिर भी राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को नहीं त्यागा।

क्यूबा के मामले में भी भारत अमरीका के प्रभाव से मुक्त नहीं। अमरीका ने क्यूबा की नाकाबन्दी कर रखी है और भारत सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसके पक्ष में है। 7 मई, 1971 के 'जरनल ऑफ कामर्स' की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईस्ट्रन शिपिंग कम्पनी से दो मालवाहक जहाज बम्बई से क्यूबा भेजे गये, अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा इसका विरोध किये जाने पर सरकार ने इसके लिये क्षमा मांगी और यह वचन दिया कि भविष्य में ऐसा नही होगा इससे स्पष्ट है कि हमारी विदेश नीति पराधीन है।

अमरीका में हब्शी लोग रंगभेद की नीति का विरोध कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कुमारी ऐंजला डेविस, जो क्रान्तिकारियों की मुखिया है, तथा इस समय जेल में है, की मुक्ति के लिये प्रयत्न करें। चार महीने बीत गये हैं, परन्तु भारत सरकार बंगला देश को मान्यता देने के बारे में दृढ़ता से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाइ है। अब भी हम अमरीकी सहायता की और देख रहे हैं तथा इस बात के होते हुए भी कि अमरीका पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है, भारत और अमरीका के बीच नए करार हो रहे हैं। यदि अमरीका के साथ यही सम्बन्ध बना रहा तो बंगला देश की समस्या के हल होने की कोई आशा नहीं। अमरीका यह

वचन देने के बावजूद भी कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बन्द कर दी जाएगी, लगातार पाकिस्तान को जहाजों द्वारा हथियार सप्लाई कर रहा है। इससे बंगला देश के स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत हानि हो रही है। इसीलिये हमारा कहना है कि बंगला देश की अस्थायी सरकार को खुले तौर पर मान्यता प्रदान की जाए तथा स्वतंत्रता सेनानियों को हर सम्भव सहायता दी जाए।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय हमारा ध्यान बंगला देश के वीर तथा उत्साही युवकों की ओर जाना स्वभाविक ही है। इस मामले में देश के विभिन्न वर्गों ने भारत की विदेश नीति की आलोचना की है। कुछ लोगों का विचार है कि भारत की विदेश नीति की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। अन्य लोगों का विचार है कि बंगला देश के मामले में हमें हस्तक्षेप अवश्य करना चाहिये। परन्तु मुख्य प्रश्न तो यह है कि हमें बंगला देश के लोगों में विश्वास है या नहीं। अस्थायी तौर पर याह्याखाँ की सेना बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने में असफल हो सकती है, परन्तु उसके लिए बंगला देश की जनता पर विजय पाना असम्भव है बंगला देश अवश्य स्वतंत्र होगा। इस सभा द्वारा पारित किये गये संकल्प के ग्रधीन सरकार का यह कर्तव्य है कि वे बंगला देश के वीर सेनानियों को हर संभव नैतिक तथा भौतिक सहायता दें। मेरे विचार में सरकार इस सम्बन्ध में अपना कर्तव्य निभा रही है।

बंगला देश के पक्ष में विश्वमत जगाने के लिये भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का मैं स्वागत करता हूँ। यह भारत सरकार के प्रयासों का ही फल है कि इस समय यूरोप में ब्रिटेन में, ग्रमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया में एक के बाद दूसरे देश में महत्वपूर्ण नेताओं, संसद सदस्यों, समाचार पत्रों, गैर सरकारी ऐजेंसियों, स्वयं सेवी संगठनों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा स्थिति की गम्भीरता को महसूस किया जा रहा हैं। वह अब मानते हैं कि यह केवल पाकिस्तान का आन्तरिक मामला नहीं हैं। पाकिस्तान सरकार के निरीह लोगों पर अत्याचार को रोकना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में जिम्मेदार व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि तथा समाचार पत्रों के प्रतिनिधि भारत में आएं ग्रौर बंगला देश से आए शरणार्थियों के शिवरों का दौरा करें तथा यदि संभव हो तो बंगला देश में भी जाएं और स्वयं स्थिति को देखें। बंगला देश के बारे में सरकार की नीति सही है। इस संदर्भ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वियतनाम के बारे में निक्सन प्रशासन की राय बदलने में जनमत का बड़ा हाथ है और बंगला देश के विषय में विश्व जनमत बहुत कुछ कर सकता है। इस सम्बन्ध में हमारा ध्यान राष्ट्रपति निक्सन के चीन के प्रस्तावित दौरे की और जाना स्वाभाविक ही है। राष्ट्रपति का यह प्रस्तावित दौरा आश्चर्यजनक नहीं हैं। गत दस वर्षों में चीन तथा ग्रमरीका के हित विश्व में कहीं भी आपस में नहीं टकराये हैं। वियतनाम के प्रश्न पर हमें पेकिंग के शब्दों से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। चीनी लोगों की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है उन्होंने साम्राज्यवाद के विरोध में बहुत कुछ कहा मगर सभी पश्चिमी देशों, और उनके तानाशाहों के साथ राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पुर्तगाल और इज़रायल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है। इन सभी वर्षों में यूरोप की विभिन्न राजधानियों में अमरीकी प्रतिनिधियों और चीनी प्रतिनिधियों के बीच हजारों गुप्त बैठकें हुई हैं अतः चीन और अमरीका के हितों में संघर्ष रहा है। वास्तव में चीन का मुख्य शत्रु भारत नहीं बल्कि सोवियत संघ है। चीन का प्रमुख मित्र पाकिस्तान नहीं अमरीका

है। पिछले कुछ वर्षों से चीन अमरीका से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने का निरन्तर प्रयत्न करता रहा है और उसी ढंग पर चल रहा है जिस तरह अमरीका चाहता है। चीन उन कुछ बातों में भी सफल हुआ है जिन्हें पूरा करने में अमरीका असफल रहा है। अमरीका की नीति एशिया में साम्यवाद को रोकने की रही है किन्तु चीन ने अमरीका के प्रयत्नों को विफल बना दिया है।

हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में चीन के शब्दों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले चीन और अमरीका में काफ़ी मतभेद रहा है इस सम्बन्ध में जो भी कदम हमें उठाना है वह काफी सोच विचार से उठाना होगा।

हमारे देश के लोग सत्ता राजनीति, गुट विशेषता आदि की बातें करते हैं और समाचार पत्रों में भी इसके बारे में काफी कुछ कहा जाता है। कुछ लोगों का विचार है कि गुट निरपेक्षता की नीति उचित नहीं अतः इसका परित्याग कर दिया जाए।

गुट निरपेक्षता का अर्थ है स्वतन्त्र विदेश नीति। हम किसी गुट विशेष से बन्धे नहीं है और न ही हमने किसी से कोई सैनिक समझौता किया है।

हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का निर्णय उनके गुण दोष के आधार पर करेंगे। हमारा निर्णय गलत हो सकता है और हम गलत निर्णय करने के दोषी भी हो सकते हैं। परन्तु हम जो भी निर्णय करेंगे, उसे अपनी ही बुद्धि के अनुसार करेंगे। गुट-निरपेक्षता का अर्थ है एकदम स्वतन्त्र विदेश नीति। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लोग गुट-निरपेक्षता की नीति का विरोध क्यों करते हैं? वह स्वतन्त्र विदेश नीति का विरोध क्यों करते हैं। प्रायः समाचार पत्रों के सम्पादकीय लेख इस नीति की आलोचना से भरे होते हैं।

हमारे देश में ही ऐसे वर्ग और दल है जो कि विभिन्न अवसरों पर अपनी नीतियों का प्रदर्शन करते हैं। अन्य देशों के सन्दर्भ में भी यही बात कही जा सकती है। उदाहरण के लिए अरब देशों को ही लीजिए। यह ठीक है कि बंगला देश के प्रश्न पर हमें अरब देशों से सहानुभूति और समर्थन की आशा थी। परन्तु यह राष्ट्र पाकिस्तान के प्रचार से भ्रमित हो गये और हमें निराश होना पड़ा। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम शीघ्र ही कोई उग्रवादी कदम उठा लेते। अभी तक हम यह महसूस करते हैं कि अरब देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना, हमारे हित में ही है। कल तक जिन लोगों को हम "भाई, भाई" कहते रहे हैं, आज अचानक उन्हीं को "शत्रु" कहना कहां तक उचित है?

आजकल इस सदन के बाहर और अन्दर पीकिंग-वाशिंगटन समझौते का प्रश्न उठाया जा रहा है और यह मांग की जा रही है कि हमें आणविक शस्त्र बनाने चाहिए। कहा जाता है कि आणविक शस्त्र बनाने पर ही विश्व में महान शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या अपनी आर्थिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, भारत अणु बम बना सकता है? मैं यह स्पष्ट कर दूं कि बम बनाना आसान नहीं है और न ही एक आध बम बनाने से काम चल सकता है। बम प्रतिरक्षात्मक शास्त्र भी नहीं है। अतः हमें केवल यही नहीं सोचना चाहिए था कि चीन अपनी आणविक क्षमता के कारण एक बड़ी शक्ति बन गया है। वास्तव में इसके अन्य भी कई पहलू है। इस का एक स्पष्ट कारण यह भी है कि गत कई वर्षों से चीन जिस नीति को अपना रहा है। अमरीका उसी का अनुमोदन करता रहा है। इन दोनों ही देशों के हितों में

कभी टकराव नहीं हुआ। अत: क्या भारत आणविक शस्त्र बनायेगा या नहीं, यह प्रश्न विशेष महत्व का नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि जब भारत विश्व परिषदों में बंगला देश के समर्थन के लिए, पुर्तगाली उपनिवेशवाद में स्वतन्त्रता संग्राम के लिए, जोरदार आवाज उठायेगा, तब उसकी गणना विश्व की महान शक्तियों में होने लगेगी।

विदेश मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
11	13	श्री सरोज मुखर्जी	दक्षिणी वियतनाम की अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार को और जर्मनी लोकतंत्रात्मक गणराज्य को पूर्णरूपेण मान्यता देने पर राजदूत-स्तर पर पूर्णरूपेण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता।	100 रु०
11	14	श्री सरोज मुखर्जी	बंगला देश के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने में असफलता।	100 ,,
11	15	श्री सरोज मुखर्जी	अमरीकी साम्राज्यवादियों को वियतनाम और लाओस में स्पष्ट रूप से आक्रामक न मानना तथा अमरीकी सरकार को उन देशों से तुरन्त चले जाने के लिए न कहना।	100
11	16	श्री पी० के० देव	बंगला देश के मामले में विश्व जनमत जागृत करने में भारतीय कूटनीति की असफलता।	100 ,,
11	17	श्री पी० के० देव	भारत की पश्चिम एशिया संबंधी नीति की असफलता।	100 ,,
11	18	श्री पी० के० देव	दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की विदेश नीति की असफलता।	100 ,,
11	19	श्री पी० के० देव	सिंगापुर में भारत की नीति।	100 ,,
11	20	श्री पी० के० देव	हिन्द महासागर के बारे में और वहाँ पर बड़े राष्ट्रों की राजनीति के सम्बन्ध में भारत की नीति।	100 ,,

1	2	3	4	5
11	44	**श्री रामावतार शास्त्री**	समय-समय पर अमरीका और अन्य साम्राज्यवादी देशों के सामने झुकने की नीति को छोड़ने में असफलता ।	1 रुपया
11	45	,, ,,	अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध दृढ़ निश्चय होकर लड़ाई करने में असफलता ।	1 ,,
11	46	,, ,,	साम्राज्यवाद विरोधी तथा शांतिप्रिय नीति की ओर अधिक प्रभावशाली तथा गतिशील बनाने की आवश्यकता ।	1 ,,
11	47	,, ,,	नैटो और सीटो जैसे सैनिक गुटों का खुलकर विरोध करने की आवश्यकता ।	1 ,,
11	48	,, ,,	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने में असफलता ।	1 ,,
11	49	,, ,,	लैटिन अमरीकी, एशियाई और अफ्रीकी देशों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी लड़ाई में सहायता देने की आवश्यकता ।	1 ,,
11	50	,, ,,	वियतनाम के हाल के सात सूत्री शाँति प्रस्ताव का समर्थन करने की आवश्यकता ।	1 ,,
11	51	,, ,,	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने में असफलता ।	1 ,,
11	52	,, ,,	ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को सम्बन्ध विच्छेद करने में असफलता ।	1 ,,
11	53	,, ,,	वियतनाम पर बमवारी करने को अमरीकी साम्राज्यवादियों की नीति की निन्दा करने में असफलता ।	1 ,,
11	54	,, ,,	चीन से विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए वार्ता आरम्भ करने की आवश्यकता ।	1 ,,

1	2	3		4	5
11	55	,,	,,	बंगला देश को अविलम्ब मान्यता देने तथा सभी संभव सहायता देने की आवश्यकता।	1 ,,
11	56	श्री एन. श्रीकान्तन नायर		मध्य-पूर्व में भारतीयों के हितों की रक्षा करने में सरकार की असफलता	1 ,,
11	57	,,	,,	ब्रिटिश पारपत्रधारी भारतीय मुल्क लोगों के हितों की रक्षा करने में असफलता।	1
11	58	,,	,,	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ पूर्णरूपेण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता	1 ,,
11	59	,,	,,	विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों को हमारे निर्यात व्यापार में समुचित सहायता देने योग्य बनाने में असफलता	1 ,,
11	60	,,	,,	बंगला देश के मामले में अन्य देशों का समर्थन प्राप्त करने में सरकार की असफलता।	1 ,,
11	61	,,	,,	बंगला देश की सरकार को मान्यता देने में अनावश्यक विलम्ब।	1 ,,
11	62	श्री डी० के० पंडा		अफ्रीका और लातीनी अमरीका के देशों में स्थित हमारे दूतावासों के कार्यों में कुशलता लाने में असफलता।	1 ,,
11	63	,,	,,	अफ्रीकी देशों मे हमारे दूतावासों द्वारा वहा के लोगों के साथ सांस्कृतिक अनुभूतियों का आदान प्रदान बढ़ाने में असफलता।	1 ,,
11	64	,,	,,	संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय दूतावास के फिजूल खर्ची के कार्यों को रोकने में असफलता।	1 ,,
11	65	,,	,,	अमरीका स्थित भारतीय दूतावास द्वारा पाकिस्तान का शस्त्रास्त्र दिये जाने के बारे में भारत सरकार को समय पर सूचित किए जाने में असफलता।	1 ,,

1	2	3		4	5
11	66	,,	,,	सामान्यतया और विशेषकर अफ्रीका और लातीनी अमरीकी देशों के उपनिवेशात्मक दमन के कारण संत्रस्त हो रहे सभी देशों के लोगों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों का प्रभावी ढंग से समर्थन करने में असफलता।	1 ,,
11	67	,,	,,	साम्राज्यवाद विरोधी नीति का निरन्तर अनुसरण करने में असफलता।	1 ,,
11	68	,,	,,	दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार को मान्यया देने में असफलता।	1 ,,
11	69	,,	,,	संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को वियतनाम से अपनी फौजें हटाने के लिए उस पर दबाब डालने में असफलता।	1 ,,
11	70	,,	,,	बंगला देश मुक्ति आन्दोलन के दमन के लिए पाकिस्तान के सैनिक शासन को शस्त्रस्त्र दिये जाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की निन्दा करने में असफलता।	1 ,,
11	71	,,	,,	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने में असफलता।	1 ,,
11	72	,,	,,	पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध बंगला देश के लोगों के लोकतंत्री अधिकारों को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने में असफलता।	1 ,,
11	73	,,	,,	बंगला देश की सरकार को मान्यता देने में असफलता।	1 ,,
11	74	**श्री सुरेन्द्र महन्ती**		परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर देश की विदेश नीति को यथार्थवाद और गतिशील आधार पर नया रूप देने की आवश्यकता।	100 ,,

1	2	3		4	5
11	75	,,	,,	चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने की आवश्यकता ।	100 ,,
11	76	,,	,,	नेपाल के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाने में असफलता ।	100 ,,
11	77	,,	,,	इजरायल को तुरन्त मान्यता देने की आवश्यकता ।	100 ,,
11	78	,,	,,	बंगला देश सम्बन्धी मामलों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के दृष्टिकोण से राजनयिक स्तर पर प्रकाश डालने में असफलता ।	100 ,,
11	79	,,	,,	बंगला देश के प्रसंग में अमरीका में हो रही घटनाओं की जानकारी देने में हमारे अमरीकी स्थित दूतावास की असफलता ।	100 ,,
11	80	,,	,,	बंगला देश को मान्यता देने में असफलता ।	100 ,,
11	81	,,	,,	बंगला देश में एक स्वायत्तशासी गणराज्य की स्थापना पर जोर देने की बजाये बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी पर जोर दिया जाना ।	100 ,,
11	82	**श्री रामावतार शास्त्री**		विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से बंगला देश स्वतन्त्रता आन्दोलन पर इससे संबंधित अन्य मामलों के बारे में उपयुक्त ढंग से प्रचार करने में असफलता ।	100 ,,
11	83	,,	,,	बंगला देश में मौलाना भाषानी के नेतृत्व में हाल में गठित मुक्ति मोर्चे के साथ कारगर संबंध स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 ,,
11	84	,,	,,	राजदूतों के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को, जो समाजवादी समाज की स्थापना में आस्था रखते हों, नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 ,,

श्री एच० एन मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, गत दो दशकों से निरन्तर मैं चर्चा में भाग लेता आ रहा हूँ परन्तु अभी तक मैंने भारत की विदेश नीति में साहस और पहल का इतना अधिक अभाव नहीं देखा, जितना कि अब देखने को मिल रहा है। हमने किसी भी समस्या को सकारात्मक ढंग से सुलझाने का प्रयत्न बहुत कम किया है। बंगला देश की समस्या भी हमारी विदेश नीति की असफलता का ही परिणाम है। लोकसभा में भारी बहुमत प्राप्त करने के बावजूद भी सरकार ने कभी अपनी शक्ति का परिचय, कोई साहसपूर्ण कार्य करके नहीं दिया। यह बड़े खेद की बात है कि भारत अपने आकार और जनसँख्या के अनुसार विश्व में कार्य नही कर रहा है।

विदेश मन्त्रालय के 1970-71 के प्रतिवेदन को देखकर मुझे बहुत दुःख होता है क्योंकि इस में एक भी टिप्पणी ऐसी नहीं है जोकि लिखने योग्य हो। उसमें ब्रिटेन के सम्बन्ध में आप्रवास रोडेशिया दक्षिणी अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई तथा साँझे बाजार का कोई उल्लेख नहीं है। उसमें क्यूबा का भी कोई उल्लेख नहीं है।

शुक्रबार को एक गैर-सरकारी संकल्प में सरकार से जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य वियतनाम लोकतन्त्रात्मक गणराज्य डेमोक्रेटिक पीपुल्स पब्लिक आफ कोरिया दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्राँतिकारी सरकार को मान्यता देने की बात कही गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार का उत्तर क्या है? चाह कोई भी मामला हो सरकार विचार ही करती रहती है।

मुझे विश्वास है कि साऊथ ब्लाक में बंगला देश विरोधी साथी हैं। मुझे इस बारे में भी सन्देह है कि विदेश मन्त्री का बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम में कोई रूचि है। 17 जून को उन्होंने वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में अपने भाषण में राजनैतिक समझौता तथा संयुक्त पाकिस्तान की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान सरकार की गारंटी से शरणार्थी वापस अपने घरों को लौट सकते हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि इस भाषण में उन्होंने पाकिस्तानी शासकों तथा पूर्वी बंगाल में सत्य तथ्यों के बीच समझने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया था।

प्रचार के मामले में भी भारत सरकार असफल रहा है। बंगला देश के बारे में हम अरब देशों में पूरी तरह प्रचार नहीं कर सकते ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे दूतावासों का दिल्ली से मार्गदर्शन नहीं किया गया है।

बंगला देश के बारे में हमने चीन से भी कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया है। हमें इस बारे में उससे बातचीत आरम्भ करनी चाहिए थी।

हमने श्रीलंका के विद्रोह को दबाने के लिए वहां की सरकार की सहायता की। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके क्या कारण थे। वहा की सरकार ने बंगला देश में घातक आक्रमण के लिए पाकिस्तान को सुविधायें प्रदान की हैं। हमें विश्व से मानवीय आधारों पर जो थोड़ी बहुत सहानुभूति प्राप्त हुई है वह वहां के संवाददाताओं तथा फोटोग्राफरों की कृपा से ही हुई हैं। परन्तु विश्व के देशों की सरकारें अभी तक चुप साधे हुए हैं।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों का सम्बन्ध है सर एलेक डगलस ह्यूम ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि इस मामले को वहां पर उठाना भारत व पाकिस्तान की सरकारों का काम है।

शरणार्थी अभी तक भारत आ रहे हैं । एक करोड़ लोगों के आने की आशा है । विदेशों से हमें केवल पन्द्रह प्रतिशत सहायता ही प्राप्त हो रही है । हमारे लिए यह समस्या इस प्रकार घातक सिद्ध होगी ।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को अवांछित व्यक्ति घोषित नहीं किया है और न ही इस्लामाबाद व ढाका से अपने किसी व्यक्ति को वापस बुलाकर कोई महत्वपूर्ण राजनैतिक चाल चली है ।

सरकारी अभिकरणों द्वारा बंगलादेश को मान्यता दिये जाने के पक्ष में भी कोई प्रचार नहीं किया गया है । इस सभा के एक भूतपूर्व सदस्य श्री टेकचन्द द्वारा एक लेख लिखा गया है और उसमें भी उन्होंने मान्यता दिये जाने के विरुद्ध यह कष्ट किया है ।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में हमने जो विरोध पत्र भेजे हैं उनकी भाषा अत्यन्त विनम्र है । सरदार स्वर्णसिंह के हाल के भाषणों में कुछ कड़ापन अवश्य आया है । प्रधान मंत्री द्वारा डा० किसिंगर का स्वागत किए जाने का कोई अर्थ नहीं था । अधिक से अधिक मन्त्रिमण्डलीय सचिव ऐसा कर सकते थे ।

पेकिंग वाशिंगटन गठजोड़ के बारे में हमें अत्यधिक सावधानी से काम लेना चाहिए । हमें प्रगतिशील नीति अपनानी चाहिए । हमें बंगला देश को तुरन्त मान्यता देनी चाहिए और उसके साथ साथ सभी सुविधाओं आर्थिक राजनैतिक तथा राजनयिक समर्थन का भी आश्वासन देना चाहिए । अतः बंगला देश के युवकों को प्रशिक्षण तथा उपकरण आदि भी देने चाहिए ताकि वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकें ।

हमें विश्व को यह भी बताना चाहिए कि मान्यता देने का अर्थ पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं है । हम बंगला देश को मान्यता दिलाने के लिए राजनैतिक प्रभाव डालना चाहिए और शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई के लिए भी प्रभाव डालना चाहिए । इसके साथ साथ हमें विश्व को यह भी बता देना चाहिए कि किसी भी हालत में भारत पाकिस्तान से युद्ध आरम्भ नहीं करेगा । हमें अरब देशों को बताना चाहिए कि यदि वे समाजिक तथा राजनैतिक जीवन में इस्लाम के सिद्धान्तों को मानते है तो उन्हें बंगला देश का समर्थन करना चाहिए ।

वर्तमान स्थिति में भारत को दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण कार्य करना है, सरकार को इस कमजोर नीति को त्याग कर दृढ़ नीति अपनानी चाहिए लोगों में यह विश्वास उत्पादन करना चाहिए कि विदेश मंत्रालय देश के हितों की रक्षा कर सकता है । भारत को एक बलवान तथा उत्साह वर्धक देश के रूप में ऊपर उठाना चाहिए ।

सभापति महोदय : श्री के० आर० गणेश ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : क्या मैं उन्हें सभा पटल पर रख दूं ।

सभापति महोदय : जी हां, आप उन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं ।

मैसूर बजट, 1971-72

Mysore Budger, 1971-72

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1971-72 के लिए मैसूर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

मैसूर राज्य के 1971-72 के बजट के सम्बन्ध में वक्तव्य

महोदय,

जैसा कि सदन को विदित है, मैसूर राज्य के सम्बन्ध में 27 मार्च 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बाद, चार महीने की अवधि के लिए एक 'लेखानुदान' प्राप्त किया गया था ताकि मैसूर सरकार आवश्यक व्यय कर सके और प्रशासन तथा विकास का कार्य चला सके। यह अवधि समाप्त हो रही है। अतः 1971-72 के पूरे वर्ष का राज्य बजट अब संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1971-72 के संशोधित बजट अनुमानों में, राजस्व खाते में 7.78 करोड़ रुपये का अधिशेष दिखाया गया है जबकि पहले यह अनुमान था कि 2.88 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। स्थिति में यह परिवर्तन अधिकांशतः, साधनों में वृद्धि करने और व्यय में यथासंभव किफायत करने के लिए हाल में जो कदम उठाए गए थे, उन्हीं के कारण हुआ है। अब आशा है कि कुल 281.57 करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति होगी, जबकि मार्च के अनुमानों में 273.05 करोड़ रुपये की प्राप्ति आंकी गई थी। 8.52 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति मुख्यतः केन्द्र से अधिक राशि (2.23 करोड़ रुपये) प्राप्त होने और राज्य-करों, विशेष रूप से, राज्य उत्पादन शुल्कों (2.93 करोड़ रुपये), बिक्री-कर (1 करोड़ रुपये) और बिजली योजनाओं (2 करोड़ रुपये), के अंतर्गत अधिक रकम मिलने की आशा के कारण आंकी गई है। राजस्व से पूरा किए जाने वाले व्यय की राशि अब 273.79 करोड़ रुपये रखी गई है, जबकि 'लेखानुदान' बजट में यह 275.94 करोड़ रुपये दिखाई गई थी। इस व्यय में जो 2.15 करोड़ रुपये की कमी हुई है, वह मुख्य रूप से भू-राजस्व, पुलिस, शिक्षा, लोक निर्माण कार्य और वन शीर्षकों के अंतर्गत विभागीय व्यय में की जाने वाली किफायत के कारण हुई है, जो 1.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई है; यह अतिरिक्त व्यवस्था ऐसी कुछ मदों के लिए आवश्यक हो गई है जिनके लिए मार्च 1971 में बजट प्रस्तुत करने के बाद व्यवस्था करनी पड़ी थी।

पूंजीगत व्यय के लिए पिछले बजट की तुलना में अब कुछ अधिक व्यवस्था करनी पड़ी है, अर्थात् इसके लिए पिछले बजट में 38.79 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी जबकि अब 38.90 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। अब कुल मिलाकर 15.72 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। यद्यपि राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं, परन्तु इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि कुछ बुनियादी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं और हम आशा करते हैं कि उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम कुछ और कदम उठा सकेंगे। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य की बजट-सम्बन्धी स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती रहेगी जिससे यह देखा जा सके कि साधनों की कमी को पूरा करने के लिए आगे और क्या उपाय करने आवश्यक हैं।

बजट में अब 72.25 करोड़ रुपये के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है। बिजली की शुल्क-दरों में संशोधन सुझाने के लिए नियुक्त की गई शुल्क दर समिति की सिफारिशों के अनुसार, 10 अप्रैल 1971 से बिजली की शुल्क-दरों का युक्तिकरण और संशोधन कर दिए जाने के फलस्वरूप राज्य को 2.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो सकी है। राज्य बिजली बोर्ड के भारी विकास-कार्यक्रमों के संदर्भ में, विशेषतः गांवों में बिजली लगाने और सिंचाई के पंप सेटों को बिजली देने के उसके कार्य-क्रमों के संदर्भ में शुल्क-दरों के ढांचे में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था।

बजट में आयोजना-भिन्न व्यय के रूप में 7.12 करोड़ रुपये की एक व्यवस्था की गई है। यह व्यय कावेरी अपवाह-क्षेत्र (बेसिन) की कुछ सिंचाई योजनाओं पर किया जाएगा जो पिछले वर्षों से चली आ रही है। मैसूर सरकार पिछले कुछ समय से यह अनुरोध करती रही है कि इन योजनाओं को राज्य की आयोजना में शामिल कर लिया जाय। जैसा कि सदन को मालूम है, ये वे योजनाएं हैं जो विवादास्पद हैं और जिनके बारे में तमिलनाडु और मैसूर की सरकारों के साथ इस समय विचार-विमर्श हो रहा है।

बजट में, केन्द्र-प्रयोजित योजनाओं के लिए 12.54 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। छोटे किसानों, सीमान्तिक (मार्जिनल) किसानों और कृषि-मजदूरों के विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत और ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की विशेष योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपये की और व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी पढ़े-लिखे और ग्रामीण बेरोजगारों की समस्याओं को कुछ हद तक सुलझाने के लिए योजनाएं प्रारम्भ की हैं।

गुजरात बजट, 1971-72

Gujarat Budget, 1971-72

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1971-72 के लिये गुजरात राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

गुजरात राज्य के 1971-72 के बजट के सम्बन्ध में वक्तव्य

महोदय,

मैं गुजरात राज्य का 1971-72 का बजट प्रस्तुत करता हूं। सदन को विदित है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 13 मई, 1971 को उद्घोषणा जारी की गई थी। इस उद्घोषणा के अनुसार, राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जाना है। गुजरात राज्य का 1971-72 का बजट मार्च, 1971 में राज्य विधान-सभा में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु चार महीने यानी जुलाई, 1971 के अंत तक के लिए 'लेखानुदान' ही प्राप्त किया गया था। अतः इस वर्ष का राज्य बजट अब संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस वर्ष के बजट अनुमानों में राजस्व खाते में 14.35 करोड रुपये का अधिशेष दिखाया गया है। अनुमान है कि प्राप्तियां 233.17 करोड़ रुपये की होंगी और राजस्व से किया जाने वाला व्यय 218.82 करोड़ रुपये का होगा। पूंजीगत व्यय के लिए 46.43 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि चालू वर्ष के अन्त में कुल मिलाकर 1.29 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। किन्तु ऐसी सम्भावना है कि यह घाटा आय और संभाव्य बचतों में सामान्य सुधार हो जाने से पूरा हो जाएगा।

1971-72 के बजट में 1971-72 की वार्षिक आयोजना के लिए 98.67 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। इस में केन्द्रीय सहायना की 31.60 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। सहकारिता, सामुदायिक विकास और सिंचाई सहित कृषि कार्य-क्रम के लिए की गयी व्यवस्था आयोजना-परिव्यय का लगभग 39 प्रतिशत, विद्युत-क्षेत्र के लिए की गयी व्यवस्था लगभग 28 प्रतिशत, उद्योग, खनन, परिवहन और संचार के लिए की गयी व्यवस्था 11 प्रतिशत है और बकाया रकम अन्य क्षेत्रों में बंटी है। वार्षिक आयोजनाओं को बनाते और कार्यान्वित करते समय अनुसूचित जातिओं अनुसूचित आदिम जातियों, छोटे और सीमान्तिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गावों के कारीगरों, औद्योगिक और कम वेतन पाने वाले मजदूरों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की हालत में सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कल्याण के लिए एक नयी योजना के लिए 25 लाख रुपये की रकम की विशेष व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है।

कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, राज्य की अर्थ-व्यवस्था में कुल मिलाकर अच्छी प्रगति हो रही है। 1970-71 में राज्य में 35 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन होने की सम्भावना है जबकि 1969-70 में यह उत्पादन 30.89 लाख मीट्रिक टन था। मूंगफली का उत्पादन भी संतोषजनक रहा। जोरदार खेती, कृषि के आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण, अधिक उत्पादन वाले बीजों की किस्मों और उर्वरकों के प्रयोग और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के उपाय किये जा रहे हैं। उकई प्रायोजना पर, मिट्टी और ईंट-पत्थरों के बाधों वाले हैड वर्क्स और प्रायोजना के मुख्य नियामक (हैड रेगुलेटर) के निर्माण का काम पूरा होने वाला है। साबरमती (धारोई) जलाशय प्रायोजना के लिए बांध के निर्माण और वासना बांध संबंधी निर्माण कार्यों का प्रारम्भिक काम हाथ में ले लिया गया है। तापी तटबन्ध योजना का काम, जिस पर 4.45 करोड रुपया खर्च होने का अनुमान है, बाढ़ नियंत्रण कार्यों के एक अंग के रूप में हाथ में लिया जाएगा।

राज्य सरकार ने बिचौली-भूमिधारियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के कार्यक्रम को पूरा कर लिया है और कृषकों को भूमिका मालिक बना दिया गया है बशर्ते वे भूमि के मालिकों को निर्धारित मूल्य की अदायगी कर दें। इस प्रयोजन के लिए, गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने एक योजना बनाई है, जिनके अनुसार कृषकों के लिए, जमीनों के पूरे मालिकाना हक हासिल करने के लिए जमींदारों को जमीनों का क्रय-मूल्य अदा करने के उद्देश्य से, रकम की व्यवस्था की जायगी और बैंक द्वारा दी गयी रकम, उपयुक्त किस्तों में कृषकों से वसूल कर ली जायगी। इस योजना पर आठ करोड रुपये का खर्च होगा। राज्य सरकार ने यह जिम्मा लिया है कि भूमि विकास बैंक को इस सम्बन्ध में यदि कोई हानि होगी तो वह उसे बर्दाश्त करेगी।

1970-71 में, राज्य के संगठित क्षेत्र में, औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड ने अपना काम शुरू कर दिया है। आशा है कि एरोमेटिक

प्रायोजना 1972 के अन्त तक चालू हो जायगी। आशा है कि नेप्था क्रेकर, जिस पर अनुमानतः 30 करोड़ रुपया खर्च होगा, 1974 के आरंभ में ही चालू हो जायगा। सहकारी क्षेत्र में कांडला-कालोल नामक स्थान पर भी, एक उर्वरक प्रायोजना स्थापित की जा रही है। राज्य के विभिन्न निगम, जिनमें गुजरात औद्योगिक विकास निगम, गुजरात औद्योगिक निवेश निगम, गुजरात राज्य वित्तीय निगम तथा गुजरात लघु उद्योग निगम शामिल हैं, आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा राज्य के छोटे और बड़े एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के काम में महत्वपूर्ण भाग ले रहे हैं। गुजरात वस्त्र-उद्योग निगम राज्य के सूती कपड़े के 'रुग्ण' कारखानों को दुबारा चालू करने तथा विभिन्न कारखानों के बंद होने के कारण बेकार हुए मजदूरों को फिर से रोजगार देने के क्षेत्र में काफी लाभदायक काम कर रहा है।

गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने, उद्योगों की बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कई योजनाएँ शुरु की हैं। धुवारण तापीय बिजली घर में 280 मेगावाट और अधिक बिजली पैदा करने की क्षमता बढ़ाने, तथा 300 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता की उकाई पन-बिजली प्रायोजना की स्थापना करने की योजनायें काफी आगे तक क्रियान्वित की जा चुकी हैं। गावों में बिजली लगाने में भी काफी प्रगति की जा चुकी है। मार्च 1971 के अन्त तक, 3951 गांवों तथा 66159 कुओं में बिजली पहुंचा दी गयी है।

बजट में, शिक्षा के लिए 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो कुल राजस्व व्यय के लगभग 20 प्रतिशत भाग के बराबर है। राज्य में लड़कियों के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क है और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों को फीस में रियायत देने की योजना को भी उदार बना दिया गया है। विज्ञान-प्रशिक्षण कालेजों सहित शिक्षा संस्थाओं को तथा निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने के लिए अतिरिक्त सहायता देने के प्रयोजन से बजट में 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

गांवों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, 'काम का अधिकार' नामक एक योजना तैयार की गयी है और इसके लिए बजट में 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य के छः जिलों में 12 अम्बर चरखा केन्द्रों की स्थापना की मँजूरी दी गयी है जिनमें 1500 से भी ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत, लघु सिंचाई, सड़कों, भू-संरक्षण आदि के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। "शिक्षित रोजगार सहायता" नामक एक योजना तैयार की गयी है, जिसके लिए बजट में 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

पश्चिम बंगाल बजट, 1971-72

West Bengal Budget, 1971-72

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1971-72 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

पश्चिम बंगाल राज्य के 1971-72 के बजट के सम्बन्ध में व्यक्तव्य

महोदय,

27 मार्च, 1971 को, चार महीने के लिए लेखानुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से, इस सदन के सम्मुख जब राज्य का बजट प्रस्तुत किया गया था, तब यह आशा थी कि पश्चिम बंगाल में एक निर्वाचित मंत्रिमण्डल कार्य-भार सम्भाल लेगा । सदन को मालूम है कि पश्चिम बंगाल से राष्ट्रपति का शासन हटा लिया गया था और 2 अप्रैल, 1971 को एक मंत्रिमण्डल ने अपना कार्य-भार सम्भाल लिया था । परन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 29 जून, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी की गई जिसके अधीन राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जायगा ।

2. 27 मार्च, 1971 को बजट सम्बन्धी वक्तव्य में यह संकेत दिया गया था कि जब वर्ष के दौरान बाद के अन्तिम बजट प्रस्तुत किया जायगा, तब बजट अनुमानों की पूरी तरह समीक्षा की जायगी । लेकिन पश्चिम बंगाल में आकस्मिक घटनाएं घटने के कारण विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकी है । संसद के सम्मुख अब जो संशोधित वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जा रहा है उसमें केवल वही संशोधन किये गये हैं जिन्हें अत्यावश्यक समझा गया है । बजट पत्नों के साथ एक परिशिष्ट भी परिचालित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य-मुख्य संशोधनों का सारांश और उनके सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या दी गई है ।

3. केन्द्र को देय रकमों और अन्य संशोधनों को हिसाब में लेने के बाद अब ऐसा पता चलता है कि संशोधित बजट के अन्तर्गत कुल मिलाकर 19.34 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा जबकि पहले यह रकम 28.60 करोड़ रुपया आँकी गई थी । मैं इतने बड़े घाटे को बिना पूरा किये छोड़ते हुए प्रसन्न नहीं हूँ, परन्तु पश्चिम बंगाल की विशेष परिस्तिथयों को देखते हुए ऐसा करना अपरिहार्य प्रतीत होता है । यद्यपि विस्थापितों पर किये जाने वाले व्यय का भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, लेकिन भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन का राज्य की अर्थ-व्यवस्था और प्रशासन पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ा है । लेकिन यह प्रस्ताव है कि वर्ष के दौरान योजना आयोग के साथ परामर्श करके, राज्य के साधनों का विस्तार से मूल्यांकन किया जाए ताकि इस बात का पता लग सके कि बजट अनुमानों के अन्तर को कम किया जा सकता है या नहीं और यदि किया जा सकता है तो किस सीमा तक ।

4. संक्षेप में, चालू वर्ष में 366.15 करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्तियों और 384.92 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय का अनुमान लगाया गया है । बजट अनुमानों में विस्थापितों के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत इतनी ही अर्थात् 50 करोड़ रुपये की प्राप्ति दिखाई गई है ।

5. बाजार ऋणों सहित स्थाई ऋणों के अन्तर्गत अब 10.05 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियाँ होने का और केन्द्रीय सरकार से 76.79 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है । इसमें केन्द्र से प्राप्त होने वाले विशेष सहायता ऋण के लिए की गयी 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है, जिस पर वर्ष के दौरान पुनर्विचार किया जायगा ।

6. केन्द्रीय ऋणों की वापसी-अदायगी के लिए अब 50.60 करोड़ रुपये की रकम रखी गयी है। राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के बारे में 26.71 करोड़ रुपये का अनुमान है। पूँजी खाते से किये जाने वाले व्यय का अनुमान अब 37.61 करोड़ रुपये लगाया गया है।

7. इस समय राज्य में विद्यमान परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, वार्षिक आयोजना-परिव्यय को 65.13 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 66.63 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसके लिए 44.20 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

8. चालू वर्ष में केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए, जिनकी पूर्ण वित-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, 10.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

9. सामान्य सदस्यों को विदित ही है कि कलकत्ता महानगर क्षेत्र में विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पिछले वर्ष कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण नामक एक साँवधिक प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी। 1970-71 में इस प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार सहित विभिन्न स्रोतों से 19 83 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था, लेकिन यह सारी रकम खर्च नहीं की जा सकी थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि निर्माण-कार्य वर्ष के उत्तरार्ध में ही शुरू किये जा सके थे और विभिन्न संगठनों की स्थापना करने में तथा अन्य प्रारम्भिक कार्रवाइयों को पूरा करने में भी कुछ समय लग गया था। 1971-72 में कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में विकास-कार्यक्रमों पर लगभग 50 करोड़ रुपये का पूंजी-परिव्यय होने की सम्भावना है। इसमें बस्ती सुधार के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि, जिसकी वित्त-व्यवस्था पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों से की जायगी, और 9.54 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो राज्य की वार्षिक आयोजना में इस प्रकार की योजनाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा, कलकत्ता महानगरीय प्राधिकरण को बाजार ऋणों, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता और चुंगी से होने वाली आमदानी में प्राधिकरण के हिस्से से भी साधन प्राप्त होंगे।

10. केन्द्र और राज्यों की आयोजनाएं, अर्थ-व्यवस्था के मूल क्षेत्रों में निवेश की वृद्धि करने की दिशा में उठाये जाने वाले कदम हैं। पश्चिम बंगाल मे पहले से ही एक काफी बड़ा औद्योगिक आधार बना हुआ है और वहाँ और अधिक औद्योगीकरण होने की पर्याप्त सम्भावना है। यद्यपि निवेश सम्बन्धी वातावरण का फिर से निर्माण करने के लिए यह जरूरी है कि विधि और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो। किन्तु यह सत्य है कि पश्चिम बंगाल के आर्थिक पुनरुत्थान से रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चय ही स्थिति में सुधार होगा। औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम नामक एक नये निगम की स्थापना की गयी है जिसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है। इस निगम से आशा की जाती है कि वह रुग्ण' और बन्द पड़े उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हल्दिया एक मुख्य बन्दरगाह वन जायगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा वहाँ पर एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। 1970-71 के बजट में गाँवों में रोजगार मुहैया करने के जो कार्यक्रम शुरू किये गये थे, उन्हें पश्चिम बंगाल में भी क्रियान्वित किये जाने के लिए हाथ में लिया गया है। राज्य में नयी रोजगार देने वाली योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं, जिनकी वित्त-व्यवस्था पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा की जायगी। मुझे पूरी आशा है कि इस सदन के सभी वर्गों के सदस्य पश्चिम बंगाल में शान्ति और सुरक्षा का

वातावरण फिर से पैदा करने और राज्य की अर्थ-व्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

अनुदानों की मांगे, 1971-72—जारी
Demands for Grants, 1971-72 Contd.

विदेश मंत्रालय-जारी

श्री उन्नीकृष्णन (वडागरा) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सभा को हमारे अस्तित्व, इस उप-महाद्वीप एवं विश्व के अस्तित्व के परम समय में हमारी विदेश नीति पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज इस उप-महाद्वीप का स्वरूप काफी परिवर्तित हो गया है क्योंकि एक तानाशाह ने ऐसा नर-संहार किया है जो इतिहास के पृष्ठों में न तो देखा गया है और न ही सुना गया है परन्तु अन्ततः इस नरसंहार का भी वही अन्त होगा जो अतीत में किये गये नर संहारों का हुआ है

आज स्थिति में बिल्कुल परिवर्तन आ गया है और अमरीका तथा चीन तनाव कम रने के लिये एक दूसरे के नजदीक आ रहे है। इस परिवर्तन का भविष्य में इस उप-महाद्वीप पर प्रभाव पड़ेगा। अभी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो बहु-संधि की विद्यमान व्यवस्था है वह समाप्त हो जाये और दो देशों के बीच संधि स्थापित हो जाये परन्तु दो देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य करने का ही यह प्रयास नहीं है अपितु इनका उद्देश्य एक नई शक्ति समता के आधार पर समूचे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को एक नया रूप देना है। हमें आशा है कि हमारे राजनयिकों को इन नई पेचीदगियों के बारे में सतर्क किया जायेगा तथा उन्हें सचेत किया जायेगा कि इस घटना का अर्थ और महत्व क्या है?

गुट निरपेक्षता के बारे में इस सभा में उल्लेख किया गया था परन्तु उसे कोई मंत्र के रूप में नहीं माना गया। हमारी विदेश नीति के आलोचक चाहे जो कुछ कहें परन्तु यह निश्चय ही एक सही नीति थी। इस नीति ने हमारी और मानव इतिहास की संकट के समय सहायता की है परन्तु अब विश्व स्थिति बदल गयी है और नई समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं अतः नई पहल करने के लिये प्रभावशाली कूटनीति की आवश्यकता है।

पाकिस्तान भौगोलिक दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं है। प्रो० गनर मिकडैल ने लिखा है कि ऐसा राष्ट्र कभी बना ही नहीं और न ही बन सकता है। पाकिस्तान का शासक वर्ग इस तथ्य को छिपाना चाहता है तथा पाकिस्तान की एकता को बचाये रखने का प्रयास कर रहा है परन्तु पाकिस्तान की एकता के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और इसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता है।

चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये मेरी राय से, हमें पहल करनी चाहिये। चीन के साथ हमारे जो राजनयिक सम्बन्धों का स्तर था उसे हमने कम करने का जो निर्णय किया वह गलत था। हमें चीन के साथ निस्संकोच बातचीत करनी चाहिये।

गत दस वर्षों से यदि विश्व के किसी राष्ट्र ने हमारे संकट काल में हमारी सहायता की है तो वह रूस ने की है, वह हमारा सच्चा मित्र है। मैं आशा करता हूँ कि रूस के साथ हमारे

सम्बन्ध और भी दृढ़ होंगे। जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं परन्तु दक्षिणी गुट उसे मान्यता देने से इंकार कर रहा है। मुझे आशा है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य और दक्षिणी वियतनाम की अस्थायी सरकार को शीघ्र ही मान्यता दी जायेगी।

अरब देशों के साथ हमारे सबंधों का भी उल्लेख किया गया है। यह सही है कि अरब जगत में कुछ नये तत्व पैदा हो गये हैं जिनके बारे में हमें चिंतित होना चाहिये परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि अरब जगत के उन तत्वों से भी, जो हमारे साथ मैत्री बनाये हुये हैं, हमें अपने सम्बन्धों को तोड़ देना चाहिये।

मैं जानता हूँ कि विदेश सेवा में, विशेषकर निम्न स्तर पर, भारी असंतोष है। यह सेवा बिल्कुल अलग पड़ गई है तथा बहुत से क्षेत्र नये विचार ग्रहण करने के लिये तत्पर नहीं है। जब तक विश्व विद्यालयों तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थानों तथा अन्य बुद्धिजीवी वर्गों के साथ इसका गहन समन्वय स्थापित नहीं किया जायेगा तब तक हम नीति को नया रूप नहीं दे सकेंगे।

जहां तक विदेश सेवा सम्बन्धी समस्याओं का प्रश्न है, इस बारे में मेरा सुझाव है कि विदेश सेवा के बारे में वेतन वृद्धि के प्रश्न सहित सभी समस्याओं के बारे में जाँच करने के लिये हमें ब्रिटेन के डंकन आयोग की तरह एक आयोग गठित करना चाहिए। समूचे वेतन ढाँचे का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Chairman, Sir, the objective of the foreign policy is to protect the national interests. I have not the least hesitation in saying that, viewed from this angle, our foreign policy has been a complete failure.

Both of our neighbours have succeeded in forcibly occupying a large part of our terretory. The last Lok Sabha had taken a pledge not to rest till we have taken back every inch of our territory but nothing is being done to recover the lost territory.

Undoubtedly the world peace, panch-Sheel, Co-existence etc. are good things but these attractive words cannot take place of a well considered foreign policy of our country. Therefor, we have to recast our foreign policy.

We tried to establish friedly relations with communist China but she stepped us in the back. To-day U.S.A. and Communist China are coming close to one another, which is altogether a strange incident. When we framed our foreign policy, there were two power blocks. But to-day the cold war between U. S. A. and Russia has come to an end and Peking has become a centre of attraction. We have not taken any note of there changes nor changed our foreign policy accordingly and continued to talk of non-alignment which have failed to protect our national interests.

The issue of Bangla Desh has again proved that we have failed to make any friends in the World during the last 23 years.

I do not blame the other countries of the world. We tried to be friendly with the Arab countries even at the cost of incurring displeasure of Israel. Even Russia and U.S.A. are not prepared to condemn the genocide in East Bengal.

No doubt, Russia is our friend and they supported us in the United Nations on the Kashmir issue. But they have also been doing things in their own interest. Can it be said that arms given by Russia to Pakistan are not being used in Bengla Desh ? Russia gave arms to Pakistan with a view proventing her from going her over to China.

Every Country has its own Self. Interest in view. Others cannot do anything except decrying its actions as the Soviet Union's action in Czechoslovakia and USA in Vietnam. India can service as a Big power only if it follows a vigorous foreign policy

backed up by Industrsalisation and Socio-economic progress. USA has been influenced by China's population or by its possession of nuclear bomb. Today we are being neglected by everyone and this is due to our sterile foreign policy. Time is already running out and we have not accorded recognition to Bangla Desh. By according recognition we would not only help democratic forces across our borders but our own national interest also.

When our Marxist friends talk of improving our relations with China, I want to remind them that China did not attack USA or UK. We were the victims of Chinese aggression. We should also see this new development this USA--China--Pakistan as two-pronged—one directed against the Soviet Union and the other against India. At pres nt China's Sincerity is at test, We should view these developments in this contest. I am one of those who belive that extracting a mere simple from Mao would not solve all the ivternational problems. Today we should review our policies. Where we went wrong and where we can improve upon them. We could not maintain our friendship even with small countries like Burma and Nepal. We should review our foaeign policy to see whether the same is flecsible according to the changing circumstances or not? Burmese Government has expelled the only correspondent of PTI by serving him a notice of a hours only. This is the treatment meted out to Indians in Burma. Our relations with Nepal are far from satisfactory. Again we helped Ceylon but they did not stop Pakistani forces from going to Bangla Desh. Today we have no friends and this is direct result of our foreign policy. This policy could not safeguard our national interests. We should review of our foreign policy and try to make friends on the basis of self interest.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवन्तुपुजा) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कथनानुसार हमारी तटस्थता की नीति असफल रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के बहुत से मित्र है जबकि भारत का कोई मित्र नहीं है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय साम्राज्यवाद और नव-उपनिवेशवाद का बोलबाला था और स्वाधीन देशों को सैनिक गुटों में बांधने का प्रयास किया जा रहा था। स्वाधीनता प्राप्त करने वाले देशों के पास कोई विकल्प न था और वे किसी न किसी गुट में शामिल हो रहे थे। जब भारत आजाद हुआ था तब कुछ लोग अमरीका और कुछ लोग रूस के साथ मिलने की सलाह देते थे। इन परिस्थितियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में नया विचार पैदा हुआ कि स्वाधीन होने वाले नये देश गुट निर्पेक्ष रहें। इस प्रकार गुटनिर्पेक्षता की नीति का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासर ने इस नीति को बनाया था। तब से गुटनिरपेक्ष देशों के तीन सम्मेलन हो चुके हैं। हम निःशस्त्रीकरण, आणविक हथियारों पर प्रतिबन्ध, हथियारों के पुनर्जनन पर नियन्त्रण की मांग करते रहे हैं। हम अर्धविकसित देशों को आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहायता दिये जाने की भी मांग करते रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र में चीन के दाखिले पर जोर देते रहे हैं और यह भी कहते रहे हैं कि सैनिक गुटबन्दियों से विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती बल्कि एक दूसरे देश की अखण्डता का आदर करने से ही शान्ति स्थापित हो सकती है। इसी कारण आज तक संसार विश्वयुद्ध से बचा हुआ है।

गुट निरपेक्षता की नीति से भारत को बहुत लाभ हुआ है। यदि अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन पेकिंग जा रहे हैं तो निश्चय ही इसका कारण परिस्थितियों की विवशता है। इस नीति का उद्देश्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध और स्वाधीनता के पक्ष में विश्व राय बनाना है। यह प्रयोजन पूरी तरह सिद्ध हो रहा है।

हमें अब नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बंगला देश की समस्या हमारे सम्मुख है। प्रोफेसर मुखर्जी ने बंगला देश को मान्यता देने की मांग की है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि मान्यता देने मात्र से उनका उद्देश्य कैसे पूरा हो सकेगा। मुख्य बात मान्यता देने की

नहीं है । भारी संख्या में शरणार्थियों को भारत भेज कर हम पर एक प्रकार से आक्रमण किया गया है । अतः इस मामले में हस्तक्षेप करने का हमें अधिकार है और हस्तक्षेप करने के लिए बंगला देश को मान्यता देना आवश्यक नहीं है । हस्तक्षेप करने के अनेक तरीके हैं, और इसका पहला तरीका विश्व में जनमत तैयार करना है । यह कार्य किया जा रहा है ।

इन वर्षों में हमें दो बार युद्ध करना पड़ा है । क्या यह सच है कि इन अवस्थाओं में हमारा कोई मित्र न था । यदि फिर युद्ध होता है तो हम सरकारों या सैनिक अधिनायक तन्त्र पर नहीं बल्कि देश के लाखों लोगों पर निर्भर करेंगे जिन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुमोदन किया है । आज अमरीका भी जनमत का उल्लंघन किये बिना पाकिस्तान को सहायता देने में कठिनाई अनुभव कर रहा है । जनमत हमारे पक्ष में है । सहायता देने वाले देशों का स्वार्थ संघ पाकिस्तान को सहायता देने से इन्कार कर रहा है । आगे बढ़ने का हमारा यही तरीका है ।

समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारा ध्येय है । जो देश समाजवाद के पक्षपाती है वही हमारे मित्र होंगे । यह अनिवार्य बात है कि जिस प्रकार की नीति का अनुसरण हम अपने देश में कर रहे हैं, विश्व में उसी नीति का अनुसरण करने वाले देश हमारे मित्र हों ।

अब प्रादेशिक सैनिक गुट बनाने की प्रथाएं समाप्त हो रही हैं । इसके स्थान पर प्रभाव का युग आ गया है । हमें प्रभाव के इन क्षेत्रों से अपने आप को दूर रखना है । हमें स्वतन्त्र राष्ट्रों के अस्तित्व को कायम रखना है । इस प्रयोजन के लिये हमें अपनी नीति का परिव्यण नहीं करना बल्कि उसे अधिक क्रियाशील बनाना है । हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है परन्तु इसके साथ ही हमें अपने उन मूलभूत सिद्धान्तों का परित्याग नहीं करना है जिन पर हमारी विदेश नीति आधारित है और जो परीक्षा में सफल सिद्ध हुई है ।

इस आधार पर मैं भारत की विदेश नीति का समर्थन करता हूँ । इसके साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि इस नीति को अधिक गतिशील और सुदृढ़ बनाया जाये ।

श्री एम० सत्यानारायण राव (करीम नगर) : हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हमारे स्थायी हितों की रक्षा की जा रही है या नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा अन्य राजनीतियों के सम्बन्ध में हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि न कोई स्थाई मित्र है और न ही कोई स्थाई शत्रु होता है । केवल हित स्थाई होते हैं ।

जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो किसी भी अरब देश ने हमारा समर्थन नहीं किया था । परन्तु मुझे याद है कि जब फ्रांस, यू०के० और इसराइल ने संयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण किया था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आम सभा में इस प्रकार गर्ज रहे थे जैसे कि भारत पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो । हम पर आक्रमण होने के समय अरब देशों ने एक भी शब्द नहीं कहा था ऐसे समाजवादी मुस्लिम देशों का समाजवाद तथा मुस्लिम धर्म कहां गया । बंगला देश के नरसंहार की किसी भी अरब देश ने निंदा नहीं की । आज इस बात की परीक्षा हो रही है कि विश्व में हमारा कोई दोस्त है या नहीं । कशमीर की तरह हमने बंगला देश के मामले को भी उलझा कर रख दिया है इस समस्या को हम 24 घण्टे के अन्दर हस्तक्षेप करके ही हल कर सकते थे ।

मंत्री महोदय एक साहसी सरदार जी की तरह काम नहीं कर रहे हैं । उन्हें साहस से काम लेना चाहिए तथा समस्या को हल करना चाहिए ।

बंगला देश की समस्या भी हमारी ही समस्या है। वहां से आये लाखों शरणार्थियों की देखभाल किस प्रकार की जाये ? सर्वसाधारण इससे बहुत चिंतित हैं। यदि हम अपने ही देश का विकास नहीं कर सकते तो इनकी देखभाल किस प्रकार कर सकेंगे ? उनसे हमदर्दी रखने के साथ साथ हमें इस समस्या का समाधान भी करना है। हमें उन देशों की निन्दा नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान को सहायता प्रदान करते हैं। हमें अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें बंगला देश को मान्यता देनी चाहिए और पाकिस्तानी सेना को भगाने के लिए अपनी सेना उधर भेजनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : हर देश की विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई जाती है। 1947 के बाद हमारी विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित रही। श्री वाजपेयी ने कहा कि हमें अपनी विदेश नीति पर पुनः विचार करना चाहिए लेकिन ऐसा कहते हुए उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिये। हमारी विदेश नीति समय के अनुसार परिवर्तनशील होनी चाहिए। सच्चा दोस्त समय पर ही काम आता है। सन 1962 तथा 1965 में संकट के समय हमारे लिये कोई भी मित्र सहायक न सिद्ध हुआ। बंगला देश के मामले में कौन दोस्त हमारी सहायता करने आयेगा ? बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। संयुक्त राज्य अमरीका ने हमारे विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह को आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान को कोई भी शस्त्र नहीं दिये जायेंगे लेकिन साथ ही न्यूयार्क टाइम्ज़ में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ कि शस्त्रों से लदे 2 जहाज पाकिस्तान के लिए रवाना हो गये हैं और कुछ और जहाज भी भेजे जा रहे हैं। यह सारी सैनिक सहायता बंगला देश में उपयोग में लायी जा रही है। मुझे इस बात का भय है कि चीन बंगला देश में घुसपैठ करेगा। जब तक बंगला देश आजाद नहीं हो जाता उस समय तक वहाँ चीन की घुसपैठ का भय बना ही रहेगा। हमने बंगला देश के लोगों की आकांक्षाओं को मान्यता दी है। हमारी कूटनीतिक लड़ाइ से हमें कई लाभ मिले हैं। हमारी विदेश नीति तथा कूटनीतिक लड़ाई असफल रही हो, ऐसी बात नहीं। हमारे विदेश मंत्री को अब जागना चाहिए तथा शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए। क्या आप कराची जा रहे शस्त्रों से लदे पदमा जहाज को रोकने जा रहे हैं ? क्या हम मित्र देशों से इसे रोकने हेतु सहायता मांग रहे हैं ? मैं विदेश मंत्री से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या हम सुरक्षा परिषद में इस आशय का प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं कि बंगला देश के लिए एक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल भेजा जाये जो इस बात का ध्यान रखे कि युक्त क्षेत्रों में शरणार्थी बसें तथा बंगला देश से शरणार्थियों का भारत आना रुक जाये। हमें अब अपने पांवों पर खड़ा होना चाहिए।

यदि हम और विलम्ब करेंगे तो स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी। पश्चिमी पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि वह बंगला देश में अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। हमें आने वाली घटनाओं का अनुमान लगाना चाहिए। बंगला देश से आतंक पैदा करके हिन्दुओं को भगाया गया है और 60 लाख से अधिक हिन्दू भारत में आ गये हैं।

ऐसी स्थिति में हमें शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए और बड़े देशों के पहलू पर निर्भर नही करना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं गुट निरपेक्षता का प्रशंसक हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं इसका समर्थन करता आ रहा हूं। लेकिन प्रगतिशील तथा गतिशील नीति सदा परिवर्तनशील होती है।

विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करते हुए मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है जबकि हमें अपनी विदेश नीति का पुनर्निर्धारण करना चाहिए।

भारत एक परमपरागत शक्ति है जिसे किसी दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने में रुचि नहीं है। विदेश नीति के चार स्तम्भ रहें हैं। (क) पूरे काश्मीर को साथ मिलाना (ख) नेपाल के साथ अधिक रचनात्मक और अनुक्रियाशील सम्बन्ध स्थापित करना (ग) भारतीय सीमाओं की प्रभुसत्ता बनाये रखना (घ) पश्चिमोत्तर विश्व की शक्ति तथा एकता बनाए रखना। मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि उनमें से किसी भी उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकी है।

हमारी विदेश नीति अधिकारी-तन्त्र की स्थिरता तथा सूझ-बूझ के अभाव से पीड़ित हैं। जबकि पाकिस्तान की विदेश नीति इतनी लचकीली है कि सिंगर को गुप्त नाम और अज्ञात कार्यक्रम से चीन भेज सकती है।

जिस प्रकार हिन्दु लोग बिना अर्थों को जाने मन्त्रों का जाप करते हैं उसी प्रकार सरकार गुट निर्पेक्षता के मन्त्र का जाप करती हैं। अब समय आ गया हैं कि हम अपनी विदेश नीति पर गम्भीरता से विचार करे और ऐसी नीति का निर्माण करें जिससे हमारे उद्देश्य सिद्ध हों। आज हमें गुट निर्पेक्षता के स्थान पर विविध संगठनों से सम्बन्ध रखने की आवश्यकता है। हमारे समक्ष विकल्प होने चाहिए।

हमें चीन के साथ नये सिरे से सम्बन्ध सुधारने के यत्न करने चाहिएं। चीन के साथ संघर्ष के सम्बन्ध में तैयार किये गये कोलम्बो प्रस्ताव अब महत्व हीन हो गये हैं। श्री शास्त्री जी आत्म प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए चीन से वार्ता करने को तैयार थे। प्रधान मंत्री श्री मति इन्दिरा गान्धी ने 1966 में कहा था उचित हालात पैदा होने पर हम चीन से बातचीत करने को तैयार हैं। विदेश मन्त्री श्री स्वर्णसिंह ने कहा है कि हम चीन समेत अपने पड़ोसियों से अपने विवाद द्विपक्षीय बातचीत द्वारा आत्म प्रतिष्ठा क्षेत्रीय प्रभुसत्ता के आधार पर हल करने को तैयार हैं। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उचित वातावरण तैयार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है। वार्षिक रिपोर्ट को देखने से हमें पता लगता हैं कि गति हीनता एवं वर्तमान स्थिति को बनाये रखने की नीति जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश पहले से हमारे अधिक निकट आ गये हैं। उन देशों में से किसी ने भी बंगला देश के मामले पर हमारा समर्थन नहीं किया है। मलेशिया के भूतपूर्व प्रधान मंत्री इस्लामाबाद की तीर्थ यात्रा कर रहें हैं। लंका इस बारे में मौन है। इन्डोनेशिया की नीति उभयमुखी है।

विदेशों में हमारी भिखारी की सी स्थिति है। इस स्थिति से छुटकारा पाकर हमें परमाणु शक्ति से युक्त होना चाहिए और आत्म निर्भरता प्राप्त करनी चाहिए।

क्या मंत्री महोदय कह सकते हैं कि हमारी गुट-निर्पेक्षता की नीति से हमारे राष्ट्रीय हित की किसी प्रकार भी सिद्धि हुई है?

श्री कादर (बम्बई-मध्य दक्षिण) : मैं एक दो मिनट में विषय से न्याय नहीं कर सकता

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the chair*]

हमें अफ्रीका के उन क्षेत्रों की जिन्होंने अभी हाल ही में आंशिक स्वाधीनता प्राप्त की

है उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपनी पिछली अफ्रीका यात्रा में मैंने अनुभव किया कि वहां के लोग हमसे सहयोग और मार्ग दर्शन की आकांक्षा कर रहें हैं। उन देशों को हमें विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधि मंडल भेजने चाहिए।

---

*गणेष फ्लोर मिल्स दिल्ली में मजदूरों की जबरन छुट्टी के बारे में

*Re. Lay off of workers of Ganesh Flour Mills, Delhi

Shri Shashi Bhushan (Delhi South) : This company gave bonus to workers and divided to share holders first of all. The Proprietors established new factories four the manufacture off fans and exctracting oil and incurred osses. This company look loan of Rs. 16 Lakh from L.I.C. and also Maharastra State Finance Corporation. Afterwords Murarka Group advanced them 40-50 Lakhs of rupees on interest. They also purchased the shares of central Bank feed by that company and also won over Directors and virtually took over the company. They began to controlled the sales and purchases of that company. Murarka Brothers one crores of rupees to government on account of income tax. The Proprietors of Murarka Group misappropriated provident fund of Sholapur textiles and were punished for 6 months inprisonment in that case. They take loan from government and advance money to other companies on interest and ultimately take over all these companies. They are playing with the interests of the workers. The workers desire that the government should take over these mills. We cannot expect anything from Delhi Administration. You are committed for the protection of workers interest and should order C.B.I. enquiry against Murarka Brothers so that the interests of workers and food share-holders may not be expliated by them. The various trade unions of workers should be given recoginition.

Shri Amar Nath Chawla (Delhi Sadar) : I would like to know the steps taken by the Labour Department to ensure early payment to workers of this Company which laid off workers during 22nd March to 5th May.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : In view of the fact that the owners of there factories have found it very convenient to close them or to lay off the workers now and then, may I know whether or not they are actually interested in running the factories ?

May I also know whether Government propose to declare the intention of the owners to close the mills illegal in order to save the workers from unemployment and if not, the reasons therefore ?

Thirdly, what are the reasons for delaying the taking over this factory by the Government.

In reply to my question it has been stated that the workers are paid for the 30th April. May I know whether they have been paid for the May also so far, and if not, the steps taken in this regards ?

Shri D. P. Yadav (Monghyr) : Is the hon. Minister aware of the fact that Murarakas have deliberately closed this factory and the loss shown by them is not genuine ?

May I also know whether Delhi Administration has recently recommended the taking over the factory in order to protect the interest of the workers ? I want to know from the hon. Minister whether any steps are being taken in this direction.

---

*आधे घंटे की चर्चा

*Half an hour discussion

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh) : How many workers were on duty from April 1970 to April 1971 and for howmany days ? What action has been taken regarding the outstanding amount of Provident fund amounting to Rs. 5 lakhs ? I also want to know the proposal of the Government about the loss shown by Muerarkas amounting to Rs. 120 lakh. Is it also a fact that Delhi Administration has recommended to take over the mlll ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma : Some of the points regarding Ganesh Flour Mills submitted by the hon. Member Shri Shashi Bhushan are correct and the Government are also seriousely conserned about them since the matter is directiy connected with the Delhi Administration we have to depend upon them for taking certain steps. It is a fact the condition of this company is deplorable since long and we have been looking into the matter since it was brought to the notice of the department of company Affairs. It has also been found that the Manager even secretary of this company responsible for the worsening the economic condition of this company because he took all the advantage to meet his own interests.

Due to the unsatisfactory working condition 250 workers were put of the work for a few days on 22 March, 1970. The workers, then approached Delhi Administration. After that the issue was settled between the workers and the managment and full pay up to 30th April, 1971 was given to the workers on the bassis of the aggreement. Lay off was lifted on 5th of May but the workers were not put on duty though they went and remained there during the duty hours.

Replying to a letter the management of the factory said to the Delhi Administration that they did not intend to close it. They also attributed the decreasing production to the shortage of raw meterial and financial trouble.

The management was also asked to give full pay to the warkers on the plea that the management did not declare the closure or lay off. Certain staps were also proposed to be taken by the Delhi Administration but in the meanwhile the management paid the salaries to 200 workers up to 30th of May and 50 warkers remained unpaid. The management also assured that the financial arrangements were be'ng made and the factory would be run and all the outstading payments would be made.

Regarding their proposal of selling the estate with was filed with the High Court demanding (1) the removal of the present Board of Directors (2) the appointment of a new Administrator or the Board of Directors, and the denial to the company to sell the estates.

Now the management has expressed their helplessmen in making the payments on the ground that they are refused to sell their estate. In these circumstances the desirability of taking over the factory is being examined by the Government.

I would also like to mention that this matter is being looked into by the Delhi Administration which will send the recommendation first to the ministry of food and Agriculture and then to the ministry of Industrial Development becouse of the fact that this matter is connected to both of them.

Since the matter has been brought to the notice of the Government, Delhi Administration can not take any steps unilelatally. It has been seriously felt by the centre that the factory has been not working in the public interest. Therefore, it is necessary to appoint an investigation committee to look into the matter. The suggestions of the hon. Members would be forwarded to the Ministry of food and Agriculture.

Shri Shashi Bhushan : C. B. I. enquiry should be recommended.

Shri Balgovind Verma : Let the Industrial Investigation committee be appointed········ **(Interruptions)** I would like to assume the. hon. Members that all the necessary steps would be taken by the Government.

The total industrial establishment of this factory is 300 and another 275 are employed in the clerical and supervisory capacity in factory and Head Office. For the rest of the information I want notice.

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : How will the worker get their pay before the decision of the enquiry ?

Shri Balgovind Verma : The matter is likely to be sent to the Labour Tribunal.

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 20 जुलाई 1971/29 आषाढ़ 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabna then Adjourned till eleven of the clock on Tuesday, July 20, 1971 Asadha 29 1893 (Saka).

Printed at Sumer Printing Press. New Delhi-18